लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 49 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 17—बुधवार, 12 मार्च, 1975/21 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 17—*Wednesday, March* 12, 1975/*Phalguna* 21, 1896 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 302, 305, 306, 308 और 311	*Starred Questions Nos. : 302, 305, 306, 308 and 311	1–17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 303, 304, 307, 309, 310 और 312 से 323	Starred Questions Nos. : 303, 304, 307, 309, 310 and 312 to 323 . .	17–25
अतारांकित प्रश्न संख्या 2935 से 2937, 2939 से 2980, 2982 से 2995, 2997 से 3030, 3032 से 3049, 3051 से 3075 और 3077 से 3134	Unstarred Questions Nos : 2935 to 2937, 2939 to 2980, 2982 to 2995, 2997 to 3030, 3032 to 3049, 3051 to 3075 and 3077 to 3134	25–138
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	139–140
अविलम्बनिय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित एक अरब रुपये के मूल्य के औद्योगिक कच्चे माल को मुख्य पत्तनों के गोदामों और गोदियों से उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति—	Industrial raw materials etc. worth crores of rupees imported by M.M.T.C. reported lying uncleared at major ports—	
श्री सतपाल कपूर	Shri Satpal Kapur . .	140–141
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	141–145
बोरझर हवाई अड्डे पर श्री विश्व गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य—	Statement *re* arrest of Shri Biswa Goswami at Borjhar Airport in Assam—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmanand Reddy . . .	145–146

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the nameof a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—14 L.S.S.(ND)/75

विषय	Subject	पृष्ठ PAGES
दिल्ली के जामा मस्जीद क्षेत्र में पुलिस के कथित अत्याचारों पर गृह मंत्री के वक्तव्य के बारे में सदस्य का वक्तव्य —	Statement by Member *re* Home Minister's statement on reported police atrocities in the Jama Masjide area in Delhi—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	146–147
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy . .	147–148
कार्य मंत्रणा समिति 53 वां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Fiftythird Report. .	148–149
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under rule 377	
श्री मोहन धारिया के त्यागपत्र क बारे में आकाशवाणी पर की गई घोषणा	Announcement over A.I.R. about Shri Mohan Dharia's resignation . . .	149–152
बजट (सामान्य) 1975-76—सामान्य चर्चा—	General Budget 1975-76, General Discussion—	
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody . .	152–155
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve . .	155–158
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta .	158–162
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsh	162–164
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran .	164–166
श्री निंबालकर	Shri Nimbalkar . .	167
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha	167–169
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray .	169–170

लोक-सभा
LOK-SABHA

बुधवार, 12 मार्च, 1975 / 21 फाल्गुन, 1896 (शक)
Wednesday, March 12, 1975/Phalguna 21, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Loans advanced by Film Finance Corporation to New Producers

*302. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether his Ministry have from time to time conducted an enquiry to the effect that Film Finance Corporation advances loans to those producers who prepare films of public utility and make proper utilisation of the amount advanced to them; and

(b) whether loans have been advanced to those producers by Film Finance Corporation whose Films have not come on the screen so far and if so, the names of the films together with the names of producers and the amount advanced to each of hem?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Vir Sinha) : (a) No, Sir. However, the Performance Review Committee of the Film Finance Corporation under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Information & Broadcasting gives necessary guidelines to the Corporation.

(b) A statement showing the position, as on 31-1-1975 of films completed with Film Finance Corporation loans but not released, is laid on the Table of the House.

2—14 L.S. S./ND/75

Statement

Sl. No.	Name of the film	Name of the Producer	Amount advanced
			Rs.
1	Umeed . . .	Shri R. S. Rajan, Bombay . .	5,99,462
2	Uski Roti . .	Shri Rochak Pandit, Bombay . . .	2,63,941
3	Duvida . . .	Shri Mani Kaul, Bombay .	71,200
4	Maya Darpan .	Shri Kumar Shahani, Bombay .	2,88,954*
5	Grahan . . .	Shri Arvind Kumar Sinha, Bombay .	2,53,462
6	Trisandhya . .	Shri Raj Marbros, Bombay .	2,15,500
7	27-Down .	Shri Awtar Krishan Kaul, Bombay .	3,06,591
8	Jukti Takko Aar Gappo . .	Rito Productions, Calcutta .	2,51,906
9	Dak Bangla . .	Shri Girish Ranjan, Bombay . .	3,20,000
10	Parinay . .	Samantar Chitra P. Ltd., Bombay . .	1,55,000

(*) Since released in March, 1975.

Shri M. C. Daga : Sir, I would like to invite your attention to the 58th Report of the Estimates Committee (1973-74) which says :

"समिति यह देखकर चिंतित है कि बहुत से निर्माताओं ने जिन्हें वित्त निगम द्वारा ऋण दिया गया था, अपने ऋण नहीं चुकाये हैं। उसके 50 प्रतिशत से अधिक देय ऋण अर्थात् 59,26,057 रुपए सन्देहात्मक स्थिति में है जब कि 12 लाख रुपए वसूल न होने वाले ऋणों के रूप में पहले ही बट्टे खाते में डाला जा चुका है।"

I want to know who are those people who have swallowed this amount of Rs.12 lakhs as also the names of those persons who are not expected to repay their loan amounting to Rs. 60 lakhs. How do the Government propose to recover these loans?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : माननीय सदस्य ने पूछा है कि इतने अधिक चलचित्र जिनके लिए चलचित्र निगम ने वित्तीय सहायता दी थी पर्दे पर क्यों नहीं आई है। मैं उन का ध्यान कवल इस बात की ओर खींचूंगा कि चलचित्र वित्त निगम की स्थापना महज रुपये वसूल करने के लिए नहीं बल्कि कुछ खास किस्मों के चलचित्रों को बढावा देने के लिए हुई है।

विश्व के हर भाग में जहां कही एसी संस्थाए स्थापित की गई है । आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा चलचित्रों के स्तरों म सुधार करना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है । चलचित्र वित्त निगम का कार्य इससे नहीं आंका जाना चाहिए कि वह कितन रुपये वसूल कर सका है और कितने नही बल्कि इस बात से आंका जाना चाहिए कि उसके सहयोग से चलचित्रों क स्तर में कुल मिलाकर कितना सुधार हुआ है ।

जहां तक वसूल न होने वाल ऋणों का संबंध है मेरे माननीय मित्र को इतनी अधिक चिंता नही करनी चाहिए क्यों कि 31 दिसंबर 1974 को ऋणों की बकाया राशि 89 लाख रुपय थी किन्तु उसमे से संभवतः वसूल न होन वाली राशि लगभग 32 लाख रुपये है । जिसमें व्याज भी सम्मिलित है ।

इस लिए 10 वर्ष से अधिक के कार्य के दौरान और 126 चलचित्रों को सहायता देने में यदि 32 लाख रुपये फस भी जाए तो मैं समझता हूं यह ऐसी कोई बात नही है जिस पर हम इतने अधिक चिन्तित हों ।

Shri M. C. Daga : Sir, the Film Finance Corporation finances films with this view that good films should come on the screen. My question was that some people swallowed an amount of Rs. 12 lakhs which was given by the Film Finance Corporation and they produced no films. In view of this, I wanted to know the names of those who were guilty of and responsible for this and the action initiated by the Government against them.

श्री आई० के० गुजराल : यह कहना सच नहीं है कि चलचित्र नहीं बनाये गये । चलचित्रों का निर्माण किया गया है । माननीय सदस्य कृपया सूची देख । दस चलचित्रों में से दो का विमोचन हो गया है और शष आठों का विमोचन होना बाकी है । जिन चलचित्रों को व्याज सहित रुपए देने है उनकी संख्या 12 है अर्थात् वे चलचित्र जिन्हें सन्देहात्मक स्थिति में समझा जाता है और एक को छोडकर बाकी सभी चलचित्रों का निर्माण पूरा हो चुका है । उनमें से अधिक तर बाक्स आफिस म सफल नहीं रहे और उनमें से कुछों को विमोचन के लिए सिनेमा हाउस उपलब्ध नहीं हुआ । इसलिए पैसा वापस न आने का मुख्य कारण यह था और यह कहना न्यायसंगत नही होगा कि लोगों ने रुपये लिए और उसे हजम कर गये और चलचित्र कोई नहीं बनाया । यदि आप चाहें तो मैं उनके नाम पढ सकता हूं या फिर सभा पटल पर रख देता हूं ।

Shri M. C. Daga : Sir, I want to put another question.

Mr. Speaker : It is a wrong practice.

श्री मूल चन्द डागा : मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूं । मंत्रीजी ने मेरे पहल प्रश्न का उत्तर दिया है । मैं एक और अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं ।

Mr. Speaker : I am not happy with this practice. I do not want to allow this practice to continue any more.

Shri M. C. Daga: The Statement referred to in reply to the question shows that Shri R.S. Rajan has been given a loan of Rs. 5 lakhs and different amounts have been advanced to various other parties. I would like to know the dates on which these loans were given as also the time when they were expected to produce the films and the time passed since them and the time by which these films will come on the screen

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य नें विवरण को सावधानीपूर्वक नहीं पढा है । विवरण में केवल उन फिल्मों का ब्यौरा दिया गया है जिनका अभी तक विमोचन नहीं हुआ है । वे ऐसे चलचित्र नहीं है जिनसे ऋण वसूल न हो सके । ऐसे चलचित्रों की, जिनसे पैसा वसूल होने की उम्मीद नहीं है या सन्देहास्पद है, सूची अलग से दी गई है । जहाँ तक ऋण दिये जाने की तारीखों का सम्बन्ध है, उनके बारे में विवरण दूंगा ।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : चलचित्र वित्त निगम की नीति मुख्यतः कथा चित्रों को प्रोत्साहन देने और युवको की सहायता करने तथा नये विचारों को प्रोत्साहन देने की है । अनेक लोगों ने चलचित्र वित्त निगम से वित्तीय सहायता मांगी थी परन्तु ऋण लेने की जटिल और लम्बी प्रक्रिया के कारण अनेक प्रतिभाशाली लोगों ने अपने आवेदन पत्र वापस ले लिये । क्या यह सच है ?

श्री आई० के० गुजराल : जी हां, यह सच है । कठिनाई प्रक्रिया की इतनी नहीं है जितनी को धन की कमी की । चलचित्र वित्त निगम के बनने के बाद हमने गत पन्द्रह वर्षों में लगभग 2 करोड रुपये दिये है । पूर्ण आवश्यकता को देखते हुए यह बहुत कम राशि है । उदाहरण के लिये गत वर्ष हमारे पास दस लाख रुपये थे इससे बडी कठिनाई हुई, मैं तो वास्तव में बहुत इच्छुक हूं कि हम इस प्रयोजन के लिये और अधिक धन जुटा सकें ।

Shri Shankar Dayal Singh : What amount of help has been extended, if I should be appreciated since it has helped the exhibition of very good films. May I know the number of films released during the lst two years with the help of Film Finance Corporation and the number of films out of these which have won award in India and abroad?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक भारत और विदशों में सराहना की गई फिल्मों का सम्बन्ध है, तो उनकी सूची बहुत लम्बी है और मेरे माननीय मित्र के पास होगी ।

उम्मीद, उसकी रोटी, दुविधा, माया दर्पण, ग्रहण, त्रिसंध्या, 27 डाऊन, जुकटी टक्को और गप्पो, डाक बंगला, परिक्षा को विवरण में दर्शाई गई राशि दी गई है। अब तक 126 फिल्में बनी है । भारत में लगभग 20 फिल्मों की सराहना की गई है ।

Shri Narsingh Narain Pandey : The hon. Minister said in reply to a question that Rs. 89 lakhs are outstanding and Rs. 12 lakhs are bad debts. Has the Film Finance Corporation laid down some basic outline about the Films to be financed them they should not be vulgar and should set healthy trend.

श्री आई० के० गुजराल : यह सच है कि चलचित्र वित्त निगम ऐसी फिल्मों के लिये धन देता है जो अच्छी रूचि के विकास में सहायक हों और जिनका सांस्कृतिक मूल्य हो । आपने देखा होगा कि जनता के सामने जो फिल्में आई है वे मार्गदर्शक रही हैं । चलचित्र वित्त निगम का यही मुख्य योगदान है । ऐसी स्थिति में यदि 32 लाख रुपए बटटे खाते डालने पडे तो इसका कोई खास महत्व नहीं रह जाता ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने कहा कि चलचित्र वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को 5 करोड रुपये दिये जाते है। मलयालम, तामिल, कन्नड, बंगला तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के फिल्म निर्माताओं को कितना धन दिया गया तथा फिल्म निर्माताओं से अब तक कितना धन वसूल हुआ है ?

श्री आई० के० गुजराल : मेरे माननीय मित्र के मस्तिष्क में यह तथ्य होगा कि मलयालम, कन्नड, बंगला आदि प्रादेशिक भाषाओं के चित्रों का अच्छी फिल्में बनाने में बहुत योगदान है और इसलिए चलचित्र वित्त निगम उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है। गत वर्ष 1974–75 में 30 सितम्बर तक 2 हिन्दी, 2 बंगाली, 2 गुजराती, 1 कन्नड और 1 मलयालम फिल्म के लिये धन दिया गया। मेरे पास ऋण के भाषावार आंकडे भी है और कुल लगभग 11 लाख रुपये का ऋण दिया गया। दो बंगाली फिल्मों को कुल 2.75 लाख रुपए दिये गये।

श्री बी० वी० नायक : क्या यह सच है कि यद्यपि नई उदीयमान प्रतिभा को धन देने के बारे में चलचित्र वित्त निगम से हमारा कोई झगडा नहीं है, फिर भी नई विचारधारा की कुछ भारतीय फिल्मों को जिनके निर्देशकों की विश्व के सर्वोत्कृष्ठ निर्देशकों जैसे इंगेमर बर्मैन से तुलना की जा सकती है, धन की कमी का सामना करना पड रहा है जिससे प्रतिभा का उपयोग नहीं हो रहा है ?

श्री आई० के० गुजराल : दुर्भाग्य से यह सच है ?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : उन्होंने कहा कि अच्छी रूचि पैदा करना और सांस्कृतिक महत्व पर अधिक बल दिया जाता है। कुछ फिल्मों को छोडकर 126 में से अधिकांश फिल्में दर्शकों तक नहीं पहुंच सकीं क्यों कि वितरक इन फिल्मों को दिखाने के इच्छुक नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आई० के० गुजराल : हमारे पास थियेटरों की कमी है। हमा यहां 55–56 करोड की जनसंख्या के लिये 8000 थियेटर है। सोवियत संघ में, जिसकी जनसंख्या हमसे चौथाई है, 1,40,000 सिनेमाघर है। इसलिए प्रदर्शन की समस्या है। हम बहुत बडे फिल्म निर्माता है, हमारे यहां प्रति वर्ष 430–440 फिल्में बनती है। यह सच है कि वितरक रूचि नहीं देखते, उनका काम तो धन कमाना है। सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे इसमें अधिक सरकारी धन लगाने की और ध्यान दें। उदाहरण के लिये पंजाब में ऐसा हुआ है। जनता को भी बुरी फिल्मो का प्रतिरोध करना होगा। मुझे आशा है कि अन्य राज्य सरकारें पंजाब का अनुसरण करेंगी। जहां तक चलचित्र वित्त निगम का सम्बन्ध है, हमारा विचार कुछ थियेटर लेने का है। इसके अलावा हमारा विचार विश्वविद्यालय थियेटरों को बढावा देने का है। हमें आशा है कि इस वर्ष के दौरान 32 विश्वविद्यालय थियेटर चालू हो जायेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि चलचित्र वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य फिल्मों के गुणप्रकार में सुधार करना है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी ठीक-ठीक राष्ट्रीय चलचित्र नीति क्या है अब तक चलचित्र निगम ने किस प्रकार फिल्मों की किस्म में सुधार किया है ओर वे किस प्रकार इसमें सुधार करना चाहते है ? क्या वे संतुष्ट है कि जनता के मस्तिष्क से यह विचार हट गया है कि मारधाड़ और अपराध को बढावा देना जारी है ?

श्री आई० के० गुजराल : आप सहमत होंगे कि प्रश्न काल में निश्चित नीति बताना संभव नहीं है। मैं समय-समय पर अपनी नीति बताता रहा हूं। इस समय हमारी नीति इच्छा और तथ्य दोनों पर आधारित है। इसीलिये हम फिल्मों में धन नहीं लगा पा रहे हैं। जहां तक फिल्मों में मारधाड और अपराध का सम्बन्ध है इस सभा ने अभी हाल में नया चलचित्र सेंसर अधिनियम पारित किया है, जो अब क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि उसे रोकने के लिये कुछ किया जा सके। रचनात्मक दृष्टि से, जैसा कि मैंने कई बार कहा है, जब तक हम अच्छी फिल्में नहीं बना सकेंगे तब तक चलचित्र जगत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

हिन्दुस्तान लीवर के अनुसंधान तथा विकास अनुभाग द्वारा सरकार से प्राप्त की गई छूट

305. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर के अनुसंधान तथा विकास अनुभाग न सरकार से वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 में छूट के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की; और

(ख) उन्होंने वर्ष 1961 से 1971 तक विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी धनराशि की बचत की ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड के कम्पनी कर के निर्धारण के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अनुसंधान और विकास हेतु इस अवधि के लिए अब तक जो धनराशी स्वीकृत की है, उसका विवरण निम्नलिखित है :—

निर्धारण वर्ष—1972–73
(कलेंडर वर्ष, 1971)

(1) विकास छूट . .	= 1,97,000 रु०
(2) पूंजी व्यय	= 13,04,942 रु०
(3) अनुसंधान और विकास पर राजस्व व्यय .	= 72,00,000 रु०

2. कैलेंडर वर्ष, 1971, 1972 और 1973 के लिए कम्पनी ने, विकास छूट, पूंजी के बट्टे खाते में डालने तथा अपने अनुसंधान केंद्र पर किए गए राजस्व व्यय के लिए जिस धनराशि का दावा किया था, उसका विवरण सभा पटल पर दिनांक 20 नवम्बर, 1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1285 के उत्तर में प्रस्तुत किया गया था। कैलेंडर वर्ष 1971 (निर्धारण वर्ष 1972–73) के लिए उपर्युक्त धनराशि, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा वास्तव में अब तक स्वीकृत की गई है। कैलेंडर वर्ष 1972

(निर्धारण वर्ष 1973–74) के लिए और कैलेंडर वर्ष 1973 (निर्धारण वर्ष 1974–75) के लिए कर निर्धारण को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । कम्पनी द्वारा किए गए दावे निम्नलिखित हैं :—

	1972 लाख रुपये में	1973 लाख रुपये में
(1) विकास छूट . .	2.58	2.17
(2) पूंजी व्यय	33.95	14.18
(3) राजस्व व्यय	79.17	90.50

3. यह सूचना निदेशकों की संबंधित वर्षों की रिपोर्टों से ली गई है ।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का कहना है कि उन्होंने साबुन बनाने में प्रयुक्त सुगंधित वस्तुओं, रसायनों तथा विभिन्न सुगंधित तेलों के उत्पादन द्वारा 1961 से 1971 के बीच लगभग 547 लाख रुपये की बचत की है । अन्यथा इन वस्तुओं के इस देश में आयात करने की आवश्यकता पडती । 547 लाख रुपये का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	सुगंधित तेलों तथा सुगंधित सामग्री में आयात बचत (लाख रुपयों में)
1961	..
1962	11
1963	18
1964	19
1965	46
1966	49
1967	57
1968 . . .	72
1969 . . .	81
1970	84
1971	110
योग	547

इस सूचना की जांच की जा रही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 28 नवम्बर को सभा में दिये गए पहले उत्तरों से पता चलता है कि 1971 कैलेंडर वर्ष के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड न ने कवल हिन्दुस्तान लोवर द्वारा मांगी गई छूट मंजूर की है बल्कि उससे भी अधिक रकम की छूट दी है । मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं । नवम्बर में दिये गये उत्तर में कहा गया था कि 1971 कैलेंडर वर्ष के लिय हिन्दुस्तान लोवर ने 12.31 लाख पये के पूंजोगत व्यय को वट्टे खाते डालने की मांग की थी और आज के विवरण से पता चलता है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वास्तव में 13.04 लाख रुपये की राशि मंजूर की है, जो कम्पनी द्वारा स्वयं मांगी गई राशि से अधिक है ।

क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान लोवर्स द्वारा अंबेरो स्थित उसके तथाकथित अनुसंधान और विकास केन्द्र में आरम्भ में इडली मिश्रण, डोसा मिश्रण, वड़ा मिश्रण गुलाब जामून मिश्रण, केक मिश्रण, सांबर मिश्रण, जलेबी मिश्रण, जैसे उत्पाद बनाये गये है । विश्व के एक बहुत बड़े बहु राष्ट्रीय निगम की यह सहायक विदेशी कम्पनी अपने अंबेरी अनुसंधान केन्द्र में यह महान अनुसंधान करती है जिसके आधार पर वह विकास छटे और अनुसंधान और विकास पर पूंजोगत व्यय और राजस्व व्यय को बट्टेखात डालने की मांग करती है। क्या मंत्री महोदय ने कभी कोई सीधी जांच की है कि इन अनुसंधान और विकास केन्द्र में वास्तव में क्या होता है और क्या सरकार की यह नीति है कि यह कम्पनी जो भी मांग रखे – इस मामले में उसने 3 करोड़ रुपयों से अधिक की छूट मांगी है – उसे सरकार जांच किये बिना स्वीकार कर लेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम माननीय सदस्य द्वारा बताई गई असंगतियों की ओर अवश्य ही केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का ध्यान दिलायेंगे और पता लगायेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है और इसके परिणाम सभा पटल पर रख दिये जायेंगे । जहां तक जांच करने का प्रश्न है, हम जांच किये बिना किसी चीज को स्वीकार नहीं करते है, माननीय सदस्य को संभवत: मालूम होगा कि हमने 1973 से अनुसंधान और विकास यूनिटों के पंजीकरण की एक योजना लागू की है और हिन्दुस्तान लोवर्स का यह यूनिट भी पंजीकृत है । इसलिए हमें न केवल समय समय पर विवरणियां मिल रही है बल्कि हमारे दल वहां गये है और उनका वास्तविक कार्यकरण भी देखा है । हमें देखना होता है कि ऐसी कोई बात न हो जो राष्ट्रीय हित में न हो ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय को इस मामले की पूर्ण जानकारी नहीं है । सरकार ऐसी कम्पनियों को इस प्रकार के अनुसंधान और विकास की अनुमति तब तक नहीं देती है जब तक कि वह आयात प्रतिस्थापन के लिये प्रयोजनार्थ न हो । नवम्बर में मंत्री जी द्वारा दिये गये पहले उत्तर के अनुसार कंपनी का दावा था कि आवश्यक तेलों, सुगन्ध रसायनों और सुगन्धित प्रसाधनों के क्षेत्र में उसके अनुसंधान और विकास केन्द्र द्वारा बनाये गये आयात प्रतिस्थापन उत्पाद साबुन बनाने के प्रयोग किये जाते है, 33 चीजों की एक सूची है जिनके बारे में कहा जाता है कि व देश में पहले कभी नहीं बनाई गई थी। वे चीजे है । यूकिलपटिस तेल, सिट्रोनेला तेल, दालचीनी का तेल, आदि । आप देखेंगे कि अनेक मामूली रसायनें है । यह सोचा भी नहीं जा सकता कि ये चीजे इस देश में पहले नहीं तैयार की गई हैं । क्या सरकार ने कोई जांच की है कि हिन्दुस्तान लिवर्स द्वारा इस देश में निर्मित कितने

टन साबुन में इन तेलों और सुगन्धी प्रसाधनों की कितनी मात्रा की वास्तव में उपयोग किया? मेरी जानकारी तो यह है कि वे यहां पर इनका प्रयोग नहीं करते है बल्कि लन्दन में अपने मूल कम्पनी के उपयोग के लिये भेज रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि गलत कार्य करने से रोकने के लिये नियंत्रण है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस नियंत्रण के लिये क्या व्यवस्था है या सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को इस कंपनी से नियमित रूप से वेतन मिल रहा है?

श्री विद्याचरण शुक्ल: यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे अधिकारी इस कम्पनी से वेतन ले रहे है। इस विभाग में प्रख्यात वैज्ञानिक कार्य करते है। वे इस कम्पनी में जाते रहे हैं और मने माननीय सदस्य द्वारा बताये गये इन सभी मूल रसायनों का एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया है। इस बारे में पृथक रूप से चर्चा हो चुकी है कि ये मूल रसायन हैं या वे भिन्न प्रकार में प्रयोग किये गये हैं। यदि माननीय सदस्य अतारांकित प्रश्न का उत्तर देख तो वे संतुष्ट हो जायेंगे। जहां तक यूक्लिपटिस तथा अन्य चीजों का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि वे इस देश में बनाये जा चुके है और कुछ समय से हमें उनकी जानकारी है। परन्तु इनका इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए कि उसके परिणाम स्वरूप आयात प्रतिस्थापन हो कम्पनी का यही दावा है और हमने जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है क्यों कि . . .

श्री इन्द्रजीत गुप्त: जांच कौन करता है?

श्री विद्याचरण शुक्ल: विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग। यह संतोष हो जाने पर कि इससे आयात प्रतिस्थापन हुआ है इसे रूप में स्वीकार किया जायेगा अन्यथा नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: आप तो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। विवरण के पहले ही वाक्य में यह बात कहीं गई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल: कम्पनी ने यह दावा किया है कि उनके अनुसंधान के परिणाम स्वरूप 5.47 करोड़ रुपये के बराबर आयात प्रतिस्थापन आ है। कम्पनी के इस दावे की जांच की जानि है। जो हमने स्वीकार किया है, वह हम पहल ही बता चुके है। जांच किये बिना हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते है। इस पूर्ण दावे को योजनाबध्द और तकनीकी रूप में जांच करने के बाद यदि हम संतुष्ट हो जाते हैं कि वास्तव में आयात प्रतिस्थापन हुआ है तो इस स्वीकार किया जायेगा अन्यथा नहीं। मैं यहीं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे: मेरा अनुपूरक प्रश्न आयकर अधिनियम के अधीन अनुसंधान और विकास पर राजस्व और पूंजीगत व्यय पर अनुज्ञेय छूट के बारे में है। विशेषत: स्वदेशीय अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने हेतु अनुसंधान और विकास पर पूंजीगत व्यय को बट्टे खाते डालने का आयकर अधिनियम में उपबंध है। एक बहु राष्ट्रीय कम्पनी की सहायक कम्पनी द्वारा लिये जा रहे इस सामान्य लाभ का केवल एकही अर्थ ही निकलता है कि सरकार उस कम्पनी के लाभ में राजसहायता दे रही है जो विदेशों को भेजे जाने है। आवश्यक हो जाता है कि उन मूल नीतियों का मूल्यांकन किया जाये जिनके आधार पर आयकर अधिनियम में यह उपबन्ध किया

गया है । क्या अनुसंधान और विकास पर पूंजीगत व्यय को कटौती को अनुमति देने के उपबन्ध देश के महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों तक ही सीमित रखे जायेंगे और क्या ऐसी स्थिति में जहां कम्पनियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय की छूट देने का प्रश्न पूंजी के विदेशों को भेजने या विदेशी मुद्रा में लाभांश के भुगतान में जुड़ा हों, वहां पूंजीगत व्यय को छूटी न देने के उपबन्ध किये जायेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमन्, अन्तगृह अनुसंधान और विकास विशेष रूप से गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हाल की बात है । अन्तगृह अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिये आयकर अधिनियम में कुछ प्रोत्साहनों का उपबन्ध है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा । लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चाहते है कि ये बहु राष्ट्रीय कम्पनियां या भारत में कारबार करने वाली उनकी सहायक कम्पनियां इस प्रकार के लाभ को अपने देश ले जायें । मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न के उत्तर में बताया कि हम अपनी व्यवस्था के अनुसार यह देखते है कि ये कम्पनियां इसका अनुचित लाभ न उठा पायें तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजना के अधीन पूंजीकृत कम्पनियों की संख्या लगभग 250 है और कुछ एक को छोड़कर सब विशुद्ध भारतीय कम्पनियां है । इन प्रोत्साहनों से वे गत 3–4 वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रही है । काम प्रारम्भ हो चुका है । विभिन्न कम्पनियों द्वारा इस अन्तगृह अनुसंधान और विकास में स्थिरता आ जाने के बाद स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायेगा और हम पता लगायेंगे कि हिन्दुस्तान लीवर्स जैसी बड़ी कम्पनियों द्वारा किसी ऐसे दुरुपयोग को हम किस प्रकार रोक सकते है ताकि वास्तव में भारतीय कम्पनियों और मध्यम स्तरीय कम्पनियों के लिये अभिप्रत लाभों का इन बडी कम्पनियों द्वारा दुरुपयोग न हो ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister just now said that the claims for calendar years 1972 and 1973 would be accepted only after verification. But as regards the claim for 1971 he said "the amounts mentioned above for calendar year 1971 have so far been accepted by the CBDT". May I take it that the claims for 1971 have been accepted without verification?

Shri Vidya Charan Shukla : Perhaps the hon. Member has not listened my answer to Shri Indrajit Gupta that the verification is in progress. They have claimed that a sum of Rs. 5·47 crores has been saved by import substitution. We will not accept this unless we are satisfied that it would not have been possible in India without the research by them. The claim for development rebate, capital expenditure and revenue expenditure for 1971 was verified by the Board of Direct Taxes in accordance with the provisions of Income Tax Act before accepting and allowing the same. As regards the point raised by Shri Indrajit Gupta that the allowance accepted was more than that claimed by the company I have assured that it will be looked into and the findings will be placed before the House. We are concerned only with the import substitution and technical know-how and the other allowances were granted by the Board of Direct Taxes after due verification in accordance with the provisions of the law. We will verify whether there was import substitution or not.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सगन्ध प्रसाधन देश के आवश्यक क्षेत्र में आते और क्या सुगन्ध सामग्री सम्बन्धी अनुसंधान देश के औद्योगिक विकास के अधीन आता है ? क्या सरकार हिन्दुस्तान लीवर्स के कम से कम 80 प्रतिशत शेयर लेगी क्यों कि यह एक विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी है और इसमें पूंजी पर लाभ की दर 22 प्रतिशत अर्थात सबसे अधिक है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सुगन्ध प्रसाधन उद्योग अत्यावश्यक क्षेत्र का उद्योग नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं कि हमने सभी विकास गतिविधियों के लिये गत कुछ वर्षों से ये सुविधायें दी है। श्री गुप्त और श्री साल्वे के प्रश्नों के उत्तर में मैंने कहा था कि कुछ समय बाद हम स्थिति का पुर्नविलोकन करेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार की किसी कम्पनी द्वारा इस सुविधा का अनुचित लाभ नहीं उठाया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या हिन्दुस्तान लीवर्स यूनीलीवर, लन्दन की सहायक कम्पनी है, जिसके इसमें 85 प्रतिशत शेयर है ? क्या यह सच नहीं है कि अकेले 1973 में इसने लाभ के रूप में यूनीलीवर, लन्दन को 146.2 लाख रुपये भेजे थे? क्या यह सच है कि वह इस अनुसंधान और विकास की आई में अधिक लाभ उठा रहे है तथा उसने 5 करोड़ रुपये बचाये और उसे 3 करोड़ रुपए का पनर्भुगतान भी हो रहा है ? क्या इसकी पूर्ण जांच की जायेगी, संभवतः केन्द्रीय जांच ब्यूरों या केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा ? यह एक शक्तिशाली कम्पनी है। मैं अधिकारियों को दोष नहीं देता हूं, जो अधनंगे और भूखे रहते हुए ऐसा करने पर बाध्य हो जाते है। चाहे लाइफबाय हो या सनलाइट या डालडा, वह उसे अनुपलब्ध करा देते हैं। वह देश का शोषण कर रही है। क्या इस लिए सरकार उनकी गतिविधियों और इस मामले की जांच करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य के प्रश्न का पहला भाग वित्त मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये और दूसरे भाग का मैं उत्तर दे चुका हूं। माननीय सदस्य ने अधिकारियों के विरुद्ध दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाये है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हम बम्बई में चल रही विकास गतिविधियों की जांच के लिये साधारण अनुभाग अधिकारियों को नहीं भेजते है। वे प्रख्यात, योग्य और विद्वान वैज्ञानिक होते है। पुलिस अधिकारी वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों की जांच नहीं कर सकते है। हमें मालूम होना चाहिए कि वज्ञानिक और तकनीकी दावे सही है या नहीं। हमें उसके अनुसार ही कार्यवाही करनी होती है। मेरे आश्वासन के बाद माननीय सदस्य की शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। इन मामलों की जांच करनेवाले व्यक्ति इस कम्पनी में काम करने वाले व्यक्तियों से तकनीकी और अन्य प्रकार से यदि अधिक योग्य नहीं तो कम से कम उनके बराबर योग्यता अवश्य रखते है। बेइमानी का कोई प्रश्न नहीं है और न ही हमें किसी से ऐसी शिकायत मिली है। हम मामले की जांच करने वाले वैज्ञानिकों से हम पूर्णतः संतुष्ट है। मैं कह चुका हूं कि पुनर्विलोकन किया जायेगा और यह देखने के लिये कि ऐसी कम्पनियों द्वारा अनुचित लाभ नहीं उठाया जाता, यदि आवश्यक हुआ तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

दिल्ली में साफ्ट कोल के मूल्य

*306. **श्री एम० ई० होरो :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गत तीन महीनों के दौरान साफ्ट कोल के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां ।

(ख) साफ्ट कोक के खुदरा मूल्य दिल्ली प्रशासन द्वारा 18-12-74 से 22.17 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 26.16 रुपये प्रति क्विंटल कर दिए गए थे अर्थात् प्रति क्विंटल 3.99 रुपये तक की वृद्धि की गई है ।

श्री एन० ई० होरो : पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में वर्तमान मूल्य की तुलना में मूल्य कितना कम या अधिक है ? यदि मूल्य में कोई अन्तर हो तो क्या इससे व्यापारियों में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता है और यदि हां, तो ऐसे भ्रष्टाचार में लगे कितने व्यापारी दण्डित किये गये हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पड़ोसी राज्यों में मूल्यों के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं है । प्रश्न बहुत विशिष्ट था :

(क) क्या राजधानी में गत तीन महीनों के दौरान साफ्ट कोल के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

इसलिये मेरे पास केवल राजधानी के बारे में आंकड़े है, न कि पड़ोसी राज्यों के सम्बन्ध में, किन्तु इन आंकड़ों को मैं एकत्रित कर सकता हूं ।

श्री एन० ई० होरो : यह एक प्रारंभिक बात है । मैंने यह जानने के उद्देश्य से प्रश्न पूछा था कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में यह मूल्य कितना अधिक अथवा कम है ।

मूल्य वृद्धि के क्या विभिन्न कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दिल्ली प्रशासन ने जून, 1974 में एक समिति नियुक्त की थी। विभिन्न संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद उसने ऐसा महसूस किया कि साफ्ट कोल के मूल्य में वृद्धि करना न्यायसंगत है । उसने चुंगी केन्द्रीय बिक्री कर, चढाना तथा उतारना, पूंजी पर ब्याज, सेवा प्रभार स्थानीय बिक्री कर, कमी जैसे तथा ऐसे ही अन्य पहलुओं पर विचार किया । इन सभी पहलुओं पर गौर किया गया है और उसके बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है जिसे दिल्ली प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार यह मूल्य वृद्धि हुई है ।

Shri Panna Lal Barupal : Sir, I would like to invite your attention to this fact that a number of Coal dealers keep this, Soft Coal in the open during the rainy season also with the result that it gets wet, but it is sold at the same rate. It is not a kind of adultration? I have a submission to make in this regard. Restriction should be imposed on the sale of such coal and licenses of those coal dealers who violate it should be cancelled.

Mr. Speaker : It is a good suggestion for action.

कोकाकोला की बोतलें भरने के लिए लाइसेन्स/अनुमतिपत्र जारी किया जाना

308. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला की बोतलें भरने के कितनी पार्टियों को औद्योगिक लाइसेन्स, पंजीकरण प्रमाणपत्र और अनुमति पत्र मंजूर किये गये; और

(ख) उपर्युक्त में से प्रत्येक को गत तीन वर्षों की क्षमता मूल्य और उत्पादन क्षमता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9157/75]**

श्री भालजीभाई परमार : क्या यह सच है कि कोका कोला की बोतलें भरने वाले संयंत्र (कारखाने) कच्चे माल के लिए पूर्णतः कोका कोला निर्यात निगम पर निर्भर करते है और उन्होंने 1972 में 6,25,04,273 रुपए मूल्य का माल तैयार किया था और सब कि यह उद्योग केवल 6000 लोगों को नियोजित करता है, उस वर्ग केवल 1,92,12,537 रुपए की विदेशी मुद्रा बाहर गई थी । श्री पाई ने यह कैसे कहा कि यह उद्योग एक लाख लोगों को नियोजित करता है ? मैं नियोजन और देशी मुद्रा के बहिर्गमन के बारे में सचाई जानना चाहता हूं । क्या सरकार इस बहु राष्ट्रीय कम्पनी को विदेशी मुद्रा विनियिमन अधिनियम के अधीन छः महीने के भीतर एक समयबद्ध कार्यक्रम में अपनी इक्विटी घटाकर केवल 26 प्रतिशत करने के लिए बाध्य करेगी और इस सभा को आश्वासन देगी कि इस विदेशी फर्म के भविष्य में कोई रियायती व्यवहार नहीं किया जायेगा ?

श्री बी० पी० मौर्य : यह एक ठंडा पेय है जो सभा में उत्तेजन पैदा कर रहा है।

बोतलें भरने वाली सभी 22 कारखानो द्वारा लगभग 10,000 लोग सीधे नियोजित किये गये है ।

श्री के० एस० चावडा : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री श्री पाई जी ने कहा था कि कर्मचारियों की संख्या एक लाख से अधिक है अब वह कहते है कि 10000 कर्मचारी है किन्तु कोका कोला निर्यात निगम कलकत्ता के अनुसार उनकी संख्या 6,000 है ? इनमें से कौन सी संख्या ठीक है ?

श्री बी० पी० मौर्य : बोतल भरने वाले 22 कारखानों द्वारा जिसमें कोका कोला सांद्रण (कान्सेंट्रेट) उद्योग शामिल है, मोटे तौर पर लगभग 10,000 लोग सील नियोजित किये गये थे, मोटे तौर पर लगभग एक लाख अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित किये गये थे, जहां तक अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित लोगों का सम्बन्ध है, इन आंकडों में वे लोग भी शामिल है जो वितरण से सम्बन्ध है । जहां तक विदेशी मुद्रा का सवाल है उन रासायनिकों की जिनकी सांद्रणों के विनिर्माण के लिए आवश्यकता पड़ती है, आयात करने के लिए प्रति वर्ष 16 लाख रुपए व्यय होते हैं ।

श्री भालजीभाई परमार : मैं जानना चाहूंगा कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के किन उपबन्धों के अधीन बोतल भरने वाले एक कारखाने को उन्ही क्रियाकलापों क लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है। जब कि अन्य कारखानों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किय गये है। इस अधिनियम के किन नियमों तथा उपबन्धों के अधीन बोतल भरने वाले ये कारखाने कच्चे माल के लिए पूर्णतः कोका कोला निर्यात निगम पर निर्भर है और उनक लिए वास्तविक लाइसेंसों की सिफारिश कौन प्राधिकारी करता है ?

औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन कोका कोला निर्यात निर्गम का वस्तुतः क्या दर्जा है ? एसा कहा गया है कि उसे डी० जी० टी० डी० के साथ रिकार्ड किया गया है। "रिकार्ड किया गया है" का क्या मतलब है ? इस निगम की भांति रिकार्डेड दर्जे वाले अन्य कौन कौन से उद्योग एकक है। क्या इस बहु राष्ट्रीय भीमकाय कम्पनी क लिए यह पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है जिसे 15 वर्ष में लगभग 150 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है ? कोका कोला निर्यात निगम द्वारा बुरी तरह एकत्रित की जा रही बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक स्वतः पूर्ण एक प्रश्न होना चाहिए, आपने तो एक ही प्रश्न में कई अनुपूरक जोड दिये हैं।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं इस प्रश्न को भली भांति समझ नहीं पाया। क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न फिर से दूहरायेंगे ? आरम्भ में वर्ष 1953 में चार कारखाने चलाने की अनुमति दी गई थी जो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा कानपुर में है।

Shri Achal Singh : May I know whether it will be possible for us to produce an indigenous substitute for these chemicals which are imported for the manufacture of concentrates in order to save out foreign exchange?

Shri B. P. Maurya : Certain Chemicals including flabour are imported from abroad. So far as future policy is concerned, I would like to assure the hon. Member and this August House that all necessary precautions will be taken to see that foreign companies do not take undue advantage of the Foreign Exchange Regulation Act, 1974.

श्री के० एस० चावडा : क्या अमरीका के कोका कोला निर्यात निगम ने धारा 28 (1) (ग) के अधीन हमारे देश में 21 बोतल भरने वालों द्वारा ट्रेड मार्क का प्रयोग करने के लिए आवेदन किया था। विवरण में कहा गया है कि आम जनता के हितों पर तथा स्वदेशी व्यापार अथवा देश में उद्योग के विकास के बारे में विचार करने के बाद ही रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ता के रूप में विदेशी ट्रेड मार्क के लिये लाइसेंस मंजूर किया जायेगा और भारतीय विनिर्माता विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या सरकार का इरादा बोतल भरने वालों को ट्रेड मार्क का और आगे प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए अमरीका के कोका कोला निर्यात निगम के आवेदन को रद्द करने तथा भारतीय बोतल भरनेवालों को आज से इस ट्रेड मार्क का प्रयोग न करने के लिए बाध्य करने का है ?

श्री बी० पी० मौर्य : इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा और समिति द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली में पुलिस बल का पुनर्गठन

311. श्री वरके जार्ज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिचार दिल्ली में पुलिस बल का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय, में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् । पुलिस के कार्यकरण का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है। वित्तीय प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए आवश्यकता पड़ने पर बल की संख्या तथा गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए उपाय किए गए हैं।

श्री वरके जार्ज : शहर में लगभग हर रोज बढ़ते अपराधो को देखकर और इस बात को भी ध्यान में रखकर कि अधिकतर अपराधों का पता नहीं लगता, क्या दिल्ली शहर में पुलिस बल को पुनर्गठित करने का यह समय उपयुक्त नहीं है ?

श्री ओम मेहता : जैसा कि मैंने प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा है कि वित्तीय प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए आवश्यकता पड़ने पर बल की संख्या तथा गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए उपाय किए गये है। इसलिए निरन्तर उपाय किये जा रहे है । यदि माननीय सदस्य चाहे तो मैं उन्हें सूचित कर दूंगा कि इस बल का पुनर्गठन करने के लिए क्या क्या उपाय किये जा रहे है ।

श्री वरके जार्ज : क्या पुलिस बल को इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस के अधीन रखने के बदले बम्बई तथा मद्रास की भांति उसे पुलिस कमिश्नर के अधीन रखने की पद्धति चालू करने का कोइ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री ओम मेहता : जी, नहीं । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री पी० वैंकटासुब्बया : क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की और दिलाया गया है कि दिल्ली में पुलिस पर लोगों का विश्वास घटता जा रहा है क्योंकि बहुत से मामलों का पता नहीं लग रहा है । मै भी इसका शिकार हो चुका हूं । मेरे घर में तीन बार चोरी हो गई है और अभी तक एक का भी पता नहीं लगा है । ये सभी चोरियां दिन में हो रही है, ये दिन दहाडे लूट है । इन सभी चीजों को पृष्ठभूमि में क्या मंत्री महोदय यह बता देंगे कि क्या पुलिस बल को पुनर्गठित करने के लिए केवल प्रभावी उपाय ही नहीं किये जायेंगे अपितु अपराधों का पता लगाने के लिए भी विशेष जौर दिया जायेगा और जनता में भी यह विश्वास पैदा किया जायेगा कि उसे वस्तुतः संरक्षण प्राप्त है और कानून तथा व्यवस्था कायम रहेंगे ।

श्री ओम मेहता : पुलिस की समूचे रूप में निन्दा नहीं की जा सकती । जब कभी अपराधों के बारे में पुलिस को बताया जाता है अथवा अपराधों का उसे पता लगता है, वे तुरन्त कारगर उपाय करने की कोशिश करते है । जब भी नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) को सूचित किया जाता है, अधिकारी वहां जाते है और अपराध का पता

लगाने का प्रयत्न करते है । जहां तक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है 1968 में महरोली में हमने एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जहां अपराधों का पता लगाने एवं अपराधों की वैज्ञानिक जांच पड़ताल करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है । दिल्ली की आबादी हर वर्ष पांच प्रतिशत बढ रही है । दिल्ली की आबादी इस समय लगभग 47 लाख है । फिर भी हम अपराधों का पता लगाने को भरसक कोशिश कर रह हैं चाह उनके बारे में सूचना देरी से ही क्यों न दी जाए। माननीय सदस्य के घर जो चोरियां हुई है उन्हें हमने नोट कर लिया है । किन्तु दुर्भाग्यवश अपराधो का पता लगाना इतना आसान नहीं है । उदाहरणार्थ जब मैं संसद सदस्य था उस समय मेरे घर म भी चोरी हुई थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्रियों के घरों में चोरियां नहीं होती है । व श्री वेंकट-सुब्बया जैसे सदस्यों के घर में ही होती है । क्या महरोली प्रशिक्षण का यही नतीजा है ?

श्री ओम मेहता : यदि श्री ज्योतिर्मय बसु के घर में चोरी हो जाए, तो उसका उसी तरह निश्चित रूप से पता लगा जायेगा जिस तरह श्री वकटसुब्बया के घर से चोरी के मामले में लगाया जा रहा है । किन्तु उन्होंने चोरी क बार में कभी कोई रिपोर्ट नहीं की, पहले वह चोरी की रिपोर्ट करें तब देख कि हम वहां पहुंचते है या नही ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप गृह-कार्य मंत्री है, आप खुद अपने मामलों की जांच-पडताल करे ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री जी ने कबूल किया है कि दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही है और वित्तीय प्रतिबन्धो के कारण वह पुलिस बल में वृद्धि नहीं कर सकते, इस सब के बावजूद, तेजी से बढ़त हुए अपराधों तथा यातायात सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए और ईस बात को भो देखतें हूए कि कुछ मामलों में यातायात नियमों को बहुत गंभीर रूप से उल्लंघन किया जाता है और सड़को पर मौतें बहुत रहस्यपूर्ण ढंग से होती हैं, सरकार एसी विशेष तथा गंभीर दुर्घटनाओं और घटनाओ के बारे में क्या कर रही है ? क्या पुलिस को गुणात्मक दृष्टिकोण के रूप में कोई विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्री ओम मेहता : जैसा कि मैंने श्री वेंकटा सुब्बया के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि महरोली में एक विशेष पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है जहां अपरा ों की वैज्ञानिक आधार पर जांच पड़ताल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जब कभी पलिस नियंत्रण कक्ष को किसी दुर्घटना की सूचना मिलती है, हमारी गश्ती गाडियां तुरन्त उस स्थान पर पहुंच जाती है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करतो हैं । हमन पुलिस की संख्या बढ़ान का प्रयत्न किया है और पुलिस चौकियां बढा दी है । सभी बस स्टापों तथा रलवे स्टेशनों पर पुलिस कान्स्टेबल सादे कपड़ो तथा वर्दियों में तनात किये जात ह ताकि वे इस प्रकार के अपराध न होने दें ।

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister has stated that the Police Force is being given special training. Inspite of this, cases of thefts, and crimes are increasing rapidly. A theft was committed at my residence also and the thief was caught. Some articles were recovered but a typewriter is not yet found. The former Home Minister Shri Uma Shankr Dixit had assured that it would be recovered but there is no progress. Thefts are increasing day by day. I want to know whether Government are formulating any Scheme to check these thefts and crimes.

Shri Om Mehta : The number has been static during the last four years. The crimes are not increasing at a rate at which the population is increasing. The number of cases registered during 1971 was 29,235, during 1972 was 32,551, during 1973 was 34174 and during 1974 their number was 33,824. The number of crimes would have gone much higher had we not taken preventive measures to check them. As a result of these steps the number of these crimes did not increase in proportion to the population.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

किन्नौर-स्पीति के भूकम्प का भाखड़ा झील पर प्रभाव और जलाशय में गाद जमना

*303. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्नौर-स्पीति के हाल के भूकम्प तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाले भूतलीय विरूपण के कारण भाखड़ा झील की प्रवृत्ति के प्रभावित होने तथा जलाशय में गाद जम जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह आशंका है कि जलाशय का जल-स्तर मई के अन्त तक 1462 फुट के न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बिजली की गंभी स्थिति का सामना करने के लिए क्या उपाय सोचे जा रहे है ?

(ऊर्जा मंत्री) श्री कृष्ण चन्द्र पंत : (क) ऐसा कोई संकेत नहीं है ।

(ख) क्रियाशील संचयन के समुपयोजन के लिए भाखडा जलाशय को सामान्यतः हर वर्ष 1462 फुट के स्तर तक कम कर दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

National Titles or Awards to Indians Living Abroad

*304. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to honour with national titles or other awards those Indians living abroad who work in foreign countries for national honour such as Indian way of life, Indian culture, Indian citizenship; and

(b) if so, the facts thereof?

3—14 L.S.S. (ND)/75

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddi) : (a) and (b) Titles cannot be conferred under the provisions of the Constitution. Presumably the reference is to the Padma awards conferred on the Republic Day each year. All Indian nationals including those living abroad are eligible for the awards without distinction of race, occupation, position or sex. Several Indians residing abroad have been conferred the Padma awards for exceptional and distinguished services in the fields of science, art, literature, public services etc.

विदेशी मुद्रा के बदले दुर्लभ कच्चा माल देना

***307. डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से भारत आने वाले भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा भेजे जाने पर और उन व्यक्तियों से विदेशी मुद्रा मिलने पर जिसके रिश्तदार विदेशों में रहते है और जो सीमेन्ट तथा इस्पात के लिये विदेशी मुद्रा भेजते है, सीमन्ट तथा इस्पात जैसा दुर्लभ कच्चा माल देने की योजना के सम्बन्ध में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा को इस देश में भेजी गई राशि पर सीमट का प्राथमिकता के आधार पर नियतन करने की एक योजना 15 फरवरी, 1975 स लागू की गई है । यह योजना निम्न प्रकार की श्रेणियो के व्यक्तियों के लिए लागू की गई है :—

(1) भारतीय राष्ट्रिक जो विदेश से भारत लौट आये है, और

(2) विदेशों में रहने वाले भारतीयों के संबंधी जब उन्हें उनके संबंधियों से सोमेंट खरोदने के लिए विदेशी मद्रा मिलती है ।

आवेदक को निम्न लिखित मुख्य शर्तों का पालन करना पड़ता है :—

(1) जितना सीमेंट, वह खरोदना चाहता है उसके मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा या तो लाया हो या प्राप्त की हो, इसका हिसाब 560 रु० प्रति मी० टन की दर से लगाया जाता है;

(2) इस योजना के अन्तर्गत अपरिवर्तनीय लेखे में जमा की गई विदेशी मुद्रा का विदशों को पुनः स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा; और

(3) आवेदकों को वचन देना पड़ेगा कि उसे आबंटित सीमेंट को वह सीमेंट नियंत्रक की पूर्व अनुमति के बिना न तो दुबारा बेचेंगा और न ही वह इस प्रकार आबंटीत सिमेंट कों किसी भी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य के लिए जिस पर सीमेंट के प्रयोग के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, सीमेंट का इस्तेमाल करेगा ।

प्राथमिकता के आधार पर इस्पात का नियतन करने की ऐसी कोई भी योजना नहीं है ।

सरकार को सीमेन्ट के कोटे में कमी

*309. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा सरकार को सीमेन्ट सप्लाई किये जाने का कोटा बढ़ाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

*310. **श्री शशि भूषण** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी ब्रांड मालिकों के साथ बिना रायल्टी के करार किये जाने के बावजूद भारतीय कम्पनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं, विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं के लिये विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग पर सरकार का कैसे प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 (1) (ग), जो वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, में यह व्यवस्था है कि विदेशी कम्पनी को किसी शाखा अथवा 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी हित वाली कम्पनी को किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिदान पर किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी द्वारा अपने ट्रेड मार्कों का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 को लागू करने के मार्गदर्शक सिद्धान्तों को श्रेणी II (ख) के अधीन उपभोक्ता के व्यापक हित में आवश्यक अथवा अनुषंगी वस्तुओं के बारे में आंतरिक व्यापार की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि कम्पनी को उनके द्वारा विनिर्दित न की गई वस्तुओं के बारे में आंतरिक व्यापार के लिए उनके ट्रेड मार्कों अथवा ब्रांड नामों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अतिरिक्त व्यापार तथा वाणिज्य अधिनियम 1958 में ट्रेड मार्कों के लाइसेंसधारियों को पंजीयित प्रयोक्ता के रूप में पंजीकृत करने की व्यवस्था है। ट्रेड मार्क के लाइसेंसधारि को पंजीयित प्रयोक्ता के रूप में पंजीकृत करने को अनुमति देश की आम जनता और देशी उद्योग, व्यापार अथवा वाणिज्य के विकास के हित को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। विदेशी सहयोग के लिए अनुमति प्रदान करते समय निरपवाद रूप से यह शर्त रखी जाती है कि भारतीय विनिर्माता उन वस्तुओं पर विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे जो आंतरिक बाजार में बेची जानी है। यह इस बात पर विचार किये बिना है कि इसमें कोई रायल्टी अथवा भुगतान किया जाना है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा बेव-आफसेट रोटरी छपाई मशीन का निर्माण

*312. श्री एच० के० एल० भगत :

श्री टूना उराव :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे को :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की बेव-आफसेट रोटरी छपाई मशीन का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० की जो छपाई मशीनों को विभिन्न वस्तुओं का पहले से ही निर्माण कर रहे हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बव-आफसेट रोटरी छपाई मशीनों का निर्माण करने की एक योजना है । फिर भी ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

Explosion in Baljit Nagar/Prem Nagar, New Delhi

***313. Shri M. S. Purty :**

Shri P. Venkatasubbaiah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there was a bomb explosion in a hut in Baljit Nagar/Prem Nagar near West Patel Nagar, New Delhi on the night of the 13th February, 1975;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the investigation made in regard to the manufacture of this bomb?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir, the explosion took place at about 1.30 a.m. on 4th February, 1975.

(b) The explosion occurred in the hut of Shri Mani Ram. As a result the roof of the hut was blown off and the walls developed cracks. One Shri Ram Nath Saha was found lying seriously injured at the spot.

(c) The Delhi Police have registered a criminal case under the Indian Penal Code, the Explosive Substances Act and the Arms Act. Four persons have been arrested. The accused persons were allegedly manufacturing bombs in course of which the explosion occurred. The case is under investigation.

कोक ओवन गैस से औषधियां बनाने के बारे में अनुसंधान

*314. श्री सी० एम० सिन्हा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीटयूट, लखनऊ द्वारा किये गये अनुसंधान के अनुसार, इस्पात मिलों में उत्पादित कोक ओवन गैस से कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ बनाई जा सकती है;

(ख) क्या कुछ मंत्रालयों में इस मामले पर विशेषज्ञों के कुछ सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार अंतिम निर्णय कब तक कर सकेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान (सी० डी० आर० आई०) लखनऊ द्वारा ऐसा कोई अनुसधान कार्य नहीं किया गया है । आर्थिक स्वतंत्रता और औषध उद्योग के संदर्श हेतु 21–22 दिसम्बर 1974 को नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में डा० नित्यानन्द निदशक और डा० बी० सी० बोहरा, अध्यक्ष, किण्वन तकनीकी अनुभाग द्वारा संयुक्त रूप में औषध एंव औषधिया के क्षेत्र में पूर्ण निर्भरता के प्राप्ति के उद्देश्य एवं लक्ष्य हेतु प्रस्तुत किय गये पेपर में यह कहा गया है कि हमारे देश में कोल कार्बनी करण के उप-उत्पाद माध्यमों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है । हमारे देश के रासायनिक उद्योग में ईस बात को विकसित करने के लिए कोई विशेष ध्यान नही दिया गया है । पेपर में यह सुझाव दिया गया था कि स्थापित इस्पात संयंत्र को अपने यूनिटों (एककों) की स्थापना करनी चाहिये ताकि कोल कार्बनीकरण के उप-उत्पादों को इंधन के रूप में इस्तेमाल करने के अतिरिक्त रासायनिक उद्योगों में उपयोग में लाया जा सके ।

(ख) और (ग) पेपर के तथ्यो को नोट कर लिया गया है ।

कोयला खान प्राधिकरण तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयला श्रमिकों को बढ़ी हुई मजूरी का भुगतान न किया जाना

*315. **श्री रोबिन सेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोयला खान प्राधिकरण तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयला श्रमिकों के जनवरी 1975 से बढ़ी हुई मजूरी का भुगतान न किये जाने के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नई मजूरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने प्राधिकारियों को आदेश देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझोता, जिस पर नई दिल्ली में 11 दिसंबर 1974 को हस्ताक्षर हुए थे, 1 जनवरी, 1975 से लागू हुआ । अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अधीन बढी हुई परिलब्धियों को जमा करने हेतु की जाने वाली कटोतियों के बारे में स्पष्टोकरण प्राप्त करने के बाद उपर्युक्त समझोते के कार्यान्वयन पर समझोते में भागीदार कोयला कम्पनियों के प्रबधकों तथा ट्रेड यूनियनों के बीच, 8 तथा 9 फरवरी, 1975 को चर्चा हुई। इस बैठक में तय हुआ कि समझोते के अनुसार बढी हुई मजदूरी का चालू भुगतान 24 फरवरी, 1975 से और उसके बाद से किए गए काम के लिए किया जाएगा और 1 जनवरी तथा 23 फरवरी के बोच किए गए कार्य के लिए मजदूरी की बकाया राशि का अप्रैल 1975 के शुरू में भुगतान किया जाएगा ।

रूस से मशीनी औजारों के लिये क्रयादेश

***316. श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने हिन्दुस्तान मशीन टुल्स को मशीनी औजारों के लिये कोई क्रयादेश दिये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हंगरी के सहयोग से मैसूर के निकट कारखाना स्थापित करना

***317. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर नगर के निकट टुंगसटन वायर और फिलामेंट कोयल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिये भारत-हंगेरी संयुक्त उद्यम की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी तथा इसमें कितना उत्पादन होगा और उसमें कब से उत्पादन आरम्भ होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) टंगस्टन वायर तथा फिलामेंट कायलों का वाणिज्यिक उत्पादन करनें के लिए मैसूर शहर के समीप किसी भारत-हंगेरी संयुक्त उद्यम के स्थापित किये जाने का कोई विचार नहीं है । फिर भी, सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटड को हंगरी के मे० टंगस्टम के तकनीकी सहयोग से अपने हैदराबाद एकक में लैम्प बनाने वाली मशीनों, लैम्पों तथा हिस्स पुर्जों जिसमें टंगस्टन वायर तथा फिलामेंट कायल शामिल हैं का निर्माण करन के लिए हाल ही में स्वीकृति दी है ।

वर्ष 1974 की अंतिम तिमाही के दौरान ताप बिजली उत्पादन में वृद्धि

***318 श्री डी० डी० देसाई :**

श्री हुकुम चन्द कछवाय :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 की अंतिम तिमाही के दौरान ताप बिजली उत्पादन वर्ष 1973 की इसी अवधि की अपेक्षा अधिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है;

(ग) क्या ताप बिजली में वृद्धि से इस बात का संकेत मिलता है कि सुधार प्रक्रिया में स्थायित्व आ गया है; और

(घ) क्या ताप बिजली घरों से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने क लिए हाल ही में कोई ठोस कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) जी, हां । 1974 की अन्तिम तिमाही के दौरान, 1973 की इसी अवधि की अपेक्षा वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों (वर्ष के दौरान चालू किए गए नए कन्द्रों क उत्पादन को छोड़ कर) से विद्युत उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ग) ताप विद्युत के उत्पादन में यह सुधार, ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के संगटित प्रयत्नों द्वारा हुआ है और यह प्रत्याशा है कि इस सुधार को बनाए रखा जाएगा ।

(घ) ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) अतिरिक्त पुर्जों के पर्याप्त मात्रा में अधिप्राप्ति और भंडार बनाना ।

(2) विद्युत केन्द्रों के साथ कोयला खानों के उचित लिंकों द्वारा विभिन्न विद्युत केन्द्रों को कोयले को ढुलाई को युक्तियुक्त व्यवस्था करना, जिससे बायलरों को अभिकल्प आवश्यकताओं के अनुरूप, अनुकूल किस्म के कोयले के पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके ।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों के प्रचालन तथा रख-रखाव का बराबर संचालन (मानीटरिंग) ।

(4) प्रचालन और रख-रखाव कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

(5) विद्युत प्रणालियों के एकीकृत प्रचालन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त क्षमताओं के अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों की शीघ्रतापूर्वक निर्माण ।

(6) जहां तक संभव और आवश्यक हो, लोडों को सूचीबद्ध करके बारी-बारी से उनकी पूर्ति करना जिससे लोडों के घट-बढ़ को कम किया जा सके और इससे तापीय उत्पादन यूनिट एक समान उच्च लोड गुणांक पर कार्य कर सकते हैं ।

(7) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, कोयला विभाग, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटड, इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके एक स्थायी समिति की स्थापना की गई है जो विभिन्न यूनिटों के कार्य निष्पादन पर लगातार निगरानी रखेगी और जहां आवश्यक होगा तुरन्त सुधारात्मक/उपचारी कार्यवाही करेगी ।

(8) ताप विद्युत केन्द्रों की रख रखाव/क्रियाविधि के आधुनिकीकरण और उनकी प्रबंध व्यवस्था में सुधार करन के लिए उपाय किए गए हैं ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों की वापसी

319. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा मितव्ययिता अभियान के अन्तर्गत टेलीफोन विभाग को वापस किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या है ;

(ख) दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों के निवास स्थानों पर कितने टेलीफोन कनेक्शन अभी तक चालू है जहां पर सीधे डायल घुमा कर टलीफोन करने की व्यवस्था अभी तक समाप्त नहीं की गई है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 5 (पांच) ।

(ख) 267 ।

(ग) नगर निगम को स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा जा रहा है ।

भाखड़ा प्रबंध बोर्ड द्वारा विद्युत-उत्पादन में वृद्धि

*320. **चौ० राम प्रकाश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा प्रबंध बोर्ड द्वारा हाल ही में विद्युत उत्पादन में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां ।

(ख) 10–2–75 से दैनिक विद्युत उत्पादन 80 लाख यूनिट से बढ़ाकर 84 लाख यूनिट कर दिया गया था और 11–3–1975 से इस में और वृद्धि करके 95 लाख यूनिट कर दिया गया है ।

मैसर्स शार्पएज लिमिटेड का निर्माण

*321. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स शार्पएज लिमिटेड नामक एक निजी सहायक कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और एस्कोर्टस द्वारा मिलकर बनाई गई है;

(ख) क्या शार्पएज लिमिटेड एस्कोर्टस और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में से किसी भी कम्पनी के पास इरस्मिक ब्लेडों के उत्पादन के लिए मूलभूत कच्चे माल के लिए लाइसेन्स नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो केवल मुनाफा कमाने के उद्देश्य से इस प्रकार के सहयोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मैसर्स शार्पेज लिमिटेड प्रतिवर्ष 30 करोड़ सेफ्टी रेजर ब्लेड बनाने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीयित है । इन्हें 'वास्तविक उपयोक्ता आयाव व्यापार नियंत्रण नीति' के अनुसार कच्ची सामग्री की सहायता मिलती है । मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० और मैसर्स एस्कोर्टस न तो सेफ्टी रेजर ब्लेड बनाने के लिए लाईसेन्स शुदा/पंजियित है और न हो वे स्टेनलेस स्टील और कारबन स्टील की पट्टियाँ बनाते है जो रेजर ब्लेड उद्योग की आधारभूत सामग्री है । इस कंपनी का गठण करने में कोई भी अवैधता या अनियमितता सरकार की जानकारी में नहीं आयी है ।

तमिलनाडु में टेलिफोन कनेक्शन

*322. **श्री था किरूतिनन : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में तामिलनाडु में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये;

(ख) कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े है; और

(ग) क्या आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के बाद कनेक्शन देने में असाधारण विलम्ब होता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 12,760 ।

(ख) 31–12–1974 को 25,120 ।

(ग) कुछ एक्सचेंज इलाकों में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब होता है । नए टेलीफोन देने में विलम्ब होने का कारण यह है कि एक्सचेंज की क्षमता सीमित होती है । टेलीफोन की बकाया पड़ी मांगों की सीमित उपलब्ध साधनों द्वारा ही यथासंभव ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरा करने के लिए टेलीफोन प्रणालियों का विस्तार करने की लगातार कोशिशें की जाती है । पांचवीं योजना के दौरान तामिलनाडु की टेलीफोन प्रणालियों में लगभग 24,000 लाइनें बढ़ाने की योजना है ।

कोंकण क्षेत्र में डाक-तार कार्यालय

*323. **श्री मधु दण्डवते : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों को डाक तार कार्यालयों का डाक राजस्व डाक सुविधाओं को जारी रखने के लिए निर्धारित न्यूनतम डाक राजस्व से कम होने पर भी चालू रखने की अनुमति दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के डाक-तार कार्यालयों को प्रदान की जायेगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पिछड़े इलाकों में प्रयोग के तौर पर खोले गए डाकघरों को 10 साल तक चालू रखने की अनुमति दी जाती है । इसके बाद उन्हें चालू रखने के बारे में फिर से विचार किया जाता है ।

(ख) उपर्युक्त नियम सभी पिछड़े इलाकों पर लागू होता है ।

Detention of Hoarders in Rajasthan under M.I.S.A.

2935. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether the Rajasthan Government have so far nabbed any hoarders under MISA and if so, their number ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : According to information received from the Government of Rajasthan, 13 persons were detained under the Maintenance of Internal Security Act, 1971, in the State for reasons connected with hoarding activities during the period from 7-5-71 to 28-2-75.

सूरी डाकघर के एक डाकिये को सेवानिवृत्त करना

2936. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जिला बीरभूम के सूरी डाकघर के एक डाकिये को 9 महीने के लिए सेवा-निवृत्त कर दिया गया था और उक्त अवधि के पश्चात उसे पुन: नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस डाकिये का नाम क्या है तथा उक्त अवधि के लिए उसे बिना वेतन अथवा पेंशन दिये सेवा निवृत्त करने के क्या कारण थे;

(ग) उक्त डाकिये को असुविधा पहुचाने के लिए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के ध्यान में ऐसे कितने मामले लाये गये ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) सूरी मुख्य डाकघर के डाकिये श्री सैयद अली हुसैन को स्थानीय प्राधिकारियों ने 1–5–74 से सेवा से मुक्त किया था और उनके लिए अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी मंजूर की थी। बाद में यह पता चला कि वे 1938 से पूर्व भर्ती हुए थे, इसलिए वे 60 वर्ष तक सेवा करने के अधिकारी थे जब कि उन्हें गलती से सेवा मुक्त कर दिया गया था। इसलिए, उक्त कर्मचारी को 15-1-1975 से तुरंत नोकरी पर फिर से बहाल कर दिया गया।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई दूसरा मामला विभाग की जानकारी में नहीं आया है ।

Foreign Infiltrators in India

2937. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will tne Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether infiltrators from several countries have come to India during the last three years;

(b) if so, the country-wise number thereof; and

(c) the action taken by Government to check it?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Monsin): (a) to (c) Information is being collected from the State Governments and the Union Territories and would be laid on the Table of the House on receipt.

Memorandum Submitted to Prime Minister on behalf of People of Ladakh

2939. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of the **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a memorandum was presented to the Prime Minister on behalf of the people of Ladhakh on the 25th March, 1974 regarding the position prevailing in the area;

(b) if so, the demands contained therein; and

(c) the reaction of Government tnereto?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahamananda Reddi) : (a) and (b) A memorandum on behalf of the Action Committee for Central Administration in Ladakh was presented to the Prime Minister by Shri Kushok Bakula and two other members of Parliament. The memorandum recounted the administrative and development needs of Ladakh and urged upon the Government of India to take over the administration of Ladakh.

(c) Government are of the view that the suggestion regarding Central administration of Ladakh is basically an expression of the desire of the people of Ladakh for the accelerated development of the area.

कोयला खान प्राधिकरण के तकनी की निदेशक के बंगले पर कब्जा किया जाना

2940. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या ऊर्जा मंत्री कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण के बारे में 20 दिसम्बर 1973 के अतारांकित प्रश्न सख्या 5545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण के पूर्व डिवीजन के क्षेत्र संख्या 3 में 17 मई, 1973 को अथवा इसके आसपास तकनीकी निदेशक के बंगल का ताला तोडकर उस पर जबरन कब्जा किया गया था; और

(ख) 30 जनवरी, 1973 को तथा 30 मई, 1973 को बंगले पर किसका कब्जा था ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सबंधित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Detaining of delegates to World Hindi Conference by Police

2941. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether students and the teachers of the Nehru University and Banaras Hindu University who were the delegates to the World Hindi Convention had been detained by the police in biting cold for five hours at the gate of the convention and intimidated in many ways;

(b) whether there were some eminent and popular writers among them;

(c) whether these police excesses during the said convention carrying on literary and cultural programmes, have been probed; and

(d) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) to (d) The required information has been called for from the Government of Maharasthtra and will be laid on the Table of the Lok Sabha on receipt.

सरकारी क्षेत्र में टायर का कारखाना

2942. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में टायर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में उक्त कारखाने की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार का क्या निर्णय है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में एक मोटरगाड़ी के टायर बनाने की एक प्रायोजना — स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस प्रायोजना के स्थापनास्थल के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

Renaming of Andaman and Nicobar Islands

2943. **Shri Jharkhande Rai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made so far in naming Andaman and Nicobar Islands as "Swarajya" and "Shaheed";

(b) whether Government are aware that Netaji Subhas Chandra Bose had taken such a vow; and

(c) whether Government are also aware that the entire Lok Sabha had supported this idea with one voice during a debate on a Private Member's Bill?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) At present there is no proposal under the consideration of Government for renaming the Andaman and Nicobar Islands.

(b) The Government have no information.

(c) Demands had been raised on various occasions on the floor of this House to change the name of the Islands as "Swaraj Dweep", "Shaheed Dweep", "Subhas Dweep", "Bharat Dweep", etc. The issue has also figured sometimes in the Meetings of the Advisory Committee associated with the Minister for Home Affairs. The Advisory Committee has been unanimously of the view that any change in the name of the Islands would hurt the sentiments of the local people and therefore the present name should not be changed. In view of this Government do not propose to make any changes in the name of the Islands.

डाकघरों में टेलिफोन बिलों का भुगतान

2944. **श्री मौलाना इसहाक सम्भाली :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में डाकघरों को टेलीफोन बिलों का भुगतान लेने के लिए अधिकृत करने हेतु क्या मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या नानकपुरा डाकघर, नई दिल्ली-21 जो दक्षिण दिल्ली में सोर्टिंग कार्यालय है, को ऐसे डाकघरों की सूची में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस डाक घर को शामिल करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है जिसके अन्तर्गत मोतीबाग, आनन्द निकेतन और शांति निकेतन क्षेत्र आते हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) टेलीफोन उपभोक्ताओं को सघनता और बिखराव तथा इलाके की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली/नई दिल्ली के बाहरी इलाकों में इस उद्देश्य के लिए डाकघरों का चुनाव किया जाता है ताकि उन बस्तियों में, जहां कम से कम 1,000 टेलीफोन उपभोक्ता हों, यह सुविधा मिल सके और किसी भी उपभोक्ता को बिल को अदायगी के लिए पास के वसूली केन्द्र तक जाने में 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े ।

(ख) जी नहीं । इसे शामिल नहीं किया गया है ।

(ग) ऊपर बताए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए नानकपुरा, डाकघर को वसली केन्द्रों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को डाक तार विभाग जांच करेगा ।

कोकिंग कोयला खानों के प्रबन्धकों का जमा खर्च

2945. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** 1 सितम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4194 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में 22 दिसम्बर, 1972 को सभा पटल पर रखी गई सूचना, 10 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9865 के उत्तर तथा 20 दिसंबर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5308 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकिंग कोयला खानों के सरकारी प्रबन्धकों के पास जमा खर्च के सम्बन्ध में ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी के शेयरधारियों की संख्या क्या है;

(ग) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की 'राशियों' की अदायगी / अदायगियां आयुक्त को कब की गई थी; और

(घ) नेट निबल जमा बकाया की अदायगियां बैंकों अथवा आयुक्त को किन तिथियों को की गई थी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रसारण हेतु समाचारों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिध्दान्त

2946. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त है जिनके अनुसार दिन भर में एकत्र किये गये समाचारों का चयन किया जाता है तथा समाचार बुलेटिनों में प्रसारण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ये मार्गदर्शी सिद्धान्त किस प्रकार के हैं तथा समाचारों के चयन और इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी नई दिल्ली के मामले में गत तीन वर्षों के दौरान कोई ऐसे अवसर आये है जब कि समाचार प्रसारण इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हुआ;

(घ) क्या इस अवधि में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है जब कि किसी समाचार को पर्याप्त समय न दिया गया हो ; और

(ङ) यदि हां, तो वर्षवार प्राप्त ये शिकायतें किस प्रकार की तथा कितनी है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) समाचार संग्रह करने तथा आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों के माध्यम से उनका प्रसार करने में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं है । उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि समाचारों का प्रसारण सही, निष्पक्ष और तुरन्त हो ।

(ग) से (ङ) इस मूल बात से विचलन नहीं हुआ है, यद्यपि समाचारों के निरंतर और गतिमान स्वरूप के कारण यदा-कदा अनजाने में गलतियों की भावना से इंकार नहीं किया जा सकता । यदा-कदा कुछ शिकायतें की गई है किन्तु व निराधार पाई गई है ।

यह महसूस किया जाता है कि गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई इस प्रकार की सभी शिकायतों की जांच करने के लिए जितने समय और प्रयास की आवश्यकता है वह उपयोगी नहीं होगा ।

Grant of Pension to Freedom Fighters from Madhya Pradesh

2947. Shri Bhagatram Rajaram Manhar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh State Government have recommended some new names of freedom fighters for pensions and their names are still to be asked for from some districts; and

(b) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in The Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) No new recommendations have been received from the Government of Madhya Pradesh after 31-3-74, Government of India has no information whether the State Government are awaiting any recommendations from some districts.

(b) Does not arise.

Licences for Setting up of Industries in Rewa (Madhya Pradesh)

2948. Shri Martand Singh : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the name s of the companies which were granted licences for setting up industries in Rewa district of Madhya Pradesh during the last three years and the industries for which these licences were issued ;

(b) the number of the companies which have set up industries and the names of these industries and the number of industries likely to be set up in the near future;

(c) whether some instructions were issued by the Central Government in regard to the time-limit for setting up such approved industries in Madhya Pradesh districts; and

(d) if so, the full facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) and (b) A letter of intent has been issued in March 1975 in favour of Shri S. Lall, New Delhi for the establishment of a new undertaking in Rewa District for the manufacture of wrapping and packing paper.

(c) and (d) According to the general instructions applicable to all cases of industrial licensing, the holder of a letter of intent is allowed a period of one year (which may be further extended by another year) to fulfil the conditions laid down in the letter of intent and to obtain the necessary cleacranes. Thereafter the letter of intent is converted into an industrial licence. The licencsee is required to commission the project within a period of two years (which may be extended by another two years). In exceptional cases, Government may allow longer time limits.

केरल में गांवों का विद्युतीकरण

2949. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975 क दौरान केरल में किन-किन गांवों में बिजली लगाई जायेगी और गत वर्ष के दौरान राज्य में किन किन गांवों में बिजली लगाई गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : 1974–75 वर्ष के दौरान, केरल राज्य बिजली बोर्ड का 14 गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है । ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	गांव का नाम	क्रम सं०	गांव का नाम
1.	कुट्टियात्तूर	8.	पेरूवलूर
2.	कोत्तूर	9.	अरूर
3.	चेरुमुण्डास्सेरी	10.	मदिक्काई
4.	वेंगास्सेरी	11.	कोलाथुर
5.	अत्तावानाद	12.	चेलाकूड
6.	अरालम	13.	कुरुमला
7.	ओलक्कारा	14.	चलावरा

वर्ष 1973–74 में 37 गांव विद्युतीकृत किए गए थे, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	गांव का नाम	क्रम सं०	गांव का नाम
1.	पावर	20.	वेलायुर
2.	पटला	21.	करिम्पुर
3.	श्रीभागली	22.	अरिम्बरा
4.	पनायाल	23.	उराकोम मेलयुरी
5.	चेमेनी	24.	उराकोम किजुयुरी
6.	नेदियांग	25.	अनामंगड
7.	मनियूर	26.	पत्तीथारा
8.	शिवपुरम	27.	थिरुवाझमकुन्नु
9.	कन्नावाम	28.	अलानल्लुर
10.	मननथेरी	29.	शोलायुर
11.	करियाद	30.	कुलुक्काल्लुर
12.	अंचुकुन्नु	31.	मरयामंगलम
13.	करायाद	32.	चेरुकोड
14.	थरियोद	33.	कोट्टापुरम
15.	कन्नामंगलम	34.	अकाथीयूर
16.	चेरूर	35.	पूकोड
17.	मत्ताथुर	36.	अलायमान
18.	नवुवत्तम	37.	वीरामंगलम
19.	परूथूर		

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली तथा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम

2950. श्री सरजू पाण्डे : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए समान सेवा नियम नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, नहीं । दोनों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम, कुल मिला कर एक जैसे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्योग में कोयला संकट

2951. श्री एम० एम० जोजफ : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला सप्लाई स्थिति संकटपूर्ण हैं;

(ख) क्या औद्योगिक क्षेत्र को इस हेतु भारी कीमत चुकानी पडी क्योंकि उद्योगों के किए जाने वाले आबन्टन में कटौती कर उस आबन्टन का उनकी कोयले की सामान्य आवश्यकता का एक तिहाई कर दियां गया था; और

(ग) क्या आजकल उद्योगों को केवल 700 वैगन कोयला दैनिक मिल रहा है जब कि उनकी दैनिक आवश्यकता 1,700 बैगन कोयला की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) देश में कोयले (लिगनाइट सहित) के उत्पादन से संकट पूर्ण स्थिति का आभास होता है । रेलवे मंत्रालय के अनुसार, सभी कोयले के क्षेत्रों से कोयले के दैनिक औसत लदान में प्रगति हुई है जो अप्रैल, 1974 में करीब 7,400 वैगन प्रतिदिन से प्रगामी रूप से बढकर फरवरी 1975 में 9,279 वैगन हो गया है । बंगाल-बिहार के क्षेत्रों का दैनिक औसत लदान भी अप्रैल 74 में लगभग 5,000 वैगन से बढकर फरवरी 1975 में 6,176 वैगन हो गया है। बंगाल-बिहार से जहां से उद्योगोंको अधिक कोयला मिलता है स्टील संयंत्रो और वाशरियों के अलावा विभिन्न उदयोगों के लिए दैनिक औसत लदान जो अप्रैल, 74 में 938 वैगन था बढकर फरवरी, 1975 में 1280 वैगन हो गया है । विभिन्न उद्योगों के लिए अन्य क्षेत्रों से किए गए लदान में भी वृद्धि देखी गई है ।

अपर्याप्त आपूर्ति संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकारियों के पास कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

उच्च जाति के हिन्दुओं द्वारा बिहार के मधुबनी जिले के सोहपुर ग्राम के हरिजनों की नजरबन्दी

2952. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह मंत्री 19 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 नवम्बर, 1974 को भोजपुर शटल के यात्रियों पर आक्रमण करने के लिये कितने अपराधियों को गिरफतार किया गया अथवा कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चल रहे है; और

(ख) क्या हैबतपुर के दो व्यक्तियों के विरुद्ध 9 मुशाहरों (अनुसूचित जाति के लोगों) को विधि विरुद्ध नजरबन्द रखने, बेगार संबंधी और मजूरी का भुगतान न करने की कोई शिकायत की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं

2953. श्री वीरभद्र सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं बहुत ही असंतोषजनक है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कारवाई करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) देहाती इलाकों में अखिल भारतीय आधार पर एक डाकघर औसतन 4,163 व्यक्तियों को आबादी और 29.9 वर्ग किलोमीटर के इलाके को डाक सेवा प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश में एक डाकघर देहाती इलाकों में औसत रूप में 1,874 व्यक्तियों और 33 वर्ग किलोमीटर इलाके में डाक सेवा प्रदान करता है।

(ख) विभाग उपलब्ध साधनों के आधार पर देहाती इलाकों में डाकघरों की संख्या बढाने और ज्यादा बार डाक वितरण करने की योजना बना रहा है।

उड़ीसा के बालासौर और मयूर भंज जिलों का सर्वेक्षण

2954. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक जिले का सर्वेक्षण करते और प्रत्येक जिले में वहां उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर उदयोग स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या बालासौर और मयूरभंज जिलों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) क्या इन जिलों के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र भारत सरकार के पास विचाराधीन पडा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) लघु उद्योग विकास संगठन का राज्य सरकारों और अन्य एजेन्सियों के निवेदन पर देश के विभिन्न जिलों का लघु उद्योग सेवा संस्थानों / शाखा संस्थानों के माध्यम से

तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने का एक सामान्य कार्यक्रम है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर कच्चे माल, कौशल अवस्थापना सुविधाओं और अन्य स्त्रोतों की उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक जिले में कुछ उद्योगों के लिए सुझाव दिए गए है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

पोर्ट ब्लेयर में जनरेटरों की स्थापित क्षमता

2955. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर में वर्ष 1973 और 1974 में जनरेटरों की स्थापित क्षमता क्या थी ;

(ख) वर्ष 1973 और 1974 में प्रति मास कितने यूनिट विद्युत् उत्पादन की गयी और बेची गयी ;

(ग) वर्ष 1973 और 1974 के दौरान प्रतिमाह कितने यूनिट विद्युत् शक्ति पारेषण के दौरान नष्ट हुई; और

(घ) एककों में विद्युत उत्पादन की तुलना में वहां ईंधन की खपत की तुलनात्मक मात्रा क्या थी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पोर्ट ब्लेयर में विद्युत् केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता 1973 तथा 1974 में क्रमशः 2500 किलोवाट और 2996 किलोवाट थी।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1973 में ऊर्जा के प्रत्येक यूनिट के उत्पादन पर लकडी ईंधन अथवा उच्च गति डीजल तेल की खपत क्रमशः 12.360 कि० ग्रा० और 0.2863 लिटर थी। 1974 के दौरान लकडी इंधन की खपत 10.807 कि० ग्रा० और उच्च गति डीजल तेल की 0.3366 लिटर थी।

विवरण

वर्ष मास	उत्पादित यूनिटों की संख्या (यूनिट)	बेचे गए यूनिटों की संख्या (यूनिट)	लाइन में हानि होने के कारण नष्ट हुए यूनिटों की संख्या
1	2	3	4
1973			
जनवरी . . .	437475	273961	141865
फरवरी . . .	401199	259781	115458
मार्च . .	458600	243366	190703
अप्रैल . .	443945	270767	146458
मई . . .	443153	217067	169556

विवरण—क्रमशः

1	2	3	4
जून . .	437264	211544	198533
जुलाई . . .	439912	248327	166528
अगस्त . . .	412321	260605	127230
सितम्बर . .	442245	263666	150636
अक्तूबर . . .	439622	255595	158964
नवम्बर . . .	404671	236082	144949
दिसम्बर . .	424717	261362	134635
1974			
जनवरी . . .	403692	244101	134585
फरवरी . . .	377706	238201	115081
मार्च . . .	447261	262861	156808
अप्रैल . . .	415363	248153	140603
मई . . .	392264	234614	132205
जून . . .	303064	198659	85700
जुलाई . . .	334474	213482	100317
अगस्त . . .	399020	251368	121158
सितम्बर . .	382589	254958	101029
अक्तूबर . . .	386092	228795	131952
नवम्बर . . .	389207	259118	107983
दिसम्बर . .	359233	223620	115844

राज्यों में कोयले के भन्डार स्थापित करना

2956. श्री एस० आर० दामाणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं को सुविधापूर्वक कोयला सप्लाई करने के लिये देश के विभिन्न स्थानों पर कोयले के भंडार स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने भंडार खोले गए है और वे कहां कहां पर है, और उनमें कितना स्टाक रखने की क्षमता है और इन भंडारों में नियमित सप्लाई बनाये रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में वाराणसी, लखनऊ, कानपूर, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में 6 कोयला टालें तथा हावडा, पश्चिम बंगाल में एक कोयला टाल पहले से खोली जा चुकी है। पहले से चालू कोयला टालों के कार्य को देखने के बाद ही अन्य चुने हुए स्थानों में धीरे धीरे इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

पांचवी योजना में कोयले का उत्पादन

2957. श्री राजदेव सिंह : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड को आशा है कि पांचवी योजना के अन्त तक कोयले का वार्षिक उत्पादन वर्तमान 630 लाख मीटरी टन उत्पादन की तुलना में लगभग 1400 लाख मीटरी टन हो जायेगा;

(ख) क्या यह नयी खानो के चालू हो जाने तथा वर्तमान खानों में सुधार हो जाने पर संभव हो सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो नई खानों का ब्यौरा क्या है और वर्तमान खानों म क्या संभावित सुधार किये जाने है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 1978–79 तक के लिये 1350 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है – जिसमें से कोयला खान प्राधिकरण 945.00 लाख टन का उत्पादन करेगा । ये उत्पादन वर्तमान खानों के पुनर्गठन द्वारा तथा कई नयी खानों के चालू करने के द्वारा भी किया जायेगा । जहां तक नयी खानों का सम्बन्ध है, कोयला खान प्राधिकरण असम, मुग्मा, रानीगंज, पश्चिम कर्णपुरा, बरकाकना, अर्गदा, हजारीबाग, कार गली, कथारा, तालचर, सिंगरोली, कोरबा तथा अन्य क्षेत्रों में 29 खानों का निर्माण करेगा । भारत कोकिंग कोल लि० झरिया कोयला क्षेत्र में 9 खानों का तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० सिंगपेनी कोयला क्षेत्र में 24 खानों का निर्माण करेगी जिनसे कुल मिलाकर 270 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा । शेष उत्पादन वर्तमान खानों से तथा उनके विस्तार से प्राप्त होगा।

असम के कछार जिला के आर्थिक विकास के लिए राशि का नियतन

2958. श्री नूरूल हुड़ा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं द्वारा असम के कछार जिले के आर्थिक विकास करने के लिए 10 करोड रु० आबन्टित किए गए है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है और क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करन का है कि इस उद्देश्य के लिए आबन्टित राशि उसी में में खर्च की जाए ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) 1974–75 म आसाम सरकार को कछार स्थित ग्रामीण उद्योग परियोजना के लिए 2.50 लाख रुपए की धनराशि (अनुदान के रूप में 1.40 लाख एवं ऋण के रूप में 1.10 लाख रुपए) का नियतन किया गया है । राज्य सरकार की नियत की गई धनराशि में प्रशिक्षण कार्यक्रमों सामान्य सुविधा सेवा केन्द्रों की स्थापना और औद्योगिक एककों को ऋण आदि की व्यवस्था सहित परियोजना के कमचारियों पर व्यय तथा विकास योजनाओं का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय का प्रावधान है।

नारियल जटा उद्योग में यंत्रीकरण

2959. श्री एम० के० कृष्णन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग में यन्त्रीकरण सम्बन्धी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर केरल सरकार के विचार सरकार ने देखे है; और

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार के समादेश की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) मुक्त व्यापार क्षेत्रों और अन्य स्थानों में यंत्रीकृत कयर एकक स्थापित करने की सम्भाव्यता का पता लगाने वाले कयर कार्यकारी दल ने विद्युत् चालित व्हील मैटों, और चटाईयों (जापान, मैटों, कार मैटों और अन्य सम्बद्ध उत्पादों) का उत्पादन करने के लिए कुछ स्थानों में निर्यात परक यंत्रीकृत एककों को प्राक्स्थावद्ध स्थापना के लिए सिफारिश की थी। केरल राज्य सरकार कार्यकारी दल की सिफारिशों से अवगत है। इस संबंध में केरल सरकार की टिप्पणी सम्पति की प्रतीक्षा की जा रही है। सरकार ने इस मामले पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

कृषि सेवा केन्द्र

2960. श्री डी० वी० चन्द्र गौड़ा : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने देश में कुछ कृषि सेवा केन्द्रों को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है :—

राज्य	साहायित केन्द्रों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	9
2. असम	1
3. बिहार	1
4. कर्नाटक	9
5. मध्य प्रदेश	6
6. महाराष्ट्र	8
7. उड़ीसा	5
8. राजस्थान	7
9. तामिलनाडु	13
10. उत्तर प्रदेश	12
कुल	71

Beas-Sutlej Link Project Tunnel

2961. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Beas-Sutlej Link project tunnel has been completed;

(b) if so, the total expenditure incurred thereon;

(c) the estimated expenditure thereof; and

(d) the period fixed for its completion?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir. Out of two tunnels, only excavation of one tunnel has been completed and that of the second tunnel is likely to be completed very shortly. Work on grouting and conceret lining of these tunnels is in progress.

(b) Does not arise.

(c) The Revised estimated cost of the Beas-Sutlej Link Project is Rs. 295.00 crores.

(d) By the end of 1976.

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई के अन्धेरी केन्द्र में अनुसन्धान के परिणाम

2962. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या योजना मंत्री हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के उत्पादों के बारे में 20 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अंधेरी केंद्र में अनुसंधान के परिणाम रासायनिक जानकारी की दृष्टि से केवल प्रारंभिक है; और

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बम्बई के अन्धेरी केन्द्र में भारतीय उपभोक्ताओं के लिये जो परिणाम अब तक प्राप्त हुए हैं वह हिमा गुलाब जामून पाउडर, बोर पाउडर, वडा पाउडर, इडली पाउडर, जलेबी पाउडर, साम्बर पाउडर, मटर सूप, प्याज सूप आदि है जो वस्तुएं अब पुरानी हो चुकी हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बम्बई के अन्धेरी केन्द्र के अनुसंधान एवं विकास के परिणाम, तेलों और वसा, वसा अम्लों, संश्लिष्ट अपमार्जकों, सुगंध तेलों एवं परिष्कृत रसायनों, खाद्य तेलों, संसाधित खाद्यों, प्राणि पोषकों, उत्प्रेरकों (कैटिलिस्टस) आदि क्षेत्रों में हैं। सरकार की दृष्टि में अनुसंधान और विकास के इन सभी क्षेत्रों की रासायनिक जानकारी की दृष्टि से प्रत्यक्षत: प्रारंभिक नहीं समझा जाता। कम्पनी ने कुछ समय तक अपने कुछ उत्पादों के क्षेत्र में इडली पाउडर, डोसा पाउडर आदि जैसे कुछ संसाधित खाद्यों को शुरू किया था, परन्तु अब उन्होंने सूचना दी है कि 1973 के प्रारंभ से ऐसे संसाधित खाद्यों का उत्पादन बंद कर दिया गया है।

Functioning of Telephones in various cities of Bihar

2963. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether telephone service in Champaran district and Patna city proper in Bihar is not working properly;

(b) whether telephones in Motihari, Bettiah and other cities in Champaran district remain mostly dead; and

(c) the additional measures proposed to be taken by Government to remove the defects therein?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) The telephone service in Champaran District and Patna City are satisfactory.

(b) No, Sir.

(c) A close watch is being kept to keep up the efficiency of the telephone service. All copper wires in Champaran District have been replaced by ACSR wires to avoid dislocation of trunk service due to copper wire thefts.

Distribution of Foreign Arms Among Extremist Elements

2964. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Hemendra Singh Banera :
Shri Jagannath Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item dated the 30th December, 1974 that the work of distribution of superior type of foreign made guns among the separatists and extremists of India, Sikkim and Bhutan is being done on a large scale by an international gang and it had also established contact with some separatists imprisoned in Kashmir;

(b) if so, the nature and extent of material supplied so far; and

(c) the facts thereof and the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The only case of smuggling of arms on a large scale by foreigners detected so far was that on 19-12-74 when two foreigners were arrested at Wagah and 100 rifles with 500 cartridges were recovered from their car. The case is under investigation in all its aspects.

ट्रैक्टरों का मूल्य

2965. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किरलोस्कर बन्धुओं से अपने ट्रैक्टरों का मूल्य 7,000 रुपये तक तुरन्त घटाने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने किर्लोस्कर से अपने ट्रैक्टरों के मूल्य 6,800 रु० तक कम करने के लिए कहा था।

(ख) मुख्य लागत रेखा अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह किया गया था। फिर भी, फर्मने यह बताया है कि लागत लेखा शाखा की जांच पैकों की बहुत सीमित संख्या पर आधारित थी। उन्होंने अब सभी पैकों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भेजा है। ये लागत ब्यौरे अब मिल गये है और इनकी जांच की जा रही है।

जर्मनी के एक जहाज के डैक पर तलचर हैवी वाटर प्लांट के लिये आ रहे टावरों का नष्ट हो जाना

2966. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री के० मालन्ना :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री पी० वेंकटासुब्बया :
श्री वसंत साठे :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग की तलचर स्थित हैवी वाटर परियोजना के लिये आ रहे दो टावर एटलांटिक महासागर में जर्मनी के एक जहाज के डैक पर नष्ट हो गये है;

(ख) यदि हां, तो उन टावरों कीं अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या तीसरी टावर भी बुरी तरह क्षति ग्रस्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना के चालू किये जाने पर इस हानि का क्या प्रभाव पडेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) 26.5 लाख जर्मन मार्क,

(ग) तीसरा टावर क्षतिग्रस्त हो गया है । टावर का निर्माण करने वालो फर्म के कारखाने में जांच का काम पूरा होने के बाद ही क्षति की मात्रा का पता लग सकेगा। क्षतिग्रस्त टावर उसके निर्माता के जर्मनी स्थित कारखाने में वापस भेजा जा रहा है।

(घ) इसमें कुछ देरी होगी किन्तु जो टावर डूब गए है, उनके स्थान पर नये टावर प्राप्त करने तथा जो टावर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी मरम्मत के लिए निविदाएं प्राप्त होने के बाद ही सही तौर पर यह बताया जा सकेगा कि कितना विलम्ब होगा ।

फाईजूघाट मिजोरम में गांव के लोगों तथा मिजो विद्रोहियों के बीच झड़प

2967. **श्री आर० एम० बर्मन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन को 14 फरवरी, 1975 को उत्तर पश्चिम मिजोरम में फाइजू घाट में गांव के लोगों तथा मिजो विद्रोहियों के बीच हुई झड़प के दौरान चोटें आई;

(ख) इस झड़प के दौरान गांव के जिन लोगों को चोटें आई उन को सरकार ने क्या मुआवजा दिया है अथवा देने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या है तथा प्रत्येक मामले में क्या सजा दी गई ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मिजोरम प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार कथित झडप के दौरान चार व्यक्ति घायल हुए थे ।

(ख) और (ग) कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है मामले की जांच हो रही है ।

बिहार में डाक और तार मंत्रणा समितियां

2968. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में बिहार राज्य में डाक और तार मंत्रणा समितियों को गठित न किए जाने के क्या कारण है;

(ख) क्या समस्त राज्य में वर्ष 1975 के लिए डाक और तार मंत्रणा समितियों का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में ऐसी समितियों का गठन किया गया और उनकी अब तक कितनी बैठकें हुई ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग) बिहार राज्य के लिए सिर्फ एक क्षेत्रीय डाक तार सलाहकार समिति है । इस समिति का गठन वर्ष 1974 में नहीं किया गया क्यों कि सदस्यों के नामांकन का निर्णय नहीं हो सका था। वर्ष 1975 के लिए इस का गठन हो रहा है ।

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई के अंधेरी केन्द्र के अनुसंधान परिणामों का चोरी छिपे निर्यात

2979. श्री रानेन सेन :
श्री सरजू पांडे :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई के अन्धेरी केन्द्र में ग्राहक का पृथक्करण' के बारे में अनुसन्धान परिणामों के चोरी छिपे निर्यात की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अन्धेरी केन्द्र में विकसित ग्राहक पृथक्करण के क्षेत्र में अनुसंधान परिणामो के चोरी छिपे निर्यात से अवगत नहीं है । फिर भी, सरकार समझती है कि मैसर्स युनिलीवर लिमिटेड, ब्रिटेन के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास एककों और उनको सारे संसार में फैली सहयोगी, सम्बद्ध कम्पनियों के बीच अनुसंधान सूचना का संचार हो रहा है और उसमें मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० का अंधेरी में स्थित अनुसंधान और विकास केन्द्र भी शामिल है ।

गुजरात में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

2970. श्री बेंकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में टेलीवीजन केन्द्र स्थापित करने हेतु किसी स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो गुजरात राज्य में टेलीविजन केन्द्र की व्यवस्था न करने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) साधनों की कमी के कारण फिलहाल गुजरात में नियमित टेलिविजन केन्द्र स्थापित करना संभव नहीं है । तथापि, अन्तरिक्ष विभाग उपग्रह संचार टेलिविजन प्रयोग के अंग के रूप में अहमदाबाद के लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण में नाडियाद में प्रयोगात्मक कार्य के लिए एक टेलिविजन ट्रांसमिटर स्थापित कर रहा है इस ट्रांसमिटर की रेंज लगभग 35 किलोमीटर होगी ।

Murders and Suicides in Delhi

2971. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of murder and suicide incidents in Delhi for the last one year;

(b) the nature of the offences or the mental tension, that led to these crimes; and

(c) the number of murders and suicides among them which related to love affair s, and the effective measures being taken by Government to check such crimes?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) 172 cases of murder and 141 cases of suicide were reported during the period from 1-1-1974 to 31-12-74.

(b) Murders were committed because of previous enmity, property dispute, domestic and sudden quarrel, looting, monetary transactions and love affairs. Suicides were committed because of illness, including insanity, frustration in life or love, unemployment, domestic quarrel and failure in examination.

(c) 9 cases of murder and 5 cases of suicide related to love affairs. Preventive measures are taken wherever possible.

वर्ष 1975-76 के लिए तमिलनाडु की वार्षिक योजना का परिव्यय

2972. श्री एम० कतामुत्तु : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के लिए तमिलनाडु को वार्षिक योजना का कुल परिव्यय कितना है और केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मांगी गई;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तामिलनाडु सरकार सहित सभी राज्य सरकारों से योजना आयोग ने अनुरोध किया था कि वे केन्द्रीय सहायता की राशि का अनुमान चालू वर्ष के स्तर (1974-75) पर लगा कर अपनी वार्षिक योजना 1975-76 के लिए प्रस्ताव तैयार करें ।

तामिलनाडु सरकार ने अपने प्रस्तावों के प्रारूप में वर्ष 1975-76 के लिए केन्द्रीय सहायता के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है ।

(ख) और (ग) तामिलनाडु सहित राज्यों की 1975-76 की वार्षिक योजनाओं के आकार और विषयवस्तु के बारे में हाल में हुए विचार विमर्श और समस्त साधनों की उपलब्धि के आधार पर अभी निर्णय लिया जाना है ।

तामिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग के लिए सहायता अनुदान के लिए आवेदन पत्र

2973. **श्री सी० टी० दण्डपाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामिलनाडु में पिछडे क्षेत्रों में स्थगित उद्योग के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के लिए कितने व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीकृत कराए;

(ख) तामिलनाडु को इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(ग) धनराशि के वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) पिछडे क्षेत्रों को केन्द्रीय राज सहायता देने की प्रणाली के अंतर्गत, राज्य सरकार आवेदनों को प्राप्त करती है और राज सहायता देने के लिए पार्टियों की पात्रता का निर्णय और धन का वितरण करती है । उसके पश्चात राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से धन को पुन: प्राप्त करने के लिए आवेदन करती है । इस आधार पर तामिलनाडु सरकार को अब तक 49,21,784 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है ।

राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना के कार्यकरण के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा की गयी शिकायत

2974. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान राज्य विद्युत मंत्री द्वारा की गयी इस शिकायत की ओर दिलाया गया है कि विद्युत शक्ति के अभाव के कारण राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

चीन जाने वाले नागा तथा मिजो विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ें

2975. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री शिवकुमार शास्त्री :

श्री राजराजसिंह देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कितने नागा और मिजो व्यक्तियों के भाग कर चीन चले जाने में सफलता के समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनके साथ कितनी झड़पें हुई और हाल की मुटभेड़ों में सुरक्षा दलों ने कितने नागा तथा मिजो व्यक्तियों को पकडा; और

(ग) उनसे क्या क्या हथियार बरामद हुए और सुरक्षा बलों के साथ मुटभेडों में कितने नागा तथा मिजो व्यक्ति मरे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार बताया जाता है कि लगभग 60-70 भूमिगत नागा नवम्बर, 1974 के पहले पखवाड़े में चीन जाने के लिये सीमा पार कर बर्मा गये है। अक्तुबर 1974 से फरवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान 9 मुटभेड हुई है जिसके परिणाम स्वरूप 7 विद्रोही मारे गये, 135 विद्रोही पकडे गये, और 43 हथियार बरामद किए गये। मिजो विद्रोहियों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है ।

बालचन्द्रन समिति और युनुस आयोग के कोका कोला के बारे में प्रतिवेदन

2976. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में बालचन्द्रन समिति द्वारा और 1972 में युनुस आयोग द्वारा कोका कोला के बारे में दिए गए प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या बालचन्द्रन समिति ने कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के हितों के अनुकूल सिफारिशें की है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) उपरोक्त समिति तथा आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति से राष्ट्रीय राजकोष में सभी मदों में अलग अलग कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ;

(घ) उक्त आयोग कमीशन की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने कितनी सम्पत्ति अर्जित की और उससे भारतीय उद्योग पर क्या दुष्प्रभाव पडा; और

(ङ) क्या इन सिफारिशों से हमारे देश में बहु राष्ट्रीय विशाल उद्योग की जडे मजबूत होने में मदद मिली थी, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) श्री मोहम्मद युनुस की अध्यक्षता में गठित अन्तर मंत्रालय समिति ने मोटे तौर पर यह सिफारिश की थी कि कोका कोला सान्द्रण में 4 से 5 प्रतिशत के बीच आयात किया गया अंश होता है अतएव 4.5 प्रतिशत से आयातित अंश की उचित दर होगी। युनूस समिति की रिपोर्ट से पहले फर्म को कोका कोला सान्द्रण का निर्यात करने हेतु 20 प्रतिशत आयात की वस्तु की आपूर्ति की जाती थी। युनूस समिति की रिपोर्ट के पश्चात आयात की वस्तु की आपूर्ति का प्रतिशत घटाकर 4-1/2 प्रतिशत कर दिया गया था।

चूंकि सान्द्रण का निर्यात बनाए रखने के लिये सान्द्रण के उत्पादन हेतु आयात की कच्ची सामग्री मुश्किल से ही पर्याप्त थी तथा देश में बोतलें भरने वालों के लिये कच्ची सामग्री कुछ भी नहीं थी अतः इसके लिये सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर एक उचित फार्मुल्ला निर्धारित करने का कार्य श्री के बालचन्द्रन के अधीन अन्तर मंत्रालय समिति को सौंपा गया था।

श्री के० बालचन्द्रन की अध्यक्षता में बनाई गई अन्तर मंत्रालय समिति की प्रमुख शिफारिशों और निष्कर्ष नीचे दिए जाते है :

(1) फर्म से कहा जाना चाहिये कि वह कम से कम 20 प्रतिशत निर्यात के माध्यम से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा में शुद्ध योगदान करें।

(2) निर्यात किए गये सान्द्रन को छोड़ने व 1971 में हुए उत्पादन के आधार पर यह पाया गया कि कोका कोला पेय के देश में हुए उत्पादन में 690,186 किलोग्राम सान्द्रण का उपयोग किया गया था। चूंकि एफ० ओ० बी० मूल्य के आधार पर आयातित अंश का निर्धारण यनूस समिति द्वारा 4.5 प्रतिशत किया जा चुका है इस उद्देश्य के लिये आवश्यक कच्ची सामग्री के आयात की मात्रा लगभग 16.4 लाख रुपये के मूल्य की होती है।

(3) बोतलें भरने वाले 22 संयंत्रों की स्वीकृति क्षमता 13502.10 लाख बोतलें है। समिति ने यह बताया है कि 1971 का वास्तविक उत्पादन 7,600 लाख बोतलें था जबकि क्षमता के 56 प्रतिशत का औसत उपयोग किया गया था। पूर्ण भारतीय स्वामित्व वालें इन एककों में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पर्याप्त रोजगार के भी अवसर प्रदान करते है। पर्याप्त निवेश किया गया है। समिति ने यह महसूस किया कि बोतलें भरने वाले इन संयंत्रों को सरकार द्वारा स्वीकृति सीमा तक अपनी अधिष्टापित क्षमता का उपयोग करने के लिए कच्चा माल उपलब्ध न कराना उचित नहीं होगा इस सीमा तक यह महसूस किया गया था कि जब तक ये एकक किसी विकल्प पेय का विकास नहीं कर लेते तब तक कच्चे माल की आवश्यकता पूरी करने में उनकी मदद की जानी आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह एक गैर प्राथमिकता उद्योग है भले ही इसके निर्यात कार्य के लिये कन्सेन्ट्रट का उत्पादन करने वाले एककों ने प्राथमिकता की श्रेणी प्राप्त कर ली थी। सभी संगत बातों में संतुलन रखते हुए आने वाले वर्षों में कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को अपने निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए और दूसरी और बोतलें भरने वाले संयत्रों को हर वर्ष अपनी क्षमता का युक्तियुक्त रूप में विस्तार करके 5 से 6 वर्ष के भीतर स्वीकृत क्षमता हासिल कर लेने के लिए कच्चा माल दिया जाना चाहिए।

(4) इस आधार पर बोतलें भरने वाले संयंत्रों को लगभग 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन अपनी शुद्ध निर्यात आय (समस्त शुद्ध विदेशी पूंजी का) में वृद्धि की दर इसी के अनुरूप प्राप्त कर ले ।

(5) बोतलें भरने वाले संयंत्रों द्वारा पूर्ण रूपेण देशी पेय के समान जिनका वे आज निर्माण कर रहे हैं विकास करने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास किया गया नहीं जान पड़ता । राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं नामतः केन्द्रीय प्राद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर हमारे राष्ट्रीय संसाधनों को काम में लाने के लिए आम, अदरक, संतरा आदि जैसे जायकों का विकास करने की इस दिशा में सहायक हो सकेगीं, और आत्म निर्भरता भी प्राप्त हो सकेगी ।

(6) देशी उत्पादन के लिये नियत किये जाने वाले आयातित कच्चे माल की मात्रा जो सरकार द्वारा स्वीकृत तरीकों पर आधारित है, वर्ष 1971 के लिए लगभग 16 लाख रुपये होगी ।

(ग) जैसा कि देखा गया है, बालचन्द्रन समिति के फार्मूले में कोका कोला निर्यात निगम के संचालन के परिणाम स्वरूप देश में विदेशी मुद्रा के आने के लिए व्यवस्था की गई थी ।

(घ) और (ङ) भारत मे कोका कोला निर्यात निगम द्वारा 31-12 1974 को कुल लगाई गई पूंजी का अनुमान लगभग 4.9 करोड रुपये है । निगम की परिसम्पत्तियों के निर्माण के आंकडे, यदि कोई है, तो उपलब्ध नहीं है । एफ० ई० आर० ए० के अधीन निगम के आवेदन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है अतः इस समय इस प्रकार के आंकडे मांगना आवश्यक नहीं समझा गया हैं ।

देश के आन्दोलनों में विदेशी एजेंसियों और विदेशी मुद्रा की भूमिका

2977. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) देश में इस समय कुछ आन्दोलन विदेशी मुद्रा की सहायता से चल रहे है;

(ख) क्या धन के अतिरिक्त ये विदेशी एजेन्सियां आन्दोलनकारियों की किसी अन्य रूप में भी सहायता कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ईस बारे में सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले है, और ऐसें कार्यो में अन्तर्ग्रस्त पायी गयी विदेशी एजेंन्सियों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सरकार को देश में कुछ आन्दोलनों में विदेशी एजेंसियों के अन्तर्ग्रस्त होन के आरोपों की जानकारी है किन्तु आरोपों के समर्थन में कोई निश्चित सूचना नहीं है । अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है ।

कोयला उद्योग द्वारा पांचवीं योजना में विस्फोटकों की मांग

2978. श्री भाऊ साहेब धामनकर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के दौरान कोयला उद्योग की विस्फोटकों की मांग का निर्धारण करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्तर को तुलना में पांचवीं योजना के अन्त में यह मांग कितनी होगी; और

(ग) रुकावटों का पता लगाने और उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढाने की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु और इस उद्देश्य के लिये जहां कहीं आवश्यक हो, आवश्यक संयंत्र तथा मशीनरी प्राप्त करने तत्काल उपचारी उपाय ढूंढने के लिए क्या उपाय करने का विचार है/किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) जी, हां। कोयला उद्योग की विस्फोटकों की वर्तमान मांग 15,000 टन है जिसके पांचवीं योजना के अन्त तक बढकर 35,000 टन तक हो जाने की आशा है। तथापि इन अनुमानों पर पुन: विचार हो रहा है।

(ग) अगले 2 वर्षों में आसन्न मांगों को पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र के विस्फोटक संयंत्रों की वर्तमान क्षमताओं में वृद्धि की गई है। बढे हुए उत्पादन कार्यक्रम को पूरा करने की दृष्टि से, जहां भी आवश्यक है, कच्चे माल के आयात की अनुमति दी गई है। दीर्घकालीन उपायों के रूप में सरकारी क्षेत्र में दो विस्फोटक संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। इनके संबंध में निवेश का निर्णय शीघ्र लिए जाने की सम्भावना है।

Committee for Absorption of Officers on Deputation to Central Services

2979. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Committee for the absorption of officers on deputation to Central Services reviews such cases every year in the Central Intelligence Bureau;

(b) whether the Committee has not held any sitting nor has any officer been absorbed during the last two years; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in regard to absorption of deputationist each year?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) No, Sir. The Departmental Screening Committees for reviewing cases of deputationist officers for absorption in different grades meet as and when vacancies are available and a sufficient number of deputationists with five years' service in the intelligence Bureau have expressed their willingness for absorption. As a result of the meetings held in 1973, the cases of 247 persons are being processed for absorption

(c) Does not arise.

मारुति कार फैक्ट्री, गुड़गाव में मशीनरी

2980. **श्री मधु लिमये** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री संसद के शरद कालीन सत्र के दौरान समाजवादी दल के एक संसद सदस्य के मारुति फैक्ट्री में आयातित मशीनों के लगाये जाने के बारे में कांट छांट किये गये प्रश्न के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के गुडगांव जिले में मारुति कार फैक्ट्री में लगाई गई अथवा लगाई जा रही मशीनों के कुछ भाग विदेश निर्मित तथा आयातित है;

(ख) यदि हां, तो इन आयातित मशीनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी आयातित मशीनों का कुल मूल्य कितना है;

(घ) क्या ऐसी मशीनें आयात करने के लिये मारुति लिमिटेड ने आयात लायसेंस मांगे थे और क्या सरकार द्वारा आयात लाइसेंस दिये गये थे; और

(ड़) यदि हां, तो क्या अयातित मशीनों का प्रयोग, मारुति लिमिटेड को दिये गये आशयपत्र और/अथवा औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) मे० मारुति लिमिटेड ने मशीनों के आयात हेतु न तो कोई आयात लाइसंस मांगा था और न उन्हें इस प्रकार की कोई अनुमति दी गई थी। मे० मारुति लि० में लगाई कुछ मशीनों की खरीद इस फर्म द्वारा देश के अन्दर ही उपलब्ध मशीन टूल्स के विक्रेताओं से की गई है जिन्हें "स्टाक और बिक्री" के आधार पर उन्हें बेचने की अनुमति है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) औद्योगिक लाइसेंस में उल्लिखित है कि किसी भी पूंजीगत सामान के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। न तो किसी प्रकार के आयात के लिए अनुरोध ही किया गया है और न उसके लिए कोई अनुमति ही दी गई है ।

केरल में उद्योगों की स्थापना

2982. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सरकार केरल में कुछ उद्योगों की स्थापना करने के बारे में सोच रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केरल में अपने हाल के दौरे के समय कोचीन म पत्रकार सम्मेलन के दौरान मैंने कहा कि केरल सरकार ने ढांचों गढी और ढली वस्तुओं, संयंत्रों के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए है और यदि इन्हें बी० एच० ई० एल० एच० एम० टी० आदि जैसे भारी उद्योग के लिए सहायक सामान की आवश्यकताओं से सम्बद्ध किया जा सकता है तो इस प्रकार के प्रस्तावों पर भारत सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी । इस पर और आगे कार्यवाही की जा रही है ।

5—14 LSS/ND/75

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विज्ञानों के क्षेत्रों म किये गये अनुसंधानों का समन्वय

2983. श्री बी० पी० नायक : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विज्ञानों के क्षेत्रों में किये गये अनुसंधानों का समन्वय कौन करता है ;

(ख) यदि ऐसा कोई समन्वय नहीं किया जाता है, तो क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का विचार इसे करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न विषयों जिनमें अन्य विषयों के साथ साथ समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान शामिल है, अनुसंधानों के समन्वय तथा उन्नति का कार्य सरकार द्वारा 1969 में नई दिल्ली में स्थापित एक स्वायत्त संगठन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, को सौंपा गया । यह परिषद, सोसाइटोज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है । भारत सरकार, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अनुदान देकर इसके लिए धन जुटाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Production of sub-standard X-ray Films in Hindustan Photo Films Manufacturing Co.

2984. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether concern has been expressed in the 28th General Session of the Indian Radiological Association held in Hyderabad in the first week of February on Sub-standard X-ray films produced by Hindustan Photo Films Manufacturing Co. and their high prices;

(b) whether X-ray films are not supplied in adequate quantity and regularly; and

(c) if so, the action taken by Government to remove these complaints?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) to (c) Certain adverse comments were made at the meeting of the Radiological Association about the sub-standard X-ray films produced by M/s. Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd., Ootacamund and their high prices. The Company have explained that, as a policy, they do not release sub-standard products to the consumers and the quality of their X-ray films is, by and large, satisfactory as confirmed by eminent Radiologists throughout the country. During the year 1974, the Company received only some minor complaints which represented 0·54% of the total sales, which cannot be considered to be unreasonable by any standards. After investigating the various complaints received from the market, the Company have introduced a number of controls at the various stages of production and in the recent past, the complaints have come down considerably. Technical service staff have been posted in the different branches to promptly attend to any complaints faced by the consumers. A Technical Committee has been formed with eminent Radiologist to advise HPF on any of the problems that may arise from time to time. As regards the supply position, the Company maintain adequate stocks at each distribution point in Delhi, Calcutta, Bombay and Madras. With regard to the price, it may be mentioned that even with the existing selling price, the Company are not able to recover the full cost of production of X-ray films. The price of their X-ray films compares favourably with the imported landed cost of foreign brands.

पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण

2985. श्री राम सहाय पाण्डे : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी पूंजीगत वस्तुओं की कोई सूची तैयार की है जो इस समय देश में निर्मित नहीं की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हाँ।

(1) तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने दुहरे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 1974 में एक अभ्यास किया था :—

(क) विकास और अयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के एक-एक अंश के रूप में पूंजीगत वस्तुओं का देश में विकास करना; और

(2) ऐसी वस्तुओं के मामले में विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता दूर करके पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना।

सामान्य मशीनों, हाथ के औजारों, पम्पों तथा कम्प्रेशरों और यंत्रों को 744 मदों की एक सूची जिनके आयात के लिए 1973 में स्वीकृति दी गई थी, विज्ञापित कर दी गयी थी। इस पर उद्योग की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई थी और 331 मदों को इस सूची से निकाल दिया गया था और 413 ऐसे मदों की अंतिम सूची जो देश में नहीं बनाई जा रही है, का विज्ञापन प्रक्रिया अपनाये बिना आयात करने के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति 1974–75 के परिशिष्ट 80 में प्रकाशित कर दी गयी थी।

इसी प्रकार का अभ्यास 1975–76 की आयात नीति के लिए भी शुरू किया गया है।

श्री एल० एन० मिश्र की हत्या की जांच

2986. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री एल० एन० मिश्र तथा अन्य व्यक्तियों की हत्या की जांच करने वाले जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये गये आयोग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांच स्क्वैड के पृथक-पृथक कार्य क्षेत्र क्या हैं ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि दोनों एक दूसरे के कार्य में दखल न दे तथा एक दूसरे के कार्य में बाधा न डालें, क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन दोनों के प्रतिवेदन कब तक मिल जायेंगे ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर में किए गए विशिष्ट अपराध की जांच कार्य का केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ताकि अपराधियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सके। जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत 10 फरवरी, 1975 को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त

किए गए जांच आयोग द्वारा जांच करने का क्षेत्र बहुत विस्तृत है क्योंकि यह सामान्य पृष्ठभूमि तथा समस्तीपुर में विस्फोटकों के संबंध में तथा और परिस्थिति, घटना के समय श्री ललित नारायण मिश्र के संरक्षण व सुरक्षा के लिए किए गये उपायों के स्वरूप तथा उनकी पर्याप्तता, विस्फोटक के बाद उनको पहुंचाई गई चिकित्सा सुविधा के स्वरूप तथा पर्याप्तता आदि की जांच करेगा। आयोग को इस व्यापक कार्य के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो का सहयोग तथा सहायता मिलेगी। जबकि जांच ब्यूरो आपराधिक मामले की जांच जारी रखेगी, उसकी जांच सामग्री आयोग के लिये ऐसी छान-बीन करने के लिये उपलब्ध होगी जो आयोग की सेवा की शर्तों के अधीन मामले के किसी पहलू के संबंध में आते हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच प्रगति पर है और आशा है कि शीघ्रातीशीघ्र पूरी हो जायगी। आशा है जांच आयोग अपनी रिपोर्ट उसके नियुक्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि में दे देगा।

मैसर्ज रोतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

2987. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सितम्बर, 1974 में कभी कोई पत्र या ज्ञापन मिला जिसमें मैसर्स रोतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड डालमिया नगर के विरूद्ध विदेशी मुद्रा विनियम के उल्लंघन का आरोप हैं ;

(ख) क्या उक्त ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया है कि संबंधित कम्पनी, केवल फालतू पूर्जों के आयात के लिये मिले आयात लाइसेंस पर लगातार पूंजीगत उपकरण आयात कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) दो आरोपों की, जिनमें प्रत्यक्षतः विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लंघन अन्तर्गस्त है, प्रवतन निदेशालय द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय, उन आरोपों पर गौर कर रहा है, जिनसे उनका संबंध है।

आदिवासियों पर किये गये अत्याचारों का रिकार्ड रखने के लिये सैल

2988. **श्री शरद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 20 दिसम्बर, 1974 से 17 फरवरी, 1975 के बीच आदिवासियों पर किये गये अत्याचारों के समाचारपत्रों से तथा अन्य साधनों से प्राप्त समाचार एकत्र किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समाचारों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि ऐसे कोई समाचार एकत्र नहीं किये गये हैं तो क्या सरकार इस उद्देश्य के लिये मंत्रालय में एक सैल बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सरकार आदिवासियों पर हुए कथित अत्याचारों के बारे में समाचार पत्रों की रिपोर्टों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना पर तुरन्त ध्यान देती है और संबंधित तथ्य मालूम करने के लिये राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करती है। 21–23 जनवरी, 1975 के दौरान आदिवासी तथा गैर आदिवासियों के बीच झड़पों की घटनाओं की रिपोर्ट बिहार से दी गई थी। इस संबंध में इस सदन में 26 फरवरी, 1975 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दो आदिवासी लड़कियों के साथ कथित बलात्कार तथा उनमें से जिला हजारीबाग के छत्रा सब-डिवीजन में एक की हत्या के बारे में एक रिपोर्ट भी ध्यान में आई है। राज्य सरकार से संबंधित तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

राज्यों के भीतर आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण की कसौटी

2989. श्री पी० रंगनाथ सिनाय : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के भीतर आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिए कोई कसौटी निर्धारित है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यद्यपि पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर भी इस उद्देश्य के लिए योजना आयोग ने राज्य सरकारों को विकास के एक समुच्चय का सुझाव दिया है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राज्य सरकारों को उनके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लि योजना आयोग द्वारा दिया गया विकास सूचनों का सुझाव।

(1) कुल जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व।

(2) कुल कामगारों की प्रतिशतता के अनुपात में कृषि श्रमिकों सहित कृषि-कार्य में कर रहे कामगारों की संख्या।

(3) प्रति कृषि कामगार के अनुपात में कृषि योग्य क्षेत्र।

(4) प्रति कृषि कामगार के अनुपात में शुद्ध बोया गया क्षेत्र।

(5) शुद्ध बोये गये क्षेत्रों के अनुपात में कुल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता।

(6) शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अनुपात में, एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्र की प्रतिशतता।

(7) प्रति व्यक्ति (ग्रामीण जनसंख्या) कृषि-उत्पादन, उत्पादन का कुल मूल्य।

(8) स्थापनाएं (निर्माण तथा मरम्मत करने वाली) जो बिजली का उपयोग कर रही है—

(क) जोड़

(ख) परिवार

(ग) परिवारेतर

(9) प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में पंजीकृत फैक्टरियों में काम कर रहे कामगारों की संख्या ।

(10) पक्की सड़कों की लम्बाई मीलों में :—

(क) प्रति 1000 वर्ग मील

(ख) प्रति लाख जनसंख्या

(11) एक जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक गाड़ियों की संख्या ।

(12) शिक्षित जनसंख्या की प्रतिशतता :—

(क) पुरुष

(ख) महिलायें

(13) स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता :—

(क) लड़के

(ख) लड़कियां

(क) 6–11 वर्षों, तथा (ख) 11–14 वर्षों के आयु वर्ग में ।

(14) प्रति दस लाख जनसंख्या के अनुपात में प्रोद्योगिकी प्रशिक्षण के लिये स्थानों की संख्या :—

(क) शिल्पी

(ख) डिप्लोमा-स्तर

(15) प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में अस्पतालों में रोगी शय्यायें ।

*इसमें ये शामिल है: शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इस समय परती पर भूमि, इस समय परती पर भूमि के अलावा अन्य परती भूमि, कृषि योग्य बंजर और विविध तीन फसलें तथा कुंज शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शामिल नहीं है ।

पन बिजली तथा तापीय विद्युत् प्रजनन योजना की क्रियान्विति

2990. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें उन विभिन्न जल-तापीय विद्युत-प्रजनन योजनाओं को क्रियान्वित करने में असफल रही है जिसको चौथी योजना के लिये लक्षित किया गया था तथा मूलतः जिसके कारण अब विशेषकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ऊर्जा की कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा भविष्य में इस संबंध में आशान्वित होने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन पर और आगे दुष्प्रभाव न पड़े ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग 9.23 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता, जिसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था, में से चौथी योजना के दौरान देश में केवल लगभग 4.2 मिलियन किलोवाट क्षमता चालू की गई थी। उत्तरी क्षेत्र में कुल 471 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य में से चौथी योजना के अन्त तक 141 मेगावाट क्षमता चालू की गई थी।

(ख) लक्ष्यों में कमी के कारण ये हैं : देशी विनिर्माताओं द्वारा उपस्कर की सप्लाई में देरी, सिविल कार्यों को पूर्ण करने में देरी, विद्युत परियोजनाओं के लिए धन का अपर्याप्त आबंटन और अनियमित रूप से दिया जाना, आवश्यक सामग्रियों जैसे इस्पात, सीमेंट, विस्फोटक पदार्थों, इलैक्ट्रोडों, औद्योगिक गैसों की कमी, पर्याप्त परियोजना प्रबंध और प्रचालन (मानीटरिंग) का अभाव, पर्याप्त अनुभवी निर्माण एजेंसियों का अभाव तथा श्रमिक अशान्ति, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना स्थलों आदि पर हड़तालें हुई।

चौथी योजना के दौरान परियोजनाओं के कार्य से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं योजना में विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए कई उपाय किए गए/किए जा रहे हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं :—

(क) इस्पात, सीमेंट, अल्युमीनियम, जस्त, विस्फोटक पदार्थों और औद्योगिक गैसों जैसी दुर्लभ सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए विद्युत परियोजनाओं को केवल प्रतिरक्षा के बाद उच्च प्राथमकिता दी गई है।

(ख) प्रभावकारी मल्टी-टायर (मानीटरिंग) प्रणाली की व्यवस्था, ताकि प्रगति पर नजर रखी जा सके और जहां कहीं आवश्यक हो, सामयिक सुधारत्मक उपायों को लागू किया जा सके।

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा पिछली कमियों को दूर करने के लिए क्षमताओं में सुधार करने की दृष्टि से विद्युत प्रदाय उद्योग का पुनर्गठन।

(घ) विद्युत उत्पादन संयंत्र के देशी विनिर्माताओं पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि वे निर्धारित अनुसूची के अनुसार, उचित क्रमानुसार और कार्यों की प्रगति के अनुसार सामग्रियां सप्लाई करें।

कर्नाटक में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार

2991. श्री एम० बी० कृष्णप्पा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु किसी योजना की स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितना धन आबंटित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां। योजना आयोग ने कर्नाटक राज्य के लिए रोजगार प्रोत्साहन कायक्रम 1974–75 के अन्तर्गत कुल 101.27 लाख रुपये के परिव्यय की 5493 रोजगार क्षमता वाली 10 स्कीमें स्वीकृत की है।

(ख) इन स्कीमों की मोटी रूप-रेखा अनुबंध 'क' में बताई गई है।

(ग) रोजगार प्रोत्साहन कार्य म 1974–75 के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य के लिए 130 लाख पए की अधिकतम राशि की व्यवस्था की गई है। इसके विपरित अब तक 101.27 लाख रुप की स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। राज्य सरकार को 24.99 लाख रुपए की पहली किश्त ी जा चुकी है, और आगे और धन राशि स्कीमों की प्रगति के आधार पर दी जाएगी।

विवरण

रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम 1974-75 के अन्तर्गत स्वीकृत स्कीमें-कर्नाटक राज्य

क्रम सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (लाख रु०)	रोजगार क्षमता (संख्या)
1	2	3	4
1	उद्यमियों को स्वरोजगार कार्य आरम्भ करने के लिए प्रशिक्षण तथा सीमान्त धन की व्यवस्था . .	64.75	3600
2	औद्योगिक तथा वाणिज्यिक बस्तियों के निर्माण के लिए सहायता	9.00	400
3	सहकारी उद्यमों को सहायता . . .	7.00	350
4	सहायक उद्योगों को सहायता . . .	1.96	25
5	परिवहन मोटर गाड़ियों के क्रय के लिए सहायता .	5.00	170
6	मछली पकड़ने के यंत्रों के उपयोग के लिए सहायता .	2.14	100
7	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की वन-रक्षक के प्रशिक्षण में सहायता . . .	0.11	18
8	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को परिवहन सचालकों का प्रशिक्षण	0.23	150
9	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षकों का प्रशिक्षण	3.42	330
10	सहकारी औद्योगिक एककों में रोजगार के लिए प्रशिक्षण .	1.40	350
	जोड़िए आकस्मिक व्यय की व्यवस्था . . .	6.26	..
	योग . . .	101.27	5493

राष्ट्रीय नेताओं का चरित्र हनन करने जैसी सामग्री के प्रकाशन के बारे में शिकायत

2992. श्री मान सिंह भौरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय प्रेस परिषद् को राष्ट्रीय नेताओं का चरित्र हनन करने जैसी सामग्री के प्रकाशन के बारे में जनता से शिकायत मिली हैं ; और यदि हां, तो शिकायतों में क्या लिखा है, और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी हां,। स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु के संदर्भ में एक शिकायत प्रेस परिषद को प्राप्त हुई थी। वह परिषद के विचाराधीन है ।

मीरवायज फारूक के नेतृत्व वाली अवामी कार्यकारी समिति की गतिविधियां

2993. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीरवायज फारूक के नेतृत्व वाली पाकिस्तान-समर्थक अवामी कार्यकारी समिति ऐसी गतिविधियां कर रही है जो कि भारत की प्रादेशिक अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है ;

(ख) क्या सरकार इन गतिविधियों को देशद्रोह के कार्य मानती है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) मौलवी फारूक, अध्यक्ष, अवामी कार्यकारी समिति जम्मू व काश्मीर, के भारत में अन्तिम रूप से विलय पर आक्षेप करते हुए वक्तव्य देते रहे हैं और यह विचार व्यक्त करते हैं कि काश्मीर का प्रश्न केवल आत्म निर्णय के कथित अधिकार का प्रयोग करके किया जा सकता है ।

(ख) और (ग) जबकि सरकार ऐसे वक्तव्यों को अनुत्तरदायी तथा पूर्णत: आपत्तिजनक समझती है, वह भारत की अखण्डता और प्रभुसत्ता को खण्डित करने के उद्देश्य से की गई किसी गतिविधि को विफल करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

राज्यों के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाएं

2994. श्री एस० एम० मिश्र : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजनायें केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का मूल परिव्यय कितना है ; और

(ग) योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाएं प्रस्तुत की हैं ।

(ख) अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना में, उत्तर प्रदेश सरकार ने पांचवीं योजना अवधि के लिए 118.63 करोड़ रुपय के कुल परिव्यय का प्रस्ताव किया है ।

(ग) उत्तर प्रदेश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना में, राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार की विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के लिए 39.33 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित किया गया है । शेष 79.30 करोड़ रुपये का परिव्यय राज्य सेक्टर के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित किया गया है । राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी एक परिषद की स्थापना का सुझाव दिया गया है । राज्य सेक्टर में अनुसंधान और विकास के कुछ मुख्य क्षेत्र में हैं :—कृषि विज्ञानों में अन्तर-अनुशासनिक अनुसंधान में तीव्रता लाना, कृषि सूचना का प्रसार, कृषि अपशिष्टों का उपयोग, वन तथा जल विभाजकों का प्रबन्ध, इमारती लकड़ी के उत्पादों में अनुसंधान, वन्य जीवन पारिस्थिकी, बाढ़ पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, जल स्त्रोत प्रबंध सर्वेक्षण, भावी बिजली परियोजनाओं के लिए अनुसंधान, बिजली इंजीनियरी में अनुसंधान एवं बिजली उपकरणों का मानकीकरण, लघु उद्योगों के लिये अनुसंधान एवं विकास, खगोल भौतिकी अनुसंधान का विकास, आदि ।

कर्नाटक में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गावों का विद्युतीकरण

2995. श्री के० लकप्पा : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अब तक ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया है ;

(ख) कर्नाटक में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने ग्रामों का विद्युदीकरण करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) सरकार का विचार कर्नाटक में सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कर्नाटक में 26,826 गांव हैं । 31–1–1975 तक 13,550 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके थे ।

(ख) और (ग) पांचवीं योजना के दौरान कर्नाटक में लगभग 3,900 और गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है । बाकी बचे गांवों को बाद की योजनाओं में उत्तरोत्तर ढग से विद्युतीकृत किया जाएगा ।

तम्बाकू उद्योग पर नियंत्रण

2997. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तम्बाकू उद्योग को सहकारी नियन्त्रण में लाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस संबध में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) ससद ने अभी हाल ही में तम्बाकू बोर्ड विधेयक, 1974 पारित किया है जिसमें संघ सरकार के नियंत्रण के अधीन तम्बाकू उद्योग का विकास करने तथा इस प्रयोजन के लिए एक तम्बाकू बार्ड की स्थापना करने की व्यवस्था है ।

गत तीन वर्षों में विद्युत् ऊर्जा की स्थिति

2998. डा० के० एल० राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में, राज्य-वार विद्युत ऊर्जा की कितनी मांग रही ;

(ख) उक्त मांग में से प्रति वर्ष कितनी मांग पूरी की गई ;

(ग) इसमें से कितनी ऊर्जा नये तापीय तथा पन-बिजली एकक चालू किये जाने, अच्छी वर्षा के कारण वर्तमान पन-बिजली घरों से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा में वृद्धि होने और विद्यमान ताप बिजली घरों के रखरखाव में सुधार होने के कारण उपलब्ध हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) ब्यौरेवार सूचना, एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Functioning of Telephones in Saharanpur

2999. Shri Mulki Raj Saini: Will the Minister of **Communications** be pleaseed to state :

(a) whether there are number of complaints in regard to telephone system in Saharanpur, Uttar Pradesh;

(b) if so, the action taken to remove such complaints of the State Bank in Saharanpur, and the proposals of Government for improving the telephone service there?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma): (a) Yes Sir, Few complaints have been received in respect of working of telephones.

(b) The State Bank complaint was in respect of getting through local and trunk calls. Local Telephone authorities were experiencing difficulty in getting spares and also on account of shortage of staff. Action has been taken by the General Manager Telecom., U.P. Circle to divert available spare parts to Saharanpur to improve the service. I.T.I. Bangalore has also been addressed to supply the essential spares to U.P. Circle. Staff strength is being augmented.

बर्मा और बंगलादेश से मिजोरम में विद्रोहियों द्वारा घुसपैठ

3000. श्री रोबिन ककोटी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम संघ राज्य-क्षेत्र की सीमा से लगे हुए बर्मा और बंगलादेश के पहाड़ी क्षेत्रों से मिजोरम में अभी हाल में उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा भारी पैमाने पर घुसपैठ की गई है, जिससे मिजोरम में सेना तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने का काम कठिन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार सीमा पर से मिजोरम में उपद्रवी व्यक्तियों की कुछ घुसपैठ होती रही है। ऐसे तत्वों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये मिजोरम में उपयुक्त उपाय किये जाते रहे हैं।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कपड़ा वस्तुओं का उत्पादन

3001. श्री समर गुह : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन के मंत्रालय मे राज्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जो उन्होंने फरवरी, 1975 के पूर्वार्ध में दिया था और जिस में उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय पर कपड़ा वस्तुओं के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य में की गई शिकायतों से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1971-74 के दौरान (एक) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों की मिलों में निर्मित विभिन्न किस्मों की कपड़े की वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा कितनी थी और (दो) गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलों को विभिन्न रूपों में कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(घ) उपरोक्त वक्तव्य में उठाए गए मामलों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में अमरीकी गुप्तचर विभाग की गतिविधियां

3002. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने जनवरी, 1975 में कलकत्ता स्थिति अमरीकी वाणिज्य दूतावास के एक उच्च अधिकारी को वापस बुला लिया है ;

(ख) क्या भारत में उनकी गतिविधियां में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की गतिविधियां भी शामिल थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियो को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सम्भवत: प्रश्न का संबंध मिस्टर लारेंस जी० पिकरिंग से है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उन्होंने 31 जनवरी, 1975 को अपने कार्य काल की समाप्ति पर कलकत्ते में अमरीकी महा वाणिज्य दूत के पद का कार्यभार छोड़ा था। सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि उनके सी० आई० ए० से कोई संबंध थे।

सी० आई० ए० समेत विदेशी असूचना एजेंसियों की गतिविधियों के बारे में अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है।

संयुक्त क्षेत्र में विद्युत् सयंत्रों की स्थापना के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्डल संघ का सुझाव

3003. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने संयुक्त क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना के बारे में सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) संयुक्त सैक्टर में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विभागेतर डाक कर्मचारी

3004. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में स्थित गांव के डाकघरों में कार्य कर रहे विभागेतर डाकियों की वर्तमान मासिक उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन डाकियों को कुछ और लाभ देने का है ; और

(ग) मदन किशोर आयोग ने इनको कहां तक लाभ पहुंचाया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) विभागेतर प्रणाली में विभागेतर डाकियों का कोई संवर्ग नहीं है। अलबत्ता जो विभागेतर एजेंट डाकियों का काम करते हैं, कार्यभार के आधार पर वे जितने घंटे काम करते हैं उसी के मुताबिक उन्हें मिला-जुला मेहनताना दिया जाता है। यह मेहनताना कम से कम 60.50 रुपये और अधिक से अधिक 85 रुपये महावार होता है। कुछ शर्तें पूरी करने पर वे साइकिल भत्ता पाने के भी हकदार होते हैं। जब वे वर्गीकित शहरों में काम करते हैं तो वे 3 रुपये प्रतिमास अतिरिक्त भत्ता पाने के भी हकदार हो जाते ह।

(ख) और (ग) मदन किशोर कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर निर्णय लेने के फलस्वरूप विभिन्न श्रेणियों के विभागेतर एजेंटों को देय मिले-जुले मेहनताने की रकम अभी हाल ही में 1–9–1973 से बढ़ाई गई है। कार्यभार के अलग आधार पर प्रत्येक विभागेतर कर्मचारी के मेहनताने में 5 रुपय से लेकर 7.50 रुपये तक महावार बढ़ोतरी हुई है।

Cement Factory near Neemuch (M.P.)

3005. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the work of setting up a Cement factory near Neemuch in Mandsaur district in Madhya Pradesh by Cement Corporation of India has commenced ;

(b) whether land for the said purpose has also been acquired; and

(c) if so, the time by which the factory is likely to be completely ready?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) Action preparatory to the setting up of a cement factory near Neemuch in Mandsaur district of Madhya Pradesh has commenced.

(b) Pending completion of certain formalities, sanction for this project has not so far been issued and, therefore, the land for the project has not yet been acquired.

(c) This project has been included in the Fifth Five Year Plan programme of the Cement Corporation of India and it is anticipated that the unit may be commissioned in 1978-79.

Deployment of CRF and BSF in Bihar

3006. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Central Reserve Police and Border Security Force deployed in Bihar to deal with the students agitation in the State and the number of jawans still posted there; and

(b) the expenditure incurred thereon so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) 30 coys of C.R.P.F. are deployed in Bihar for assisting the Government of Bihar in maintenance of law and order. There are no B.S.F. personnel deployed in Bihar.

(b) Excluding the transportation cost, an expenditure of about Rs. 378 lakhs was incurred on the deployment of the B.S.F. and C.R.P. during the period from 1-3-74 to 20-2-1975.

त्रिपुरा के जनजाति लोगों द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की मांग

3007. **श्री बीरेन दत्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में त्रिपुरा के जनजाति लोगों के सभी वर्गों ने उनकी पिछली यात्रा के समय अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं कि आदिवासियों के बसाकत वाले क्षेत्रों को त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाए। सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में दक्षिण राज्यों के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रियों का सम्मेलन

3008. श्री राम कंवर : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में दक्षिणि राज्यों के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रियों तथा अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन की भिन्न भिन्न टिप्पणियां और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्मेलन की टिप्पणियों और सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रियों का एक सम्मेलन 4-2-1975 को कोचीन में हुआ था। इसी प्रकार के सम्मेलन उत्तरी तथा केन्द्रीय क्षेत्र, पूर्वि तथा उत्तर-पूर्वि क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की राज्य सरकारों के खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रियों के भी किये गये थे।

इन सम्मेलनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्राथमिकता और जनता के कमजोर तथा गरीब वर्गों की जरूरी आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार करने तथा उसे मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की गई थी। सर्वसम्मत राय यह थी कि प्रारम्भ में महानगरों तथा बड़े शहरी क्षेत्रों, खानों, औद्योगिक तथा बागानी क्षेत्रों के मजदूरों के रहने वाले इलाकों, जिला मुख्यालयों, पहाड़ी इलाकों और बार-बार अभाव अथवा कमी से प्रभावित होने वाले जिलों के ग्रामीण इलाकों जैसे जरूरतमंद क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं अर्थात् खाद्यान्नों, जिनमें, जहां आवश्यक हो, मोटे अनाज तथा दालें भी शामिल है, चीनी, स्टैंडर्ड कपडा, वनस्पति, जिसमें खाने के तेल भी शामिल हैं, सस्ता ईंधन (साफ्ट कोक, तथा मिट्टी का तेल) और नमक के वितरण को प्राथमिकता दी जाए। पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्रों में दालों, पहाड़ी क्षेत्रों और महाराष्ट्र तथा गुजरात में मोटे अनाजो, पश्चिमी बंगाल में सरसों के तेल और पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में नमक जैसे पदार्थों की मांग को विशेष रूप से पूरा करना होगा। यह सिफारिश भी की गई थी कि सीमेंट, विद्यार्थियों के लिए कागज तथा लेखन सामग्री, कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल तेल, आवश्यक दवाओं, साबुन, दियासलाइयों, बेबी फूड, टायर तथा ट्यूबो, आम जूतों तथा सोडा राख का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय किये जाएं। वस्तुओं की कमी को दूर करने के अतिरिक्त, क्षेत्रीय सम्मेलनों में तय की गई प्राथमिकताओं के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना के श्रमिकों और कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की अदायगी का बन्द किया जाना

3009. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना के श्रमिकों और कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की अदायगी बन्द करने से उन में व्याप्त आक्रोश की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस बारे में राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना के कर्मचारियों से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापनों पर विचार किया गया है। क्योंकि परियोजना भत्ता, जो कि आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि जैसी सुविधाओं से जुड़ा होता है, तथा इन सुविधाओं के परियोजना-स्थल पर उपलब्ध हो जाने के बाद बंद कर दिया जाता है, अतः विभाग द्वारा की गई कार्यवाही भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गए आदेशों के अनुरूप है। इस कारण से, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के कर्मचारियों को परियोजना-भत्ता देने का प्रश्न हीं नहीं उठता।

समस्तीपुर में आहतों को चिकित्सा सहायता

3010. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों ने 2 जनवरी, 1975 की समस्तीपुर में बम विस्फोट में घायल संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों को कोई चिकित्सा सहायता दी थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, रेलवे प्राधिकारियों ने 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर विस्फोट में घायल उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्होंने अपनी इच्छानुसार बाहर चिकित्सा कराने की इच्छा प्रकट की, अन्य व्यक्तियों की चिकित्सा का प्रबंध किया। घायल व्यक्तियों को प्रथम चिकित्सा सुविधा, विस्तृत डाक्टरी जांच, अस्पताल में रखकर तथा बाह्य चिकित्सा जो भी आवश्यक समझा गया पहुंचाई गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव संबंधी अपराधों के लिये चलाये गये मुकदमें

3011. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 से भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX के अंतर्गत किसी चुनाव संबंधी अपराध के लिये किसी व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा चलाया गया है ; और

(ख) क्या वर्ष 1971 से उक्त धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी मांगी गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा चुनाव संबंधी अपराध अथवा स्वीकृति के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय IX-क के अधीन अपराधों के संबंध में अपराध सांख्यिकीय का अलग से संकलन नहीं किया जा रहा है।

सहकारिता आन्दोलन में प्रगति

3012. श्री राजदेव सिंह : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश में 1970–71 और 1971–72 के दौरान सहकारिता आन्दोलन में और प्रगति हुई है ;

(ख) क्या ऋण अधिक दिये गये हैं, क्या प्रारम्भिक कृषि कार्य ऋण समितियों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में क्षेत्रीय असंतुलन जारी रहा और बकाया राशि में और वृद्धि हुई है ; और

(ग) सहकारिता आन्दोलन को राष्ट्रीय तथा सुचारू आन्दोलन बनाने के लिय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सहकारी आन्दोलन ने पहले ही राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया है और सहकारिता का देश को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में एक अलग क्षेत्र के रूप में अविभाव हुआ है। हर एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक जीवन की बहुत सी शाखाओं में संगठन के प्रमुख आधार के रूप में सहकारिता की भूमिका पर बल दिया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जाना है। पांचवीं योजना में सहकारी विकास के चार विशिष्ट उद्देश्य ये हैं :—

(क) कृषि सहकारी सोसायटियों के जाल को मजबूत बनाना ;

(ख) एक आत्मनिर्भर सहकारी आंदोलन का निर्माण करना, ताकि वह उपभोक्ता-अभिमूख वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य कर सके ;

(ग) सहकारी विकास के स्तर में क्षेत्रीय असंतुलनों को सुधारना ; और

(घ) सहकारी सोसायटियों के ढांचे का पुनर्निर्माण और पुनः अनुस्थापन करने के लिए विशेष कदम उठाना, ताकि उनको गतिविधियों को अधिकाधिक रूप से छोटे तथा सीमान्त कृषकों और जनता के दूसरे शोषित वर्गों पर केन्द्रीत कराया जा सके।

पांचवीं योजना में उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों तथा उपायों की परिकल्पना की गई है।

6—14 LSS/ND/75

मदिरा बनाने के लिए अनाज का प्रयोग

3013. श्री मधु दण्डवते : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माताओं द्वारा मदिरा बनाने में अनाज के प्रयोग के सम्बन्ध में मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्य देशों में भारत-रूस के संयुक्त उपक्रम

3014. डा० हरि प्रसाद शर्मा :

श्री बनमाली बाबू :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रूस के उद्योग मंत्री श्री गोल्डिन की अध्यक्षता में एक रुसी दल ने फरवरी, 1975 में नई दिल्ली में अपनी यात्रा के दौरान अन्य देशों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए सहयोग करने के बारे में कुछ प्रस्तावों पर विस्तृत बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) रुस के सहयोग से अन्य देशों में स्थापित किए जाने वाले संयुक्त उपक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) रुस के औद्योगिक उद्यमों के भारी सिविल निर्माण मंत्री श्री एन० वी० गोल्डिन ने फरवरी, 1975 में भारत का दौरा किया था। उन्होंने अन्य देशों में उद्योग स्थापित करने के लिए सहयोग के प्रस्तावों पर बातचीत नहीं की थी। किन्तु रुस के भारी विद्युत और परिवहन उद्योग मंत्री श्री वी० एफ० झिगालिन ने 30 जनवरी, से 12 फरवरी, 1975 तक भारत का दौरा किया था और अन्य देशों को उपकरण सप्लाई करने के लिए सहयोग के प्रश्न पर उनसे बातचीत की गई थी ।

(ख) तथा (ग) श्री वी० एफ० झिगालिन के साथ बातचीत के दौरान उन उत्पादों जो अन्य देशों में रुसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की भारत से सप्लाई किए जा सकते हैं की एक सूची का निर्धारण किया गया था। ये उत्पादन निम्न-लिखित से संबंधित हैं :—

इलेक्ट्रोलाइजर

दरवाजे, दरवाजों के ढांचे और फ्लैश प्लेटें

स्लैग लैडल कारें — 16 घन मीटर

आयरन लैडल कारें — 100/140 टी

इन्गाट मोल्ड कारें — 140/160 टी

आटो डम्प कारें — 80 टी

पिट कवर क्रेनें . — 27 टी

धातुकार्मिक क्रेनें

धातुकार्मिक तथा अन्य उपरिपुल क्रेनें

कोक भट्टी बैटरियां

स्टेकर/रिक्लेमर

हाइड्रालिक प्राप्स

आर्मर्ड स्क्रेपर चेन कन्वेयर

बैटरी लोको

आक्जिलरी वेंटिलेटर (फ्लेम प्रूफ)

बेल्ट कन्वेयरें

पम्प (सेंट्रिफ्यूगल मल्टि-स्टेज)

एन्डलेस हालेज

माइन कारें/टब

रोलिंग मिलों के लिए प्रोसेसिंग लाइन्स

केरल राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशि का दिया जाना

3015. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1975–76 में केन्द्रीय सरकार का विचार केरल राज्य को केन्द्रीय अनुदान के रूप में कितनी धनराशि देने का है ; और

(ख) यह राशि किन किन विकास परियोजनाओं पर खर्च की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) निरन्तर आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केरल समेत सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे वार्षिक योजना 1975–76 के लिए प्रस्तावों का प्रारूप प्रस्तुत करने में केन्द्रीय सहायता की मात्रा का अनुमान चालू वर्ष की सहायता के आधार पर लगायें। वर्तमान प्रक्रियाओं के अनुसार, राज्यों को वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की कुल मात्रा उन्हें समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में उपलब्ध है। यह राशि 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के अनुपात में है। अन्तिम आबंटन/केन्द्रीय सहायता का निर्गम विशिष्ट कार्यक्रमों/परियोजनाओं से सम्बद्ध नहीं है।

बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक

3016. श्री रोबिन ककोटी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में बेरोजगारी इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या क्या है ; और

(ख) इंजीनियरिंग स्नातकों को स्व-नियोजन के लिए सहायता देने की योजनाओं के लागू होने से लेकर वर्ष 1974 के अन्त तक प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में कितने बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों ने अपने आपको काम पर लगाया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) देश में राज्य वार और संघ शासित क्षेत्र-वार दिनांक 30-6-1974 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत जीनियरिंग स्नातकों की संख्या अनुबन्ध 'क' में दी गई है।

(ख) इंजीनियरिंग स्नातकों सहित शिक्षित बरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने तथा स्व-रोजगार उद्यमों को स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए अनेक स्कीमे कार्यान्वित की गई हैं । इस प्रकार की स्कीमों का सूत्रपात होने के बाद जिन बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातको ने स्व-रोजगार आरम्भ कर दिया उनकी संख्या के बारे में आंकड़े उपलबध नहीं हैं ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिनांक 30-3-74 की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1,661
2. असम	54
3. बिहार	4,850
4. गुजरात	76
5. हरियाणा	443
6. हिमाचल प्रदेश	53
7. जमू व कश्मार	36
8. कर्नाटक	2,274
9. केरल	1,639
10. मध्य प्रदेश	574

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिनांक 30-3-74 को संख्या
1	2
11. महाराष्ट्र	995
12. मणिपुर	3
13. मेघालय	..
14. नागालैंड†	..
15. उड़ीसा	377
16. पंजाब	251
17. राजस्थान	557
18. तमिलनाडु	1,661
19. त्रिपुरा	85
20. उत्तर प्रदेश	345
21. पश्चिम बंगाल	2,624
संघ शासित क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह†	..
2. अरुणाचल प्रदेश†	..
3. चण्डीगढ़	138
4. दादरा और नगर हवेली†	..
5. दिल्ली	1,831
6. गोवा, दमण और दीव	32
7. लक्ष्यद्वीप	1
8. मिजोरम	..
9. पांडिचेरी	54
अखिल भारतीय जोड़	20,614

†इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा है।

टिप्पणी :—दिल्ली के दो (दिल्ली और जामा मिलिया विश्वविद्यालयों) को छोड़ कर विश्वविद्यालय सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं।

स्रोत :—रोजगार और प्रशिक्षण का महानिदेशालय।

Delhi Telephone Directory

3017. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the telephone directory of Delhi in English has been distributed after its publication but nothing is yet known about the Hindi directory; and

(b) if so, the reasons for this delay?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) Telephone Directory of Delhi in English was received in the beginning of November 1974 and the distribution to Public started by middle of November, 1974. Hindi Directory was received from the Press by the end of November, 1974 and distribution started immediately.

(b) Does not apply.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा सप्लाई किए गए नियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि

3018. श्री टुना उरांव : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन की *नियन्त्रित* किस्म के कपड़े के मूल्य में वृद्धि की मांग का समर्थन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1974 से कंट्रोल के कपड़े की कारखाने से निकलते समय की अधिकतम कीमत 1968 की कीमत से 30 प्रतिशत अधिक नियत कर दी गयी है । राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि इस मूल्य पर उसे कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन में पर्याप्त हानि उठानी पड़ती है तथा उसने सुझाव दिया है कि मूल्य बढ़ाकर अथवा अन्य कोई उपाय से हानियों की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। समझा जाता है कि इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन की 24 दिसम्बर 1974 को हुई समिति की बैठक में यह निश्चित किया गया था कि कंट्रोल के कपड़े के मूल्यों का पुनः नियतन करने के लिए इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन के पदाधिकारियों के शिष्टमंडल को जिसमें एन० टी० सी० का एक प्रतिनिधि भी हो संबंधित अधिकारियों से मिलना चाहिए। एन० टी० सी० ने शिष्ट मंडल के साथ जाने के लिए अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा ।

कोका कोला के संघटक तत्व

3019. श्री भालजी भाई परमार : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची से कोका कोला को निकालने के बारे में निर्णय कैसे लिया गया जबकि कोका कोला के संघटक तत्वों का पता ही नहीं है ;

(ख) क्या कोका कोला के 6 संघटक तत्व संश्लिष्ट मूल के हैं और उसका परिणाम संश्लिष्ट ही हो सकता है ;

(ग) उद्योगों को सूचीबद्ध करने का आधार क्या है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में इस कम्पनी को बड़ी राशि स्वदेश भेजने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) कोका-कोला सांद्रण चाहे जिन चिजों से बना हो इसले ध्यान निरपेक्ष रखकर कोका-कोला उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की परिवीक्षा में नहीं आता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) निश्चित समय पर जन-हित का ध्यान रखते हुए, उद्योगों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की सीमा में रखा जाता है।

(घ) सरकार ने विभिन्न पहलुओं से इन प्रेषण सुविधाओं की समीक्षा की है जो कोका-कोला निर्यात निगम को दी गई है और इस प्रकार निर्णय किया गया है:—

(क) वर्ष 1969 से मार्च, 1972 के अन्त तक की अवधि में कोका-कोला निर्यात निगम की भारतीय शाखा को सभी प्रकार की (आयात लाभ, मुख्यालय के व्यय / विदेशी शाखाओं के सेवा प्रभार आदि) प्रेषण सुविधाओं के संबंध में इन वर्षों में कमाये गये कुल निर्यात का अधिकतम 80 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है ।

(ख) अप्रैल, 1972 से आगे उक्त पैरा (क) में बताये गये सभी प्रकारों पर प्रेषण सुविधायें कम्पनी के अपने उत्पादनों के निर्यात के 80 प्रतिशत तक देने की अनुमति दी गई हैं ।

कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के पेय पदार्थों की आधार सामग्री के संघटक तत्व

3020. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के पेय पदार्थों की आधार सामग्री के संघटक तत्व क्या हैं; उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियमन के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योगों से उसे निकालने का आधार क्या है ;

(ख) क्या अनुसूचित उद्योग के अन्तर्गत न आने वाले मदों के बारे में सरकार की स्वीकृति या तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण अनिवार्य है ; और

(ग) यदि हां, तो कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के मामले में इस प्रक्रिया के न अपनाए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) कोका कोला कोका कोला के सान्द्रण से बनाता है जिसका फर्म ने एक गुप्त पेटंट कराया है । यह सांद्रण मूलतः नैसर्गिक अथवा वनस्पति तथ्यों से बनता है। कोका कोला सांद्रण एक ऐसी वस्तु है जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित वस्तु नहीं आती है। इसका निर्माण चाहे जैसे भी होता हो ।

(ख) और (ग) मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को भारत में सांद्रण बनाने के लिए 1958 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 1964 में गलगल/फलों के पेय बनाने के उनके प्रस्ताव के लिए भी सहमति दे दी गयी थी।

कोका कोला के बोटलिंग एककों की क्षमता और उत्पादन

3021. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एककों द्वारा बोटलिंग प्लांटों के लिए प्रस्तुत फार्म 'ए' और फार्म 'बी' के आधार पर उन एककों को पंजीकरण प्रमाणपत्र मन्जूर किये गये थे ;

(ख) क्या इन फार्मों में अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन का ब्यौरा दिया होता है ;

(ग) क्या पंजीकरण प्रमाणपत्रों के बारे में वर्ष 1972 में क्षमता के पूर्ण उपयोग के बारे में कोई आधार अपनाया गया था और यदि हां, तो आधार और अनुदेश क्या थे ; और कोका कोला के मामले में उसे क्यों नहीं अपनाया गया; और

(घ) इस कसौटी के आधार पर कोका कोला की इन चार बोटलिंग एककों ने आरम्भ में क्या क्षमता बताई थी और गत तीन वर्षों में उनका उत्पादन क्या रहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण और लाइसेंसीकरण नियम, 1952 में उल्लिखित फार्म 'ए' को दिए गए आवेदन फार्म के आधार पर बोतल भरने के संयंत्रों की स्थापना करने के लिए भारतीय एककों को पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए गए थे ।

(ख) फार्म 'ए' में दिए गए आवेदन में अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन और उत्पादन के ब्यौरे होते हैं ।

(ग) और (घ) 1 जनवरी, 1972 को सरकार ने अधिष्ठापित संयंत्र और मशीनरी का पूर्णतम उपयोग करने का सुनिश्चय करने के विचार से निम्नलिखित छूट की घोषणा की थी :

(1) जहां कहीं पार्टी को एक अथवा दूसरी पाली के आधार पर लाइसेंस दिया गया हो वहां पार्टी को संयंत्र और मशीनरी का अधिकतम उपयोग करने के आधार पर अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति दी जाएगी ।

(2) अन्य मामलों में लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 25 प्रतिशत तक की वर्तमान छूट को अधिकतम 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है । इन छूटों को कतिपय चुने गए प्राथमिकता वाले उद्योगों पर लागू किया गया था । प्राथमिकता वाला उद्योग न होने के कारण हल्के पेय उद्योग को इन छूटों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी ।

पिछले तीन वर्षों से बोतल भरने वाले चार संयंत्रों का उत्पादन निम्न प्रकार है :

	दस लाख बोतल में उत्पादन		
	1972	1973	1974 अनुमानित
1. मै० प्योर ड्रिंक्स लि०, नई दिल्ली .	214.84	123.00	88.94
2. मै० प्योर ड्रिंक्स, कलकत्ता .	38.60	44.04	25.04
3. मै० प्योर ड्रिंक्स, बम्बई . .	110.39	93.92	75.83
4. मै० कानपुर बोटलिंग कं०, कानपुर .	25.27	16.27	26.22

कोयला खानों तथा कोयला धोने के कारखानों के उत्पादन, वितरण एवं प्रबन्ध को एक संगठन के अधीन करना

3022. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों तथा कोयला धोने के कारखानों के उत्पादन, वितरण तथा प्रबन्ध को एक संगठन के अधीन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इससे उद्योग को पुनः सक्रिय बनाने और कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कहां तक सहायता मिलेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स टाऊनशिप, भोपाल के लिये स्थानीय प्राधिकरण की स्थापना

3023. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हैवी इलैक्ट्रिकल्स टाऊनशिप, भोपाल के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजे है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुए, ; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उनके संबंध में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि औद्योगिक बस्तियों में स्थानीय प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विधान बनाने की व्यवस्था करने के संबंध में सरकार को निश्चय करना चाहिए। वे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों दोनों में स्थानीय प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक समान नीति लागू करना चाहती है। चूंकि इस प्रस्ताव पर व्यापक प्रतिक्रिया निहित है इसलिए विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

सरकारी उपक्रमों के समीपवर्ती औद्योगिक बस्तियों के लिये स्थानीय प्राधिकरण

3024. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने प्रमुख सरकारी उपक्रमों के समीपवर्ती औद्योगिक बस्तियों के प्रशासन के लिये स्थानीय प्राधिकरण की स्थापना हेतु कोई नीति निश्चित कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लद्दाख के विकास के लिए धनराशि

3025. श्री कुशोक बाकुला : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करते समय लद्दाख के विकास के लिए अलग से धन आबंटित करता है ;

(ख) लद्दाख के लिए योजना-वार कितना धन आबंटित किया गया है ; और

(ग) क्या लद्दाख क्षेत्र के लिए प्रत्येक योजना में आबंटित पूरी राशि उस क्षेत्र में व्यय कर दी गई है ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) लद्दाख के विकास के लिए धन का आवंटन तथा निर्धारण जम्मू तथा कश्मीर की समस्त योजना के अन्तर्गत किया गया है ।

(ख) राज्य योजना दस्तावेजों से प्राप्त हुए योजनावार परिव्यय तथा व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जिन मुख्य कारणों से व्यय में कमी आई वे हैं, काम करने का छोटा मौसम, प्रतिकूल जलवायु और भूभाग तथा बुनियादी आधारभूत सुविधाओं का अभाव ।

विवरण

लद्दाख

(रुपये लाखों में)

		परिव्यय	व्यय
तीसरी योजना .	(1961–62)	247.95	143.00
	66–67	73.00	56.72
	67–68	56.00	31.42
	68–69	67.00	44.33
चौथी योजना .	(1969–74)	600.00	550.00
पांचवीं योजना अस्थायी . . .		1800.00	
	1974–75	207	209 (प्रत्याशित)

लद्दाख के लिये विद्युत् प्रजनन योजनाओं की क्रियान्विति

3026. श्री कुशोक बाकुला : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख जिले के लिये कितनी विद्युत प्रजनन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ; और

(ख) तत्संबंधी लक्ष्य क्या हैं तथा प्रत्येक योजना संभवत: कब तक पूरी हो जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) स्टाकना जल-विद्युत स्कीम, जिसमें 2–2 मेगावाट के चार सेटों के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था है, लद्दाख में निर्माणाधीन है । यह स्कीम 1977–78 के दौरान चालू होनी अनुसूचित है ।

लद्दाख की जनसंख्या में वृद्धि

3027. श्री कुशोक बाकुला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लद्दाख के प्रत्येक जिले की, पृथक पृथक जनसंख्या कितनी कितनी है ; और

(ख) लद्दाख में बौद्धों की जनसंख्या कितनी है तथा अन्य समुदायों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जम्मू तथा कश्मीर राज्य में लद्दाख जिले की जन-संख्या 1961 में 88,651 थी जबकि 1971 में इसकी संख्या बढ़कर 105,291 हो गई। इस प्रकार 1961–71 के दशक में वृद्धि की दर 18.77 प्रतिशत हुई। लद्दाख जिले में तीन तहसीलें हैं और 1971 की जन गणना के अनुसार उनकी जनसंख्या निम्नलिखित है :—

तहसील	1971 की जनगणना की जनसंख्या
1. लेह	51.891
2. कारगिल	46.514
3. जन्सकार .	6.886
जोड़	105.291

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार लद्दाख जिले में बौद्धों की जनसंख्या 54,565 थी। बौद्ध जिले की कुल जनसंख्या का 51.82 प्रतिशत है। लद्दाख जिले में अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों की जनसंख्या तथा 1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत निम्नलिखित था :—

धार्मिक समुदाय	1971 की जनगणना की जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
हिन्दू	1,152	1.10
मुसलमान .	49,131	46.66
ईसाई	81	0.08
सिख	361	0.34
जैन	..	..
अन्य धर्म तथा सम्प्रदाय	..	..
जिन के धर्म का उल्लेख नहीं किया गया		नगण्य

आई० पी० एस० सेवा में लद्दाख के निवासी

3028. श्री कुशोक बाकुला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आई० पी० एस० सेवा में कुल कितने लद्दाख निवासी हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इडिक्की विद्युत परियोजना के लिये सीमेंट की कमी

3029. श्री० वयालार रवि : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सीमेंट की प्राप्ति में कठिनाई होने के कारण इडिक्की विद्युत परियोजना के कार्य की क्रमिक प्रगति में बाधा पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अभी हाल में सीमेंट की कुछ कमी होने की सूचना दी गई थी। इस मामले में औद्योगिक विकास विभाग के साथ लिखा-पढ़ी की गई थी और यह सूचना मिली है कि सीमेंट की स्थिति अब संतोषजनक है।

इडिक्की विद्युत् परियोजना के लिये केरल द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

3030. श्री वयालार रवि : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने महत्वपूर्ण इडिक्की विद्युत परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए कम से कम दो करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। ऊर्जा मंत्रालय ने जीवन बीमा निगम को सिफारिश की है कि अतिरिक्त ऋण सहायता देने पर विचार किया जाए, और राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वे सहायता के लिए उस संस्थान से अनुरोध करें।

डाकघर खोलने के लिये घाटे की सीमा बढ़ाया जाना

3032. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में शाखा डाकघरों सहित डाकघर खोलने के लिये अधिकतम अनुमय घाटे की सीमा बढ़ाने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है किन्तु घाटे की मौजूदा सीमाएं पर्याप्त समझी गई है क्योंकि विभाग पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में डाकघर खोलने में पहले ही छूट दे रहा है अर्थात सामान्य रूप से प्रति डाकघर 1000 रुपये वार्षिक और विशेष मामलों में 2500 रुपये वार्षिक घाटा बर्दाश्त करने की अधिक सीमा उसने पहले ही निर्धारित कर रखी है। इन इलाकों के मामले में डाकघर से होने वाली अनुमानित न्यूनतम आय की अतिरिक्त शर्त में भी छूट दे रखी है। पहाड़ी इलाकों में प्रस्तावित डाकघर से उसकी लागत के केवल 10 प्रतिशत भाग के बराबर और पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत भाग के बराबर अमदनी होने की शर्त रखी गई है जबकि सामान्य इलाकों में डाकघर खोलने के मामले में घाटे की सामान्य स्वीकृति सीमा 750 रुपये या 500 रुपये सालाना है और प्रस्तावित डाकघर से उसकी लागत के कम से कम 25 प्रतिशत भाग के बराबर आमदनी होने की शर्त लागू है ।

शिमला मण्डी सूक्ष्मतरंग सम्पर्क

3033. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला मण्डी सूक्ष्मतरंग सम्पर्क को मंजूरी दे दी गई है और वह संस्थापना के लिए तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सम्पर्क किस सम्भावित तारीख तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) डाक तार विभाग ने शिमला मण्डी के बीच एक तंग पट्टी का माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने की योजना बनाई है। परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

(ख) आशा है कि यह योजना वर्ष 1978 तक पूरी हो जाएगी।

डाक तथा तार विभाग के साइन बोर्ड

3034. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के अधिकारी सम्बन्धित राज्यों में साइन बोर्ड के मामले में राज्य सरकारों की भाषा नीति का पालन करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरपूर्वी सर्किल और पंजाब सर्किल जैसे बहुराज्यीय सर्किलों में किस नीति का पालन किया जा रहा है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) डाक तार विभाग के विभिन्न सर्किलों के डाक तार कार्यालयों में साइन बोर्ड तीन भाषाओं में अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में, या हिन्दी भाषी इलाकों में हिन्दी और अंग्रेजी दो भाषाओं में लिखे जाते हैं ।

मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों, आदिवासियों और हरिजनों के लिए रोजगार

3035. **श्री भगतराम मनहर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार को राज्य में शिक्षित बेरोजगारों, आदिवासियों और हरिजनों का लाभप्रद रोजगार प्रदान करने को दृष्टि से कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) यह सहायता कितनी एजेंसियों के माध्यम से दी जाती है ; और

(ग) उससे कुल कितने आदिवासियों और हरिजनों को लाभ मिला है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम, 1973-74 के अन्तर्गत अन्य योजनागत और गैर-योजनागत स्कीमों से सामान्य रोजगार अवसर तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होने के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के लिए 35 स्कीमें स्वीकृत की गई थीं, जिनमें 257,15 लाख रुपये का परिव्यय और 28,725 शिक्षित लोगों के लिए रोजगार क्षमता शामिल है। इसके मुकाबले राज्य सरकार ने 82.27 लाख रुपये की राशि खर्च की जिसके फलस्वरूप 15,519 शिक्षित लोगों को रोजगार मिला।

रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1974-75 के दौरान राज्य को 17 स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें 174.28 लाख रुपये का परिव्यय और 2,096 शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार अवसरों का सर्जन शामिल है।

उपर्युक्त स्कीमों के क्रियान्वयन से अनसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को भी लाभ प्राप्त हुआ होगा, लेकिन ऐसे लाभानभोगियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विशेष रूप से आदिवासियों और हरिजनों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई स्कीमों, लाभानभोगी—आदिवासियों और हरिजनों की संख्या दर्शाते हुए निम्न प्रकार से हैं :—

स्कीम का नाम	स्वीकृत परि-व्यय (लाख रु०)	1973-74 में किया गया व्यय (लाख रु०)	रोजगार क्षमता	1973-74 में उपलब्ध कराए गए रोज-गार
1	2	3	4	5
पा० ला० रो० का० 1973-74				
(1) 2500 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए दूकानें खोलना . .	4.79	2.58	2500	500
(2) आदिवासियों/हरिजनों को आटोमोबाइल, डीजल और बिजली के पम्पों की मैकेनिकी में प्रशिक्षण देना .	0.92	0.02	200	50

1	2	3	4	5
रो० प्रो० का० 1974–75				
(1) वनरक्षक और वन सिपाही के काम में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना । . . .	2.93	1.39	400	उ०न०
(2) अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए दूकानें खोलना .	1.05	उ०न०	200	उ०न०
(3) अ० जा०/अ० ज० जाति के उम्मीदवारों को तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और दूकानें स्थापित करना (कारखाने, आदि) .	0.49	उ०न०	250	उ०न०
(4) सरकारी पदों के लिए अ० जा०/अ० ज० जाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना . .	0.46	उ०न०	100	उ०न०
(5) गैर-सरकारी कामों के लि अ० जा०/अ० ज० जाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना .	0.23	उ०न०	50	उ०न०
जोड़ .	10.87	3.99	3700	550

†1974–75 में स्कीम को पूरा करने/जारी रखने के लिए 0.69 रुपये अधिनीत सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेषरूप से नियत की गई स्कीमों में समन्वय जनजाति कल्याण विभाग द्वारा स्थापित किया जाता है और वही विभाग सम्बद्ध निष्पादन निकायों को धन प्रदान करता है।

मध्य प्रदेश में उद्योगों को बिजली की सप्लाई

3036. **श्री भगतराम मनहर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार को अपने उद्योग चलाने के लिए पूरी बिजली प्राप्त नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो बिजली की कमी के कारण कुल कितने उद्योग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सके हैं ; और

(ग) राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पीकिंग क्षमता में विद्युत की कमी है। कृषि और उद्योगों को विद्युत की सप्लाई इस ढंग से नियमित की जा रही है, जिससे कि उनके उत्पादन की हानि

न पहुंचे। इस कमी पर काबू पाने के लिए वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करने और निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्रीनगर, दिल्ली में चोरियां और अपराध

3037. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिनगर, दिल्ली-35 में चोरी और अपराध की घटनाओं में हाल में हुई वृद्धि की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इसकी किस प्रकार रोक थाम करने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) त्रिनगर क्षेत्र में चोरी तथा अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 1975 में (28-2-1975 तक) चोरी और अपराधों के मामलों की संख्या 12 थी जबकि 1974 की ईसी अवधि में उनकी संख्या 26 थी।

शान्तिनगर पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन बनाना

3038. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्ति नगर स्थित पुलिस चौकी को पूर्ण स्तर का पुलिस स्टेशन बनाने अथवा वहां पर कांस्टेबलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय पहले त्रिनगर वेलफेअर एसोसिएशन (रजिस्टर), दिल्ली ने एक अभ्यावेदन दिया था लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। 1974 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र के लिये अशोक विहार (वजीर पुर) में पूर्ण स्तर का पुलिस स्टेशन स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

क्विलोन जिले में सार्वजनिक टेलीफोन

3039. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के क्विलोन जिले में, ब्लाक-वार कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं ;

(ख) 1 अप्रैल, 1972 से कितने स्थानों (नाम सहित) ब्लाक-वार, के लिए डाकघरों की मांग विचाराधीन है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में मांग स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) केरल राज्य के क्विलोन जिले में ब्लाक-वार सार्वजनिक टेलीफोन घरों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1.	एथिकारा	9
2.	अंचलमुडु	1
3.	चित्तूमाला	7
4.	मुगाथल	4
5.	चावरा	8
6.	करुंगापल्ली	9
7.	ओचिरा	3
8.	कोट्टाराकारा	3
9.	वेट्टीका वला	4
10.	एडायामंगलम	3
11.	अंचल	11
12.	पठानपुरम	8
13.	इस्तमकोटा	8
14.	पैंराकोडे	5
15.	रन्नो	10
16.	कोन्नो	2
17.	एलावनतूर	14

(ख) 90 स्थानों पर डाकघर खोलने के लिए अप्रैल, 1972 से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का ब्लाक-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) वित्तीय कठिनाई के कारण लगे हुए अस्थायी 'प्रतिबन्ध' के कारण ये प्रस्ताव अनिर्णीत पड़े हैं।

विवरण

अनुबन्ध

ब्लाक-वार डाकघर खोलने के प्रस्तावों की सूची जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण नहीं खोले गए :

(क) अंचलमुडु ब्लाक

1. इंचाविला

7—14 LSS(ND)/75

(ख) चाडायामंगलम ब्लाक

2. पेरिंगलूर

3. कुरिवोडे

4. थेक्नर

5. ओजुकुपरकल

(ग) चित्तूमाला ब्लाक

6. चित्तूमाला

(घ) एलंतूर ब्लाक

7. मुट्टू कुडुक्का

(ङ) इथिकारा ब्लाक

8. चिराकारा

(च) कोन्नी ब्लाक

9. कक्का ठोडु

(छ) कोट्टारांकारा ब्लाक

10. करोपरा

11. चाक्कूवराक्कल

(ज) पाराकोडे ब्लाक

12. कुडुथा

(झ) रान्नी ब्लाक

13. वलियाकावु

(ञ) वेट्टीकावाला ब्लाक

14. अंडूर

विचाराधीन ब्लाक वार प्रस्ताव

(क) चावारा ब्लाक

1. कोविल ठोदंड़

2. पडप्पावल जंक्शन

3. अरुकलिक्कल

4. कुन्नेल जंक्शन

(ख) चित्तूमाला ब्लाक

5. करीपुरम

6. वेलेनाथुरुथु

7. प्लामुक्कू जंक्शन

8. ऊन्नीमूडु

(ग) एज़ान्थूर ब्लाक

9. नरंगनम साउथ

10. चोकानल

(घ) इथिकारा ब्लाक

11. कोट्टापुरम

12. कुनियिलचेरी

13. इलमकुलम

(ङ) करूंगापल्ली ब्लाक

14. कडप्पा साउथ

15. पट्टाथि लकाडवु

(च) कोन्नी ब्लाक

16. थेकुमथोड़

17. मुट्ठुपेजुंकल

18. चुरुलोकोडे

19. म्लाडाडम

(छ) कोटाराकारा ब्लाक

20. नाडुकुन्नू

21. थाककरे कांगम

22. थिनकलकरिकोम ईस्ट

23. कुम्मानूर

24. पांडिथिट्टा

25. इडानाड

26. द्वारका

27. इडावलेट्ट
28. ठोलाजम
29. अथिरानलूर
30. नाडावन्नूर
31. अंचल
32. अइपल्लूर
33. वेलकोस जंक्शन
34. कालाकोडे
35. वेलिनल्लूर
36. कुंडावथूर
37. चांगाविला जंक्शन
38. अन्नूर

(ज) मुखाठाला ब्लाक

39. कोइपड्डू
40. कल्लुवटन कुजी
41. एलीकोड
42. पेनुकोन्नूर

(झ) ओचिरा ब्लाक

43. पुठुवाल
44. कामुकुमचेरी
45. कुरूगापल्ली

(ञ) पराकोडे ब्लाक

46. चायालोडे
47. कुनिडा
48. पूमकुलंजी
49. एडाठा रा जंक्शन

(ट) पठानपुरम ब्लाक

50. पदम
51. पंडाप्लावु

52. भेड्डुमपारा

53. मड्कामाइन

(ठ) रन्नी ब्लाक

54. मन्नराकुलंजी

55. एडा याडी कुक्कु

56. करोकुलम कालोनी

57. कुंजीकाला साउथ

58. कक्कल

59. चेरियोलायु

60. कदमानिट्ट ईस्ट

61. कुरुमान्नूर

62. करथावियम

63. कंबा कुंजी

64. कूननकारा

65. अंडपालुंका

(ड) संस्थामकोटा ब्लाक

66. सुरानाड साउथ

67. एडाकाड

68. थेंगामोन

(ढ) वेट्टीकावाला ब्लाक

69. आरामपुन्ना

70. पोलीकोडे

71. पोडियाथिविल्ल

72. अट्टुवसेदी

(ण) अंचल ब्लाक

73. अरकन्नुर

74. अर्नाकुलम

75. उन्नोमूडु

76. अंचल कालेज जंक्शन

खादी ग्रामोद्योग आयोग और खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना

3040. श्री सरजू पांडे : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को 1967 से दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया गया था जब कि खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को 1973 से ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इस कारण खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के कर्मचारियों में भारी असन्तोष है ; और

(ग) खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के कर्मचारियों और खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) खादी और ग्रामोदयोग आयोग के कर्मचारियों को द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ जुलाई 1963 से दिया गया था। खादी ग्रामोद्योग आयोग के उपाध्यक्ष तथा भवन के कर्मचारी संघ के बीच हुई समझौते के अनुसार खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों पर संशोधित वेतन मान जनवरी, 1973 से लागू किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को जनवरी 1973 जब से यह लाभ आयोग के अन्य कर्मचारियों को दिए गए थे से दिया गया है। इसी प्रकार अवकाश, यात्रा रियायत चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा सन्तान शिक्षण भत्ता जैसी आयोग के कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई गई हैं ।

हरिजनों एवं जनजातीय व्यक्तियों के लिये मकान बनाने की योजना

3041. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धन हरिजनों तथा जनजातीय व्यक्तियों के लिये मकान बनाने की योजनायें अपनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो जिन एजेंसियों के माध्यम से उन योजनाओं को चलाया जाता है, उनके बारे में तथ्य क्या हैं और (1) 1972-74 वर्षों के लिये विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि और (2) उपयोग में लायी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजन से विभिन्न राज्यों में कितने कितने मकान बनाये गये ; और

(घ) हरिजनों तथा जनजातिय व्यक्तियों के लिये मकान बनाने के लिये उक्त योजनायें जारी रखने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े वर्गों के केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आवासीय योजना नहीं है। किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में उन लोगों की जो अस्वच्छ कार्यों में लगे हैं। काम करने तथा रहन सहन की दशा में सुधार के लिये एक संयुक्त योजना थी। इस योजना को पांचवीं योजना में सामान्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है। जयन्ती गांवों में हरिजनों के लिये मकान बनाने का एक विशेष कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता की 25वो जयन्ती मनाने के संबंध में 1973-74 में हाथ में लिया गया था।

पिछड़े वर्गों के राज्य क्षेत्र के अन्तगत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मकान बनाने के लिये सहायता देने की एक योजना है। इस योजना पर व्यय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सहायता, खण्ड अनुदानों तथा खंड ऋणों के रूप में दी जाती है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें अपने आवासीय बोर्डों/स्थानीय निकायों आदि के द्वारा मकान बनाती है। उन लोगों की जो अस्वच्छ कार्यों में लगे हैं कार्य करने तथा रहन सहन की दशा में सुधार की संयुक्त योजना के अधीन 1972-73 तथा 1973-74 में अदा की गई धनराशि तथा प्रयोग में लाई गई धनराशि और बनाये गये मकानों की संख्या का विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या 9158/75]**

जयन्ती गांवों में मकानों के निर्माण के लिये 1973-74 के दौरान स्वीकृत 5 करोड़ रुपये का अलग अलग विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या 9158/75]**

सारी चौथी योजना के दौरान किये गये व्यय तथा योजना अवधि के दौरान बनाये गये मकानों की संख्या विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या 9158/75]**

(घ) सरकार की नीति हरिजनों तथा इन जातियों के लिये राज्य योजनाओं/संघ राज्य क्षेत्रों के सामान्य क्षेत्र में मकान बनाने के लिए परियोजनाएं जारी रखने की हैं बशर्ते कि राज्य सरकारों द्वारा अपनी वार्षिक योजना में स्रोत निर्धारित किये गये हों तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया हो। विभिन्न राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बनाय जाने वाले प्रस्तावित मकानों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। (अनुलग्नक-4) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9158/75]**

नेताजी के जन्म दिवस पर रेडियो तथा टेलिविजन कार्यक्रम

3042. श्री समर गुह :

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 जनवरी, 1975 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिवस मनाने हेतु आकाशवाणी तथा टेलिविजन केन्द्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों संबंधी तथ्य क्या है ;

(ख) अंग्रेजी तथा हिन्दी में आयोजित कार्यक्रम संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इन कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले स्टेशनों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) आकाशवाणी के बहुत से रेडियो और टेलिविजन केन्द्रों ने 23–1–1975 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी के संबंध में उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किए। इनमें अंग्रेजी और हिन्दी के कई कार्यक्रम शामिल थे। एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न रेडियो स्टेशनों और टेलीविजन केन्द्रों द्वारा प्रसारित किये गए कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9159/75**] अंग्रेजी और हिन्दी के कार्यक्रम प्रत्येक रेडियो स्टेशन और टेलिविजन केन्द्र के नीचे दिए गये हैं।

पतरातु ताप संयंत्र को कोयले की सप्लाई

3043. श्री मधु लिमये : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पतरातु ताप संयंत्र को पत्थर मिला कोयला सप्लाई किए जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ख) क्या जांचकर्ताओं को भ्रमित करने और चोरी को छिपाने के लिए भूरकंडा एक्सकेवेशन वर्कशाप के निकट कोयले के बहुत बड़े ढेर को धीरे-धीरे जलाने दिया गया है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इन कार्यों को समाप्त करने के लिए कोई उच्च-स्तरीय जांच की है अथवा करेगा ;

(घ) क्या घटिया और मिलावटी कोयले की सप्लाई से पतरातु स्थित ताप संयंत्र को क्षति पहुंची है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार की क्षति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ) सूचना का पता लगाया जा रहा है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों का कार्यकरण

3044. श्री मधु लिमये : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में भुरकंडा, गिडो और सयालदीह स्थित राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों के असन्तोषजनक कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ख) क्या वहां श्रमिक संबंध भी तनावपूर्ण है और सिविल सेक्शन के एक नैमित्तिक श्रमिक को उसी कार्य के लिए केवल 3 रुपये 50 पैसे मिलते हैं जिस कार्य के लिए एक स्थायी कर्मचारी को लगभग 10 रुपये 70 पैसे मिलते हैं ;

(ग) क्या कोयला मजदूर पंचायत की भुरकंडा शाखा के सचिव को परेशान किया गया है और उसकी नियुक्ति स्थायी कर दिये जाने के बाद उसे स्थानांतरित कर दिया गया है ;

(घ) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा रख-रखाव कार्य ठेकेदारों को दिया जा रहा है जिससे बहुत से नैमित्तिक श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) बिहार में भूरकंडा, गिडी तथा सायल 'डी' स्थित राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों के असंतोषजनक कार्यकरण के बारे में हाल हीं में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उपर्युक्त तीनों कोयला खानों में श्रमिक संबंध तनावपूर्ण हैं। हां गिडी 'ए' कोयला खान में मजदूर-संघों में आपसी स्पर्धा की सूचना अवश्य मिली है परन्तु इससे हाल के महीनों में काम में किसी प्रकार की रुकावट की कोई सूचना नहीं मिली है।

सड़कों और भवनों के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव के लिए नैमित्तिक आधार पर रखे गए कामगारों को सरकार द्वारा निर्धारित रु० 3.50 पै० प्रति दिन की दर से मजदूरी दी जाती है। स्थायी मजदूरों की मजदूरी 1–1–1975 से राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के अनुसार दी जाती है।

(ग) उन्हें परेशान नहीं किया गया है। उन्हें 6–10–1974 से दैनिक मजदूरी कामगार वर्ग से मासिक मजदूरी कामगार वर्ग में रखा गया था और कालांतर में "न्यू सलेक्टेड" धोरी कोयला खान को स्थानान्तरित कर दिया गया।

(घ) तथा (ङ) जहां भवनों, सड़कों आदि के दिन प्रति दिन की मरम्मत तथा रख-रखाव का काम कम्पनी के नियमित तथा नैमित्तिक कामगारों को सौंपा जाता है वहां सड़कों, भवनों तथा संरचनाओं के निर्माण, उपकरणों आदि की विशेष मरम्मत जैसा नैमित्तिक काम ठेकेदारों को दिया जाता है। इसलिए यह सही नहीं है कि बहुत से नैमित्तिक कामगार बेरोजगार हैं।

नागालंड को चीन द्वारा हथियारों की सप्लाई

3045. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान 28 फरवरी, 1975 तक नागा तथा मिजो विद्रोहियों से कुल कितने चीनी हथियार पकड़े गये ; और

(ख) क्या इस संबंध में इस बीच चीन को कोई विरोध पत्र भेजा गया है और यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार 1–1–74 से 28–2–75 तक की अवधि के दौरान नागा विद्रोहियों से चीन में बने 30 हथियार बरामद किये थे। इस अवधि में मिजो विद्रोहियों से चीन में बने कोई हथियार बरामद नहीं हुए।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्।

बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ विदेशी सहयोग

3046. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री बहुराष्ट्रीय नगमों द्वारा भारतीय एकाधिकारियों के सहयोग से कम्पनियां स्थापित करने के बारे में 6 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1681 के उत्तर तथा उनके मंत्रालय द्वारा 7 दिसम्बर, 1974 को पूरे किये गये आश्वासन के सम्बन्ध में यह बताने की

कृपा करेंगे कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये वह 32 उपक्रम कौन कौन से है जिनके विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये हैं और सात बहु-राष्ट्रीय निगमों सहित विदेशी सहयोगियों के नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : 6 अगस्त, 1974 को पूछे गए प्रश्न संख्या 1681 के उत्तर तथा 7 दिसम्बर, 1974 को पूरे किए गए आश्वासन में उल्लिखित बहुराष्ट्रीय निगमों सहित विदेशी सहयोग करने वालों के नामों के साथ एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के अधीन पंजीयित 82 उद्योगों की पूरी सूची अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9160/75]**

बिहार के राजधारिया ब्रदर्स से प्राप्त दस्तावेज की जांच

3047. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **प्रधान मंत्री** बिहार के राजधारिया ब्रदर्स से प्राप्त दस्तावेजों के बारे में 18 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5089 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेतिया में पकड़े गये दस्तावेजों को इस बीच जांच पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय-कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को दिये गये औद्योगिक लाइसेन्स/पंजीकरण प्रमाणपत्र

3048. श्री के० एस० चावडा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को मंजूर किये गये औद्योगिक लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाणपत्रों तथा अन्य स्वीकृतियों का ब्यौरा क्या है ; तथा पिछले तीन वर्षों में उनका उत्पादन कितना था ;

(ख) क्या इस कम्पनी द्वारा मूलरूप में स्थापित की गयी सीमाओं को किसी दूसरी कम्पनी को हस्तांतरित करने अथवा बेचने की अनुमति दी गई थी यदि हां तो इस प्रकार की बिक्री तथा हस्तांतरण करारों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कन्सैन्ट्रेट्स का उपयोग किया जाता है और एक लिटर कोका कोला में कितना कन्सन्ट्रेट उपयोग में आता है तथा इसका मूल्य कितना है ; और

(घ) कोका कोला की एक बोतल में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप स आयातित तत्व कितना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मैं० कोक कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की पेय सान्द्रण का निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा जनवरी 1958 में सहमति दी गई थी। भारत सरकार को साइट्स फल पेयों का निर्माण करने के लिए भी नवम्बर 1964 में सहमति दे दी थी।

इस फर्म द्वारा निर्मित सान्द्रणों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ था।

1972 . .	951,453 कि० ग्रा०
1973	893,346 कि० ग्रा०
1974	635,262 कि० ग्रा० (अनुमानित)

(ख) जी, नहीं।

(ग) सान्द्रण का मूल्य लगभग 85.00 रु० प्रति कि० ग्रा० है। प्रतिलिटर कोका कोला के लिए प्रत्यक्ष सान्द्रण की मात्रा लगभग 5 ग्राम होती है जिसकी कीमत लगभग 45 पैसे होती है।

(घ) एक पैसा से कम।

मैसर्स शार्पएज लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ को विदेशों में भेजना

3049. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कानून में त्रुटि के कारण मैसर्स शार्पएज लिमिटेड, जो हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा नियन्त्रित और प्रबन्धित है, जो स्वयं यूनिलीवर, लन्दन की सहायक कम्पनी है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, विशेषकर धारा 29 के अन्तर्गत अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रही है ;

(ख) क्या मैसर्स शार्पएज लिमिटेड ने वर्ष 1973 तक लाभ के रूप में 2,16,003 रुपये अर्जित किये, जिसमें से हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने 47.5 प्रतिशत राशि अपनी मूल कम्पनी यूनीलीवर, लन्दन को विदेश भेजने के लिये ले ली है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विदेशी मुद्रा के विदेशों में भेजे जाने को रोकने और कम्पनी को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन लाने के लिये क्या कार्यवाही की है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ग) मे० शार्पएज लि० की विदेशी धारिता अन्यत्रवासी की राशि नहीं है जैसी कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में परिभाषा दी गई है। अतः यह कंपनी उक्त अधिनियम की सीमा में नहीं आती है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Setting up of Finance Corporations for Adivasis

3051. **Shri Bhagatram Rajaram Manhar :**
Shri Bhagirath Bhanwar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Central Government have advised the setting up of Finance Corporation in the States for relieving the Adivasis of the indebtedness or converting the loans into long term loans in various States in the country; and

(b) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) In the guidelines for preparation of Sub-plans for tribal areas it was suggested to the State Governments that integrated credit-cum-marketing structure may be set up wherever necessary. It was also requested that the problem of indebtedness should be given a high priority and suitable measures may be considered for redemption of past debts through legislative and executive measures. The State Governments have submitted their sub-plans to the Planning Commission which are being examined.

कालो जल विद्युत् परियोजना के प्रयुक्त जल (टेल वाटर्स)

3052. **श्री वो० बो० नायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) कालो जल विद्युत परियोजना के प्रयुक्त जल (टेल वाटर्स) को सिंचाई क्षमता कितनो है ; और

(ख) क्या इस प्रयुक्त जल (टेल वाटर्स) को उपयाग में लानें के बारे में तथा साथ-साथ विस्थापित व्यक्तियों को वहां बसाने के संबंध में कोई योजना बनाई गयो है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कालोनदो जल-विद्युत परियोजना में टेल जल का सिंचाई के लिए उपयोग परिकल्पित नहों है। जहां तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का संबंध है, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधोन है।

Loss suffered by Super Bazar

3053. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Super Bazar has suffered huge losses continuously for the period from 1971 to 1974 due to irregularities, mismanagement, surp s staff, theft on large scale and irrational purchasing; and

(b) if so, the particulars of persons responsible therefor and the action taken so far against them?

The Minister of State in the Ministry of Industry & Civil Supplies (Shri A. C. George) : (a) During the period from 1971 to 1974, the Cooperative Store Ltd. (Super Bazar), New Delhi, incurred loss only for one year, namely the cooperative year 1971-72, apart from loss incurred in earlier years. It earned a net profit of about Rs. 51,000 in the cooperative year 1972-73. In respect of the cooperative year 1973-74, the net profit earned by the Super Bazar is estimated to be about Rs. 10 lakhs, on the basis of provisional profit and loss account. The exact amount of net profit earned during 1973-74 will, however, be known after audit is duly completed.

(b) Does not arise.

Investments in Kailaras Sugar Mill, Morena District in Madhya Pradesh

3054. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industry & Civil Supplies** be pleased to state:

(a) the total amount invested in the Kailaras Sugar Mill of Morena district, Madhya Pradesh since its set-up and the total number of members of the Mill; and

(b) the shares of the State Government and the Central Government in the capital of the above industry and whether there is likelihood of more investment in this industries, if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry & Civil Supplies, (Shri A. C. George) : (a) and (b) The information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

Setting Up of P.C.Os. in Rohat, Kantalia and Nadol Villages in Pali District

3055. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the time by which P.C.Os. will be installed in Rohat, Kantalia and Nadol villages in Pali District?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : The latest position about the P.C.Os. at Rohat, Kantalia and Nadol villages in Pali District is given below :

1. *Rohat* : The proposal for this P.C.O. is under examination.

2. *Kantalia and Nadol* : Both these PCOs have been recently approved and may be opened by March, 1976.

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अनुसन्धान तथा विकास अनुभाग के विरुद्ध शिकायत

3056. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी गौण कम्पनियों के अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों के क्रिया-कलापों पर नियंत्रण के लिये कोई तन्त्र गठित किया है, यदि हां, तो वह क्या है;

(ख) क्या सरकार को हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अनुसंधान तथा विकास अनुभाग के विरुद्ध किसी शिकायत की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो शिकायत के मुख्य कारण क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 1973 के मध्य से एक पंजीकरण योजना चालू की है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की कम्पनियां, जिनमें विदेशी सहायक कम्पनियां भी शामिल हैं इस योजना के अन्तर्गत आती हैं। उन कम्पनियों जिनके अनुसंधान और विकास कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं, को जहां भी आवश्यक हो, तकनीकी अधिकारियों के दल द्वारा निरीक्षण के पश्चात् पंजीकृत किया जा रहा है।

(ख) और (ग) संसद के एक माननीय सदस्य ने माननीय उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया था कि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के बम्बई स्थित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र से अनुसंधान एवं विकास के परिणामों और प्रगति को यूनीलीवर लंदन की समुद्रपार समितियों को उनके प्रयोग के लिए निरंतर पारेषित किया जा रहा है और इन वर्षों में, इस कम्पनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास के नाम पर जो छूट सचित रूप में ली गई है, वे भारी मात्रा में हैं। मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बम्बई के अन्धेरी केन्द्र में अनुसंधान एवं विकास के परिणाम, वसा, सश्लिष्ट, वसा अम्लों, संश्लिष्ट अपमार्जकों, सुगंध तेलों एवं परिष्कृत रसायनों, खाद्य तेलों, संसम्भित खाद्यों, प्राणि पोषकों, उत्प्रेरकों (कैटेलिस्ट्स) आदि के क्षेत्रों में हैं। मैसर्स यूनिलीवर ब्रिटेन के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास एककों और उनकी सारे संसार में फैली सहयोगी/सम्बद्ध कम्पनियों के बीच अनुसंधान सूचना का संचार होता है और उसमें मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का अंधेरी में स्थित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र भी शामिल है।

सीमेन्ट में मिलावट

3057. श्री एन० ई० होरो : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेन्ट में मिलावट करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हैं अथवा उसने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो 1974 में ऐसे मामलों की राज्य वार संख्या कितनी थी; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) सीमेंट में मिलावट के सम्बन्ध में इस मंत्रालय में न तो कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई है और न ही इस मंत्रालय ने इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया है। किन्तु उपभोक्ता समिति ने 1974 में बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर सीमेंट में मिलावट और अनैतिक तत्वों द्वारा बिक्री सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होने की सूचना दी थी तथा जांच किए जाने की मांग की थी। क्यूंकि शिकायत विशिष्ट न होकर सामान्य प्रकार की थी अतः उस पर और आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब तक विशिष्ट मामले सरकार की जानकारी में नहीं लाए जाते तब तक जांच करना कठिन है। मिलावटी सीमेंट की बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए सीमेंट (किस्म नियन्त्रण) आदेश, 1962 के उपबन्धों का उल्लंघन है। यह एक संज्ञेय अपराध है तथा अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 में परिभाषित किसी भी सरकारी व्यक्ति द्वारा अपराध करने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों को सामाजिक तत्वों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार दे दिया गया है। सीमेंट नियन्त्रक के कार्यालय ने भी सभी राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को उनकी जानकारी में सीमेंट में मिलावट करने के सम्बन्ध में लाए गए किसी भी मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सभी को एक पत्र भेज दिया है।

Special Pay to Executive Officers of C.I.B.

3058. Shri BhaljiLhai RavjiBhai Parmar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the executive officers working in the Central Intelligence Bureau are entitled to special pay in accordance with the recommendations of the Third Pay Commission;

(b) whether the Pay Commission has also recommended increase in the deputation allowance for such officers on deputation;

(c) whether the authorities have issued instructions for the payment of special pay with effect from the 1st January, 1973 whereas the increase in deputation allowance has been made effective from November, 1974.

(d) whether Government have any proposal to reconsider the question of increaing the deputation allowance with effect from 1st January, 1973; and

(e) the time by which these instructions are proposed to be issued?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The special pay has been sanctioned with effect from 1-1-73. The increase in deputation allowance for deputationists has been made effective from 1-7-74, the date of issue of the sanction.

(d) and (e) The proposal in this regard is under examination.

राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये क्षेत्र विकास निगम

3059. श्री वरके जार्ज : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का विचार करने के लिये क्षेत्र विकास निगम स्थापित करने का सुझाव दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र विकास निगम सहित समुचित संस्थागत व्यवस्थायें करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त अनुसंधान के लिये भारत तथा रूस के बीच वैज्ञानिक सहयोग

3060. श्री एच० के० एल० भगत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने वर्ष 1975—80 में संयुक्त अनुसंधान करने हेतु वैज्ञानिक सहयोग का कार्यक्रम बनाया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां। सोवियत, संघ की विज्ञान अकादमी के साथ 18 फरवरी, 1975 को वैज्ञानिक सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे ।

(ख) इस करार में वैज्ञानिक प्रतिनिधि मंडलों, व्यक्तिगत वैज्ञानिकों के आदान प्रदान, द्विपक्षीय वैज्ञानिक संगोष्ठियों तथा पारस्परिक रुचि की समस्याओं पर संयुक्त अनुसंधान कार्य की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना के आदान प्रदान की भी व्यवस्था

है। करार के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों में वैज्ञानिक आदान प्रदान और सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम की व्यवस्था है जिसका आवधिक पुनरीक्षण भी किया जाएगा :—

(1) **भौमिकि** :—भू-चुम्बकीय तथा भू-विद्युतीय सूक्ष्म पन्दन का अध्ययन, गहन भू-कम्पीय ध्वनि अध्ययन, भू-तापीय अध्ययन, हाइड्रोजियालाजिकल अध्ययन, चाँद तथा अन्य अतिरिक्त पार्थिव पदार्थों का विकास वादी इतिहास तथा विकिरण, अणु-विखंडन तथा समुत्खंडन प्रक्रिया और उन का खगोल भौतिकीय तथा भू-भौतिकीय समस्याओं पर प्रयोग।

(2) **भौतिकी** :—प्लैज्मा भौतिकी, खगोल भौतिकीय पहलू, द्रव क्रिस्टल, क्रिस्टलीय विकास की क्रियाविधि, निम्न ताप भौतिकी।

(3) **रसायन** :—प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग तथा रसायन, पेप्टाइड का भौतिकी रसायन अध्ययन तथा जैविक-रुचि के बृहदणु।

(4) **जैविक** :—मृदा में जैव-नाइट्रोजन यौगिकीकरण, सांस्कृतिक पौधों का चयन तथा अनुवंशिकी।

(5) **गणित** :—सांख्यिकी तथा प्रायिकता सिद्धांत।

यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए है और यदि किसी पक्ष द्वारा इसे भंग नहीं किया गया तो इसकी अवधि अगले पांच वर्ष के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगी।

निर्धन लोगों को आवश्यक वस्तुओं की निर्धारित मूल्यों पर सप्लाई

3061. श्री एच० के० एल० भगत : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के निर्धन वर्गों को आवश्यक वस्तुएं निर्धारित मूल्यों पर सप्लाई करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व (ख) आवश्यक वस्तुएं, जिनमें गेहूं, चावल और लेवी चीनी शामिल है, जनता के कमजोरवर्गों को नियत मूल्यों पर राज्य सरकारों द्वारा व्यवस्थित उचित मूल्य की दुकानों राशन की दुकानों वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जा रही हैं। इनके अतिरिक्त कुछ राज्यों में उचित मूल्य की दुकानें मोटा अनाज, गेहू से बनी वस्तुयें, खाने के तेल मिट्टी का तेल और दाले जैसी अन्य आवश्यक वस्तुयें भी वितरित करती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्राथमिकता और जनता के कमजोर तथा गरीब वर्गों की जरुरी आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार करने तथा उसे मजबूत बनाने के बारे में हाल ही में राज्यों के खाद्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रियों के साथ चर्चा की गई थी। इस बात के लिए सहमति हो गई है कि प्रारम्भ में महानगरों तथा बड़े शहरी क्षेत्रों, खानों, औद्योगिक तथा बागानी क्षेत्रों के मजदूरों के रहने वाले इलाकों, जिला मुख्यालयों, पहाड़ी इलाकों और बार-बार अभाव अथवा कमी से प्रभावित होने वाले जिलों के ग्रामीण इलाकों जैसे जरूरतमंद क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं अर्थात खाद्यान्नों जिनमें जहां आवश्यक हों, मोटे अनाज तथा दालें भी शामिल हैं, चीनी, स्टैंडर्ड कपड़ा, वनस्पति, जिसमें खाने के तेल भी शामिल हैं, सस्ता ईंधन (साफ्ट कोक तथा मिट्टी का तेल) और नमक के वितरण को प्राथमिकता दी जाए। पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्रों में दालों, पहाड़ी क्षेत्रों और महाराष्ट्र तथा गुजरात में मोटे अनाजों; पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल और पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में नमक जैसे पदार्थों की मांग को

विशेष रूप से पूरा करना होगा। इस बात के लिए भी सहमति हो गई है कि सीमेंट विद्यार्थियों के लिए कागज तथा लेखन-सामग्री, कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल तैल, आवश्यक दवाओं, साबुन, दियासलाइयों, बेबी फूड, टायर तथा ट्यूबों, आम जूतों तथा सोडा राख का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय किये जाएं।

राज्यों में टेलीविजन के परीक्षण तथा विकास केन्द्रों के लिए अनुदान

3062. श्री डी० डी० देसाई :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री अनादि चरण दास :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने टेलीविजन के परीक्षण तथा विकास केन्द्रों के लिए केन्द्र से अनुदानों की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार को अनुदान देने का निर्णय किया है, यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान देने का विचार है; और

(ग) क्या इन केन्द्रों से टेलीविजन सेटों में उपयोग होने वाले इलैक्ट्रोनिक पुर्जों के परीक्षण में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों को सहायता मिलेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) एवं (ग) इलैक्ट्रानिकी विभाग ने दिसंबर, 1972 में एक योजना तैयार की थी, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को अपने यहां परीक्षण एवं विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान उपस्करों की खरीद के लिए है तथा परियोजना की कुल लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित है। भूमि और भवन राज्य सरकारें ही उपलब्ध कराएंगी। ऐसे केन्द्रों के संचालन पर होने वाले आवर्ती व्यय की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की अथवा उनके द्वारा नामित किसी संवर्धनात्मक अभिकरण की होगी। इस प्रस्ताव का अच्छा स्वागत हुआ है तथा तमिलनाडु, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश की राज्य सरकारों को अनुदानों की पहली किश्तें प्रदान कर दी गयी हैं। अन्य राज्य सरकारों से भी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है। मद्रास और बड़ोदा में दो परीक्षण एवं विकास केन्द्र पहले ही चालू हो गये हैं। विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदानों के रुप में अब तक 61,47,429 रु० (जिसमें 8,43,264 रु की विदेशी मुद्रा शामिल है) दिए जा चुके हैं, और इस प्रयोजन के लिए एक करोड़ रु० की राशि 1975–76 की योजना में शामिल कर ली गयी है।

परीक्षण एवं विकास केन्द्रों का उद्देश्य छोटे और मध्यम पैमाने के उन कारखानों को अर्थपूर्ण सहायता प्रदान करना है, जिनके लिए यह सम्भव नहीं है कि उच्च कोटि के रख-रखाव के लिए जिस प्रकार के परीक्षण सम्बन्धी खर्चीले उपस्करों की आवश्यकता होती है, उन्हें वे जुटा सकें। जिन एककों की आवश्यकताएं पूरी की जानी हैं, उनके उत्पाद-सम्मिश्र को ध्यान में रख कर ही इनमें से प्रत्येक केन्द्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

8—14 L.S.S./75

पांचवीं योजना में कोयला उद्योग के विकास के लिए पूंजी निवेश

3063. श्री डी० डी० देसाई :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवी योंजना में कोयला उद्योग के विकास के लिए पूंजी निवेश वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1974-75 में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए ईंधन नीति समिति को सिफारिशों को क्रियान्वित करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं योजना में कोयला क्षेत्र पर 1974-75 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा 135 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश किए जाने की आशा है ।

(ग) ईंधन नीति समिति की रिपोर्ट पर अभी भी विचार हो रहा है ;

(घ) इधन नीति समिति की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशों की एक सूची अतारांकित प्रश्न संख्या 1334, दिनांक 20-11-1974 के उत्तर में सभा पटल पर रखी गयी थी ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा देय राशि

3064. श्री सतपाल कपूर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा 31 दिसम्बर, 1974 तथा दिल्ली जल तथा मल व्ययन उपक्रम को कितनी धनराशि अदा की जानी थी ;

(ख) निगम द्वारा 31 दिसम्बर, 1974 तक दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को कितनी धनराशि अदा की जानी थी ; और

(ग) निगम द्वारा भारत सरकार/दिल्ली प्रशासन को 31 दिसबर, 1974 तक कितनी धनराशि अदा की जानी थी तथा किस-किस शीर्ष के अन्तर्गत ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा 31 दिसम्बर, 1974 तक दिल्ली जल तथा मल व्ययन उपक्रम को 439.60 लाख रुपये को धनराशि अदा की जानी है।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम ने दिल्ली नगर निगम से जो दावे की जांच कर रहा है, 143.56 लाख रुपये की धनराशि का दावा किया है।

(ग) निगम द्वारा 31 दिसम्बर, 1974 तक अस्वच्छ जल की सप्लाई के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण तथा आवास मंत्रालय भारत सरकार को 1.68 लाख रुपये की धनराशि अदा की जानी है।

निगम द्वारा 31 दिसम्बर, 1974 तक सरकारी ऋणों की अदायगी के लिए दिल्ली प्रशासन को 72.13 लाख रुपये की धनराशि अदा की जानी है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, एटा द्वारा स्प्रेटा पाउडर का दुरुपयोग

3065. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा एटा डेरी में आयातित स्प्रेटा पाउडर के दुरुपयोग के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) जी, हाँ। तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा बताये गये उत्पादन के आधार पर पता लगा है कि आयातित माल की मात्रा का शिशु खाद्य और माल्टेड दूध बनाने में उपयोग कर लिया गया है अतः इसका दुरुपयोग नहीं किया गया था।

अत्याचारों के शिकार हरिजनों को अदा किया गया मुआवजा

3066. श्री मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में अकोला जिले के दाकली गांव में दो हरिजन भाइयों की जबरन आंखे निकाल ली गई थी ; और

(ख) यदि हां तो अत्याचार के शिकार इन व्यक्तियों को क्या मुआवजा दिया गया तथा दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार के अनुसार 26 सितम्बर, 1974 को जिला अकोला के गांव ढाकली में एक घटना हुई थी जिसमें दो नव बौद्ध भाई अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ हुई एक झड़प में चोट लगने के कारण अन्ध हो गये थे। इस संबंध में 9 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस मामला दर्ज किया गया था और सभी 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। और 4 दिसम्बर, 1974 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। बताया जाता है कि मामला न्यायाधीन है। गांव के पुलिस कमचारी तथा पुलिस पाटिल जो इस मामले में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह रहे थे उन्हें मुअतिल कर दिया गया है। नव बौद्ध भाइयों में से प्रत्येक को 1000 रु० की धन राशि दी गई थी जब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री उनसे मिले थे। राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित को दो हेक्टेअर भूमि भी आबंटित की है। प्रधान मंत्री ने दो नव बौद्ध भाइयों में से प्रत्येक को राष्ट्रीय सहायता कोष से 5000 रु० की धनराशि स्वीकृत की है।

पश्चिम बंगाल, बिहार के गर्म जल के स्त्रोतों और केरल के मोनाजाइट सैंड से हिलियम का उत्पादन

3067. श्री समर गुह : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार में छोटा नागपुर के गर्म जल के स्रोतों से और केरल के मोनाजाइट सैंड से हिलियम का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इन दो संसाधनों से हिलियम का उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ;

(ग) मोनाजाइट सैंड और गर्म जल के स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक गैसों से हिलियम पैदा करने पर तुलनात्मक क्या लागत आएगी ;

(घ) स्वर्गीय प्रो० एस० एन० बोस द्वारा अपने 'नेशनल प्रोफेसरशिप' के दौरान स्थापित योजना के अन्तर्गत डा० श्यामदास चटर्जी जिस परियोजना पर कार्य पहले से हो कर रहे हैं, उसके विकास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) देश म परमाणु ऊर्जा आयोग तथा अन्य उद्योगों द्वारा हिलियम का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) अब तक के अध्ययनों के आधार पर यह कह सकना कठिन है कि क्या हिलियम का उत्पादन गर्म पानी के स्रोतों की सहायता से बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। गर्म पानी के स्रोतों में विद्यमान हिलियम की मात्रा का पता लगाने का काम शुरु किया जा चुका है। ब्रक्रेश्वर जैसे जिन स्थानों पर गर्म पानी के स्रोतों में हिलियम पाई गई है, वहां गैस के प्रवाह को बढ़ाने के बारे में भी अध्ययन शुरु किये जा चुके हैं। मोनाजाइट से हिलियम निकालने के बारे में भी एक प्रायोगिक संयंत्र की सहायता से अध्ययन किये जा रहे हैं।

(ग) अभी सही तौर पर यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि गर्म पानी के स्रोतों तथा मोनाजाइट युक्त रेत से हिलियम गैस का उत्पादन करने पर क्या खर्च आयेगा। ब्रक्रेश्वर स्थित गर्म पानी के स्रोतों से निकलने वाली गैस की मात्रा बहुत कम है। इस कारण से वहां से गैस प्राप्त करने पर आने वाली अनुमानित लागत आयातित गैस के मूल्य की तुलना में लगभग सौ गुनी बैठती है।

(घ) ब्रक्रेश्वर स्थित गर्म पानी के स्रोतों से हिलियम गैस प्राप्त करने की जो योजना स्वर्गीय प्रोफेसर बोस द्वारा शुरु की गई थीं तथा जिसे अब डा० श्यामदास चटर्जी द्वारा आगे चलाया जा रहा है, उस परियोजना में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग रुचि रखते हैं। आसपास के क्षेत्र में और श्रोतों का पता लगाने तथा गैस के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से भू-भौतिकी सर्वेक्षण के रूप में आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) परमाणु बिजलीघरों के निर्माण एवं संचालन के लिए आवश्यक सामग्री में से हिलियम गैस एक है। हिलियम गैस का उपयोग निम्न ताप संबंधी शोध-कार्य करने में तथा विशेष प्रकार की वैल्डिंग करने के लिए औद्योगिक गैस के रूप में किया जाता है।

देश में हरिजनों और आदिवासियों पर किये जाने वाले अत्याचारों का रिकार्ड रखना

3068. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिजनों तथा भारत के आदिवासी समुदायों पर किये गये अत्याचारों का रिकार्ड रखा है अथवा इन घटनाओं के बारे में अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972–74 में घटने वाली ऐसी घटनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इनमें मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों के आंकड़े क्या हैं तथा कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं में जान और माल की हानि के लिए मुआवजा दिया है ;

(ङ) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ; और

(च) हरिजनों और भारत के आदिवासी समुदायों से होने वाली हिंसा की ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) हरिजनों तथा आदिवासियों पर किए गये अत्याचारों की घटनाओं का रिकार्ड रखने तथा उनका अध्ययन करने में केन्द्रीय सरकार को समर्थ करने के लिए राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संबंध में हत्या, गम्भीर चोट, बलात्कार तथा गंभीर शरारत अथवा आग जनी से संबंधित सभी मामलों के बारे में ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा ऐसी सूचना मासिक आधार पर देने की अपेक्षा है। अब कुछ राज्यों से सूचना अनियमित तथा अधुरी पाई गई है, हाल ही में मामले की समीक्षा की गई है और मासिक सांख्यकिय आंकड़े नियमित रूप से प्रस्तुत करने तथा निर्धारित समय सूची के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर फरवरी, 1975 में संबंधित राज्य सरकारों पर पुनः दबाव डाला गया था।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेंगी।

(च) इस सदन में 5 मार्च, 1975 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2231 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नागा तथा मिजो विद्रोहियों के बीच सांठ-गांठ

3069. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागा तथा मिजो विद्रोहियों के बीच देश में उनकी गतिविधियों में कथित सांठ–गांठ की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार भूमिगत नागा तथा मिजो लोगों की अवैध तथा हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है।

भारी ट्रक कारखाने में स्वीडन का सहयोग

3070. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन की वालरो नामक एक फर्म ने प्रस्तावित भारी ट्रक कारखाने में तकनीकी सहयोग देने को पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नये सीमेंट कारखानों के लिए पूंजीगत आधार की व्यवस्था

3071. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नये सीमेंट कारखानों के लिए पूंजीगत आधार की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जिनमें पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है ऐसे नये एककों/विस्तारों के प्रकरण में अन्य बातों के साथ साथ सरकार का इरादा ऐसे एककों में उत्पादित सीमेंट का कारखाने से निकलते सम्य का मूल्य, अधिष्ठापित क्षमता की प्रति मी० टन पूंजीगत लागत सरकार दवारा विहित प्रतिमानों से आगे नहीं बढ़ेगी इस धारणा के अधीन नियोजित पूंजी पर निश्चित लाभ देने के आधार पर, निर्धारित करने का आश्वासन देने का है।

राज्यों में शिक्षित बेरोजगार

3072. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के अन्त में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या था;

(ख) वर्ष 1975–76 में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये सरकार का कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है और उसका राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1974–75 के दौरान भिन्न–भिन्न राज्य सरकारों को कितनी राशि आबंटित की गई और उनमें कितना खच हुआ ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1974 के अन्त तक शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, जून, 1974 के अन्त तक रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में शिक्षित लोगों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9161/75**]

(ख) योजना कार्यक्रमों से, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाएगा जैसे–कृषि सिंचाई बड़े, मध्यम व लघु उद्योग इत्यादि , रोजगार चाहने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए 1975–76 में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे । इसके अतिरिक्त 1975–76 के केन्द्रीय बजट में चालू स्कीमों को, जिन्हें 1974–75 में रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किया गया था सहायता प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बहरहाल, इस राशि के राज्यवार ब्यौरे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) वर्ष 1974–75 में विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों से अधिकांश रोजगार अवसर उपलब्ध होने थे। इसके अतिरिक्त अब तक रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत 22.90 करोड़ रुपये के लागत की स्कीमें विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्वीकार की जा चुकी हैं। इन स्कीमों की लगभग 1.26 लाख रोजगार क्षमता होगी। इसका विवरण अनुबन्ध 'ख' में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9161/75**] फिर भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1974–75 में किए गए व्यय और सर्जित रोजगारों से संबंधित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 1975-76 के लिए केरल की वार्षिक योजना

3073. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार से विचार विमर्श करने के बाद वर्ष 1975–76 के लिए केरल की वार्षिक योजना के परिव्यय को अंतिम रूप दे दिया गया है ; यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ख) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से कितनी राशि की सहायता प्राप्त होगी ; और

(ग) क्या यह गत वर्ष की तुलना में अधिक होगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) केरल सहित, राज्यों की 1975–76 की वार्षिक योजनाओं के आकार और विषय–वस्तुओं को योजना आयोग में हाल में हुए विचार–विमर्श और समस्त संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रख कर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

केरल समेत सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वार्षिक योजना 1975–76 के लिए प्रस्तावों का प्रारूप प्रस्तुत करने में वे वर्तमान वर्ष के स्तर पर केन्द्रीय सहायता की मात्रा का अनुमान लगाये ।

Estimates of Power Generation in Madhya Pradesh During Sixth Plan

3074. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether estimates have been prepared for increasing power generation in Madhya Pradesh during the Sixth Plan; and

(b) The steps taken to increase the additionl production capacity during the Fifth Plan with a view to meet the demand for power during the Sixth Plan?

The Deputy Minister in The Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) the Central Electricity Authority have estimated that the total load demand by the end of the Sixth Plan in Madhya Pradesh would be 2250 MW.

(b) Generation schemes aggregating to 1267 MW have been sanctioned, out of which benefits of 867 MW are expected during the 5th Plan and benefits of the remaining 400 MW capacity would be available in the 6th Plan. This would raise the total installed capacity to about 2066 MW. The Sixth Plan Projects have not so far been finalised. However, scheme reports totaling about 3000 MW are under various stages of examination in the Central Electricity Authority.

कोकराझार सब डिवीजन गोलपाड़ा आसाम में बोडो आदिवासियों पर पुलिस अत्याचार

3075. श्री नूरुल हुडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कुछ मैदानी आदिवासी (बोडो) नेताओं ने दिसम्बर, 1974 में प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री से भेंट की थी तथा कोकराझार सब डिवीजन, गोलपाडा; आसाम में बोडो आदिवासियों पर सशस्त्र पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के अत्याचारों को रोकने के लिये केन्द्रीय हस्तक्षेप की मांग की थी ; और

(ख) मैदानी आदिवासी नेताओं के अभ्यावेदन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा बोडो लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) निसंदेह एक प्रतिवेदन प्रधान मंत्री को दिया गया था जब आसाम की मैदानी आदिवासी परिषद्, की ओर से एक शिष्ट मंडल ने प्रधान मंत्री से 20 दिसम्बर, 1974 को भेंट की थी। प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि पुलिस के अत्याचारों की घटनाओं का वर्णन प्रतिनिधि नहीं करना चाहते हैं। प्रतिवेदन में इस बात पर बल दिया गया था कि रोमन लिपि में बोडो भाषा की शिक्षा की मांग किसी विदेशी ऐजेन्सी अथवा मिश्नरी द्वारा प्रेरित नहीं है और असम की मैदानी आदिवासी परिषद का बोडो साहित्य सभा के मामलों में कोई दखल और नियत्रण नहीं है जो बोडों से संबंधित एक स्वतंत्रित संगठन है । असम सरकार बोडो के नेताओं से उनकी समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श कर रही है ताकि परस्पर मान्य कोई हल निकाला जा सके ।

उद्योगों में बहुराष्ट्रीय निगमें

3077. श्री शशि भूषण : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका, फ्रांस, इंगलैण्ड, जापान, पश्चिम जर्मनी में आधारित विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमें एवं व्यापारिक कम्पनियों तथा उनकी गौण कम्पनियों

एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इंडिया, फैडरेशन आफ चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इण्डिया और दी बंगाल चेम्बर आफ कामर्स और इण्डस्ट्री सहित चेम्बर्स आफ कामर्स के माध्यम से काम कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ये बहु राष्ट्रीय निगम किन उद्योगों में काम कर रही हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) भारत में कार्य कर रहे बहुराष्ट्रीय अनेक निगम और विदेशी कपनियाँ विभिन्न वाणिज्य और उद्योग मण्डलों के सदस्य है तथा अन्य सदस्यों की भांति मण्डल से सहायता और मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। इन निगमो द्वारा प्रबंधित उद्योगों में से कुछ उद्योग रसायन और भेषज वस्त्र, चमड़ा और इसके उत्पाद, धातु, खाद्य सामग्री आदि हैं।

कागज तथा गत्ता निर्माता उद्योगों तथा जूते बनाने वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में प्रस्ताव

3078. श्री शशि भूषण : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार भारत में (क) कागज तथा गत्ता निर्माता उद्योगों तथा (ख) जूते बनाने वाले उद्योगों (बाटा इण्डिया लिमिटेड सहित) का राष्ट्रीयकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य की योजनाएं बनाने के लिए राज्यों को निदेश

3079. श्री शशि भूषण : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य की योजनाएं बनाने के लिए कुछ निदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए निदेशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) 1975-76 की वार्षिक योजना के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में राज्यों को सितम्बर, अक्तूबर 1974 में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था, कि वार्षिक योजना 1975-76 के प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाय :—

(1) राज्य संसाधनों, जो अगले वर्ष की योजना के लिए सुलभ होंगे, के ऊपर, विस्तृत विचार, संसाधनों पर चर्चा के समय किया जाएगा। इस बीच में 1975-76 की केन्द्रीय सहायता का अनुमान चालू वर्ष के स्तर पर लगाया जाय जैसा कि मूलतः निर्धारित की गई थी तथा शुद्ध बाजार ऋणों का अनुमान 1973-74 के स्तर पर लगाया जाय।

(2) क्षेत्र संबंधी कार्यक्रमों के ब्यौरे तयार करते समय यह उचित होगा कि 1975—76 की योजना का निर्धारण ऐसे कार्यक्रम के रूप में किया जाय जो चालू वर्ष (1974-75) की योजना से उत्पन्न हुआ हो तथा कृषि के साथ-साथ सिंचाई और जल संसाधनों की विकास की योजनाओं का आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए, यथार्थपूरक उत्पादनशील योजना शुरु की जाय ताकि योजना प्रारूप में परिकल्पित विकास दर प्राप्त की जा सके।

(3) अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सभी संभव कदम उठाये जाने चाहिए। विशेषत: उन क्षेत्रों से अतिरिक्त संसाधन जुटायें जाने चाहिए जिन्हें विकास-कार्यों से सबसे अधिक फायदा पहुंचा है।

(4) नये कर जुटाने संबंधी कार्यवाहियों के अतिरिक्त यह आवश्यक होगा कि विभिन्न प्रकार के करों के बकायों, जो पिछले कई वर्षों से जमा हो रखे हैं, को वसूल करने और राज्य सरकारों के गैर-योजना व योजनागत खर्चों में पर्याप्त किफायत बरतने के लिए सुनियोजित व संगठित प्रयास किए जाएं।

(5) महत्वपूर्ण (कोर) क्षेत्र को संरक्षण दिया जाना आवश्यक है और गैर-उत्पादक या लम्बी अवधि के बाद उत्पादन देने वाले कार्यों की अपेक्षा ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, जो थोड़े ही समय में उत्पादन करने लगते हैं।

(6) संसाधनों की कमी और मुद्रास्फिति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों जिन्हें ध्यान में रखना जरुरी है, का संबंध कच्चे माल की निरन्तर कमी जैसे सीमेंट, इमारती इस्पात, अलौह धातु, ईंधन तेल, उर्वरक, कीटनाशक आदि। इनसे गम्भीर रुकावटें पैदा हो सकती हैं और यदि अब स्थिति पर ध्यान से विचार न किया गया तो बाद में योजना चलाने में गम्भीर प्रचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

(7) पूर्व-स्थापित क्षमताओं का अधिक असरदार उपयोग प्रशासनिक और संगठन तंत्र का पुनर्गठन करके प्रबोधन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार करके अन्तरविभागीय समन्वय बढ़ा करके और संस्थानीय स्वरुप को पुनर्जीवित करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसी उत्पादन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन पर कम से कम समय में अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

(8) योजना प्रस्ताव तैयार करते समय उन क्षेत्रों से संबंधित "कोंटीजेंसी प्लान" की जरुरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो बार-बार प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित होते रहते हैं।

हजारीबाग जिले में कोयला खानों में कोयले की अनधिकृत बिक्री

3080. **श्री शशि भूषण** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इस बारे में आम शिकायत है कि हजारीबाग जिले में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में कोयले को बड़े पैमाने पर अनधिकृत बिक्री हो रही है ;

(ख) क्या सरकार को उक्त क्षेत्रों के संगठनों अथवा संस्थाओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Loss incurred due to fire in coal fields of Jharia, Dhanbad

3081. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the coalfields of Jhria, Dhanbad have in the grip of fire for years and Government have also made efforts to control it;

(b) if so, the loss incurred so far as a result thereof; and

(c) the expenditure incurred by Government on controlling this fire?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Professor Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Taking over of Chhota Nagpur Development Board

3082. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to take over Chhota Nagpur Development Board; and

(b) if so, the main features of the proposal?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मोटारगाड़ी उद्योग पर नियंत्रण

3083. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोटरगाड़ी उद्योग पर नियंत्रण हटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) सरकार के पास मोटरगाड़ी उद्योग के वितरण और मूल्यों पर वर्तमान नियंत्रण को हटाने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

शोलापुर में प्रसारण केन्द्र की स्थापना

3084. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में शोलापुर में एक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव के सिलसिले में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) वास्तविक कार्य कब आरंभ किया जाएगा और यह केन्द्र कब से कार्य करना आरंभ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) साधनों की कमी के कारण देश में प्रसारण केन्द्रों के विस्तार हेतु पांचवीं योजना के आबंटन में भारी कटौती करनी पड़ी है। पांचवीं योजना के दौरान शोलापुर परियोजना के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा है। इसलिये इस अवस्था में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिये पालन किये जाने वाले सिद्धान्त

3085. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों और कस्बों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए सामान्यतया किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है ;

(ख) उन सिद्धांतों के अनुसार कितने ऐसे शहरों में अभी तक रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किए गए हैं जहां रेडियो स्टेशन स्थापित किये जाने चाहिए ; और

(ग) ऐसे स्थानों पर रेडियो स्टेशन स्थापित करने की क्या योजनाएं हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) देश के प्रत्येक भाग में प्रथम ग्रेड की मेडियम वेव सेवा उपलब्ध करने के अन्तिम उद्देश्य से, प्रसारण केन्द्र क्रमिक चरणों में स्थापित किए जा रहे हैं। नये केन्द्रों के स्थानों का विद्यमान सेवा क्षेत्रों के बीच दूरी जनसंख्या, को सघनता और विन्यास; क्षेत्र की विशेष आवश्यकताएं, तकनीकी साध्यता; प्रतिभा की उपलब्धता, साधनों की उपलब्धि और सापेक्ष प्राथमिकताओं जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करके निर्णय किया जाता है।

पांचवीं योजना में कागज का उत्पादन

3086. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज के उत्पादन के लिए इस समय सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी क्षमता है ;

(ख) इस में से कितनी क्षमता को चालू किया गया है और 1974 में कितनी क्षमता का उपयोग हुआ; और

(ग) पांचवीं योजनावधि में उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

	अधिष्ठापित क्षमता	1974 का उत्पादन	क्षमता का उपयोग
निजी क्षेत्र	9,86,670 टन	8,25,000 टन	84 प्रतिशत
सरकारी क्षेत्र	10,850 टन	11,350 टन	105 प्रतिशत

पांचवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

अधिष्ठापित क्षमता	14 लाख मी० टन
उत्पादन	12.5 लाख मी० टन

कागज और कागज के गत्तों का उत्पादन करने के लिए कुल 6,23,700 मी० टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 18,16,200 मी० टन की कुल अग्रेसर अतिरिक्त क्षमता के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं। योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में आसाम के नौगांव और कछार में (प्रत्येक) 1,00,000 मी० टन की अतिरिक्त क्षमता की दो कागज मिलें स्थापित करने के प्रश्न की भी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक एकक

3087. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत किन्हीं औद्योगिक एककों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विचार के मूर्त रूप न लेने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों द्वारा जिन राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना की गई है उन्होंने निजी पूंजी को संबद्ध करके अनेक परियोजनाओं का संवर्धन किया है। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य औद्योगिक विकास निगमों को जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दी जाती है :–

	1970	1971	1972	1973	1974
आशय पत्र	29	68	44	39	83
औद्योगिक लाइसेंस . .	1		8	4	40

उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों जिनमें निजी भारतीय अंशधारी और विदेशी अंशधारियों को इक्विटी पूंजी में साझेदारी है के ना बताने वाला विवरण अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9161 क/75]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उर्जा बचत योजना का आरंभ किया जाना

3088. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कुछ उत्कृष्ट योजनाएं आरंभ करके ऊर्जा बचत के मामले में प्रगति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे अब तक क्या लाभ हुए हैं ? .

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटड ने 'प्रणाली सुधार स्कीम' नाम की एक विशेष स्कीम तैयार की है । इसमें लाइनों में होने वाले ऊर्जा की हानि को कम करने और इस प्रकार ऊर्जा की बचत करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को ऋण सहायता स्वीकृत करने की व्यवस्था है ।

(ख) निगम ने अब तक 7.45 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता वाली 40 प्रणाली सुधार स्कीमें स्वीकृत की हैं । इन स्कीमों को दो वर्ष की अवधि में पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध किया गया है और इस समय ये कार्यान्वित की जा रही है । इनके पूर्ण हो जाने पर, प्रतिवर्ष 107 मिलियन यूनिट तक ऊर्जा की बचत होने की प्रत्यशा है ।

Priority for Development of Backward Areas

3089. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the kind of priority proposed to be given in Planning Commission for the development of backward areas of the country;

(b) the steps taken so far in the backward areas in this regard indicating the names of the backward areas in which such steps have been taken; and

(c) the future scheme of Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The Centres approach to the development of backward areas is contained in the Draft Fifth Five Year Plan (Volume II, Chapter 14) already laid on the Table of the House. Steps taken in this behalf together with the lists of backward areas are given in the enclosed statement. [Placed in Library. *See* No. L.T. 9162/75].

आकाशवाणी के प्रस्तुतीकरण कर्मचारियों (प्रोडक्शन स्टाफ) द्वारा भूख हड़ताल

3090. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के प्रस्तुतीकरण कर्मचारियों (प्रोडक्शन) स्टाफ ने भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उन की मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन मांगों के संबध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Increase in National Income

3091. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the percentage increase in the national income in 1973-74; and

(b) whether this increase conforms to the envisaged plan targets?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The increase in national income at constant (1960-61) prices during 1973-74 was 3·1 per cent.

(b) No, Sir.

Industrial units rendered idle for want of power

3092. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the number of industrial units lying idle for want of power;

(b) state-wise particulars of each of them;

(c) the number of persons rendered unemployed as a result of closure of industrial units due to the power shortage; and

(d) the loss of revenue to Government as a result of these industrial units lying idle?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) to (d) No report indicating total closure of any industrial unit for want of power has been received. It appears that certain units are unable to utilise their full capacity due to power shortage (by way of shedding and cuts) leading to some loss of production and lay-off in some States. No assessment of loss of revenue to Government has been made.

काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसों और तोड़ फोड़ करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी

3093. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान के कितने जासूस और तोड़-फोड़ करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तान के कितने जासूसों और तोड़-फोड़ करने वाले व्यक्तियों को स्वदेश भेजा गया ; और

(ग) ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कानपूर में दंगे

3094. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मुहर्रम के अवसर पर विद्यार्थियों और मुहर्रम के जुलूस वालों के एक ग्रुप के बीच झगड़ा हो गया था ;

(ख) उस झगड़े में कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए ; और

(ग) इस मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी-हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मुठभेड़ के परिणामस्वरुप दो व्यक्ति (जिनमें से एक छात्र था और दूसरे की अभी पहचान नहीं की जा सकी) मारे गये और 32 घायल हुए। पुलिस द्वारा दो अपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं और इस संबंध में 24 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। वरिष्ट अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और व्यवस्था पुनः स्थापित की। विशिष्ट मामलों में अन्तर्ग्रस्त लोगों के अलावा निरोधात्मक उपाय के रुप में 702 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 25-1-75 को कानपुर का दौरा किया और स्थिति का मूल्यांकन किया। दिवंगत छात्र के परिवार तथा घायल व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त आर्थिक राहत स्वीकृत की गई हैं।

नागा विद्रोहियों द्वारा युवकों तथा युवतियों को अपने दल में शामिल होने के लिये बाध्य किया जाना

3095. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोही नागालैण्ड में युवक युवतियों को अपने दल में शामिल होने के लिये बाध्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को विद्रोही नागाओं की घटती हुई संख्या को बढ़ाने के लिये भूमिगत नागाओं द्वारा युवक युवतियों की इच्छाओं के विरुद्ध उनको भर्ती करने के प्रयासों की जानकारी है ।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बताया जाता है कि नवम्बर, 1974 से जनवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान भूमिगत नागाओं ने 9 व्यक्तियों का अपहरण किया था अन्य 23 व्यक्तियों पर भूमिगत नागाओं में सम्मिलित होने के लिये दबाव डाला था ।

(ग) भूमिगत नागाओं के विरुद्ध सुरक्षा की कार्रवाई और तेज की जा रही है। राज्य सरकार तथा गांव के प्राधिकारी भी ऐसे व्यक्तियों को वापिस बुलाने के लिये दबाव डाल रहे हैं।

लाइसेंसिंग समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील

3096. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंसिंग समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर विचार करने के लिए सरकार कोई नीति या संबद्ध कार्यक्रम बनायेगी, और

(ख) गत तीन वर्षों में पिछड़ा जिला औद्योगिक लाइसेंस के कितने मामले अंशतः अस्वीकृत किए गए, कितने पूर्णतः अस्वीकृत किए गए और फर्मवार उस की अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जब लाइसेंस समिति प्रथम दृष्टया औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन को रद्द करती है तो आवेदन को अपना अभ्यावेदन देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया जाता है। इसके पश्चात् संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से मामले पर विचार करते हैं। राज्य सरकारों को चार हफ्ते की अवधि में इन मामलों पर अपनी राय देनी होती है। तत्पश्चात् प्रशासनिक मंत्रालय आवेदन को अंतिम रूप में रद्द कर सकते हैं अथवा लाइसेंस समिति के विचारार्थ भेज सकते हैं।

(ख) पिछड़े जिलों से प्राप्त आवेदनों के बारे में अलग से आंकड़े केवल अगस्त 1974 से उपलब्ध हैं। अगस्त, 1974 से फरवरी, 1975 तक की अवधि में पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना के 125 आवेदनों को रद्द किया गया था और पार्टियों को अपने अभ्यावेदन करने का अवसर दिया गया है। वर्ष 1974 में औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों को रद्द करने के मुख्य कारण पर्याप्त क्षमता का होना और कच्चे माल की कठिनाई थी।

Absorption of Executive Officers on deputation to C.I.B.

3097. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of executive officers on deputation to Central Intelligence Bureau who are absorbed in the Department every year ;

(b) the annual quota prescribed by his Ministry in this regard;

(c) whether any discrimination has been practised in regard to their absorption during the last two years; and

(d) the action proposed to be taken by Government for absorbing the officers on deputation for more than five years in Central Service?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) No annual quota has been prescribed in this regard. Absorption depends on the availability of vacancies.

(c) Does not arise.

9—14 L.S.S. (ND)/75

(d) As and when vacancies occur, cases of Officers who have put in five years of satisfactory service on deputation and who have expressed their willingness will be reviewd by the Departmental Screening Committees for judging thier suitability for such absorption.

केद्रीय गुप्तवार्ता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गये एक्जीक्यूटिव आफिसरों का खपाया जाना

3098. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग में इस समय ऐसे प्रतिनियुक्ति पर आये हुए एक्जीक्यूटिव आफिसरों की संख्या कितनी है जो पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं किंतु उन्हें केन्द्रीय सेवा में नहीं खपाया गया ;

(ख) पांच वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले एक्जीक्यूटिव आफिसरों को केन्द्रीय सेवा में खपाँने के सबंध में सरकार की भावी योजना तथा नीति क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने अधिकारियों की सेवाओं को केन्द्रीय सेवा, उक्त विभाग में, खपाया गया और कितने अधिकारियों की सेवाओं को अभी खपाया जाना बाकी हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 555 ।

(ख) प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के पांच वर्ष पूरे कर लिये हैं तथा विभाग में स्थाई रूप से सेवावृत्ति के इच्छुक है, खपाने का इरादा है, बशर्ते कि वे उपयुक्त हों और रिक्त स्थान उपलब्ध हों ।

(ग)	1972	15
	1973	5
	1974	शून्य

सेवा में खपाने के लिये 247 अधिकारियों के मामलों में कार्यवाही की जा रही है ।

उपक्रमों में क्षमता से अधिक उत्पादन को विनियमित करना

3099. **श्री झारखंडे राय :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि यदि लाइसेंस प्राप्त सभी उपक्रमों में क्षमता से अधिक उत्पादन का निर्यात किया जाना हो, तो उनकी उस क्षमता को विनियमित कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस बात को देखने के लिए कौन सा तंत्र है कि कम्पनियों द्वारा इस शर्त का पालन किया जाता है अथवा नहीं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि जिन उपक्रमों के पास निर्दिष्ट क्षमता वाले औद्योगिक लाइसेंस हैं, वे बढ़ाई गई क्षमता की मान्यता की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, यदि इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता का निर्यात के लिए उपयोग किया गया हो बशर्ते कि वे इस उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त उपकरण न लगाया जाए। इस प्रकार की क्षमता का केवल निर्यात के लिए उपयोग किया जाए, और इसके साथ बढ़ाई गई कीमत उचित हो। सामान्यत: 25 प्रतिशत तक क्षमता वृद्धि की जा सकती है। विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों और उपक्रमों के संबध में जिन्हें एकाधिकार विदेशी तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन स्वीकृत लेने की आवश्यकता होती है, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में कृत्रिमदल का गठन करके एक विशेष प्रणाली अपनाई जाएगी। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जिन एककों को निर्यात लाइसेंस दिए गए हैं, उनके निर्यात कार्यक्रमों को वाणिज्य मंत्रालय नियंत्रित करेगा।

गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली का इलेक्ट्रिकल फैन यूनिट

3100. **श्री झारखंडे राय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली क इलेक्ट्रिकल्स (फैन) यनिट को चालू करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) उक्त यूनिट संभवतया कब तक चलना आरंभ हो जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) औद्योगिक विकास विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक में जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ साथ इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इन्डिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे, गणेश फ्लोर मिल्स कं० के बिजली के पंखे की हाल ही में यूनिट को पुन: खोले जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था। यद्यपि गणेश फ्लोर मिल्स कं० की अन्य यूनिटों में उत्पादन शुरू हो गया है किन्तु इस एकक के फिर से खोले जाने में अभी तक तकनीकी आर्थिक किस्म की कुछ समस्याएँ आती रहीं हैं। फिर भी बाकी समस्याओं का समाधान हो जाने पर इस एकक में भी शीघ्र ही पन: काम हो जाने की आशा है।

पेय पदार्थों के निर्माताओं के साथ बैठक

3101. **श्री मधु लिमये** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ब्रांडी के पेय पदार्थों के निर्माताओं की 1974 में एक बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे अनुरोध किया गया था कि वे स्वयं अपन ब्रांड बनायें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के प्रस्ताव पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) देश के सभी हल्के पेय उत्पादक सभी पयों में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के आयात को समाप्त करने संबंधी प्रयासों की आवश्यकता तथा इस दिशा में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर एक मत थे । बोतल भरने वालों को यह भी बताया गया था कि यदि उनका अपने ब्रैण्ड के पेय बनाना का प्रस्ताव हो तो सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी ।

हरिजनों पर किये जाने वाले अत्याचारों के रिकार्ड रखने के लिए सैल

3102. **श्री मधु लिमये :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय नें 20 दिसंबर, 1974 से 17 फरवरी, 1975 के बीच हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के जब कभी वे किये गये हों, समाचार-पत्रों अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त समाचार संकलित किये है;

(ख) इन रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि रिपोर्टों को संकलित नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये मंत्रालय में अविलम्ब एक सैल स्थापित करने पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) सरकार हरिजनों पर किए गए कथित अत्याचारों के बारे में समाचार-पत्रों की खबरों तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सूचना पर तुरन्त ध्यान देती है और तत्संबंधी तथ्य मालूम करने के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क करती है । कथित अवधि के दौरान हरिजनों पर अत्याचारों को दो घटनायें ध्यान में आई हैं । संलग्न विवरण में इन घटनाओं का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1. गुजरात में जामनगर के निकट दुलकोट में एक मंदीर के पुजारी द्वारा पीटने के कारण एक हरिजन लड़के की मृत्यु के बारे में दिनांक 1 फरवरी, 1975 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा समाचार

गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह आरोप है कि 29 जनवरी, 1975 को जामनगर जिले के जोड़िया तालुक के ढुलकोट गांव में हनुमान मंदिर के पुजारी ने एक हरिजन लड़के को पीटा जिसके परिणाम स्वरूप लड़का घायल हो गया और उसे जामनगर के ईविन अस्पताल में पहुंचाया गया जहां 30 जनवरी, 1975 की सुबह उसकी मृत्यु हो गई । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/325 तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की धारा 3 व 7 के अधीन पुजारी के विरुद्ध एक मामला

दर्ज किया गया और उसे 30 जनवरी, 1975 को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट दी गई है कि मामले की जांच पूरी हो गई है और आशा है शीघ्र ही अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जायेगा ।

ढुलकोट ग्राम पंचायत ने मृतक लड़के की मां को 101 रु० की नकद राशि राहत के रूप में दी हैं । जामनगर जिला पंचायत ने भी उन्हें पंचायत निधि से 1,000 रू० की धन राशि स्वीकृत की है । जोड़िया के मामलातदार ने उन्हें 30 रु० प्रति माह भुगतान करने का प्रबन्ध किया है ।

2. मध्य प्रदेश के सागर जिले में मल्ला चमार नामक एक हरिजन की मृत्यु के संबंध में 18-2-1975 को इण्डियन एक्सप्रेस में छपा समाचार ।

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सुचना के अनुसार हरलाल उर्फ मल्ला चमार को 26 जनवरी, 1975 के आस पास चोरी के मामले के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए जिला सागर के विनायक पुलिस थाने में लाया गया था । बाद में मल्ला चमार का शिर विच्छेद किया गया, धड़ एक नदी से बरामद हुआ था । पुलिस ने हत्या का एक मामला दर्ज किया तथा विनायक पुलिस थाने के सात कान्स्टेबलों को गिरफ्तार किया गया । पुलिस थाना अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए वारन्ट जारी किए थे जो फरार है । उसने अधिकारियों के समक्ष 5 मार्च, 1975 को आत्म समर्पण किया । राज्य सरकार ने इस घटना की उच्चस्तरीय प्रशा-सनिक जांच के आदेश दिए हैं । राज्य सरकार द्वारा मृतक हरिजन क परिवार को 1,000 रुपयों की अनुग्रहीत राशि का भुगतान किया जा रहा है । इसके अति-रिक्त मृतक के परिवार को 5 एकड़ कृषि भूमि भी आवंटित की जा रही है ।

उद्योग के कुछ क्षेत्रों से नियंत्रण हटाया जाना

3103. **श्री पी० गंगादेव :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग के कुछ क्षेत्रों पर से सरकार ने अभी हाल में नियंत्रण हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उत्पादन पर लगे अनुचित प्रतिबन्धों को समाप्त करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) औद्योगिक क्षेत्र में विकास, सामाजिक न्याय तथा आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी नीतियां 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प से शासित होती है। औद्योगिक नीति संकल्प के ढांचे के अन्दर सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति में समय-समय पर परिवर्तन किये हैं जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त

उद्योगों की वृद्धि को विशेष रूप से बढावा दिया जा सके। हाल ही में किए गए अधिक महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित है :—

विद्यमान क्षमता का और अधिक उपयोग करने के और उत्पादन बढाने की दृष्टि से सरकार ने यह निर्णय किया है कि उत्पादों की सीमा के अन्दर तथा उपक्रम की कुल लाइसेंस क्षमता के अन्दर मशीनें तथा हाथ के औजार बनाने वाले उद्योगों की उत्पादन में विविधता लाने की पूरी आजादी दी जाए। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि वे औद्योगिक उपक्रम जिनके पास एक या दो पाली के आधार का उल्लेख करते हुए औद्योगिक लाइसेंस हैं, अपने लाइसेंसों को दर्ज करवाने एवं संयंत्रों तथा मशीनों के अधिकतम उपयोग के लिये, आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने हाल ही में यह भी घोषणा की है कि विशिष्ट क्षमता का लाइसेंस रखने वालें उपक्रम कुछ शर्तों के अधीन निर्यात के लिये और अधिक उत्पादन करने हेतु बढ़ायी गयी क्षमता के लिये मान्यता दी जाने की सुविधा भी हासिल कर सकते हैं। अधिक अंश वाली विदेशी कम्पनियों व उपक्रमों एवं जिन्हें एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन मंजूरी लेना आवश्यक है, उनके बारे में उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) का गठन कर के एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

अन्तरिक्ष विज्ञान के अनुसन्धान और विकास के लिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग

3104. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तरिक्ष विज्ञान के अनुसन्धान और विकास, उपग्रहों को छोड़ने तथा परमाणु अनुसन्धान से सम्बन्धित विषयों में विभिन्न देशों के साथ सहयोग करार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश के साथ किये गये समझौते किस प्रकार के है तथा अन्य सम्बन्धित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत का सफल परमाणु विस्फोट् होनें के पश्चात् सहयोग करने वाले कुछ देश अब भारत के साथ अपना सहयोग जारी रखने के अनिच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामल पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में, भारत ने बहुत से देशों से साथ सहयोगी–कार्यक्रम बनाये है, जिनमें जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ (रूस) सम्मिलित है। भारत ने कई देशों के साथ, परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोगों में सहयोग संबंधी करार भी किये है।

अन्तरिक्ष–अनुसंधान में सहयोगी–कार्यक्रमों के अन्तर्गत, सामान्यतया ऊपरी वायुमंडल और आयनामंडल के अध्ययन के लिये तथा अन्य वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए थुम्बा भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से संयुक्त परीक्षण करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त भारत सोवियत संघ के सहयोगी कार्यक्रम के अधीन 1975 के पूर्वार्ध में एक वैज्ञानिक उपग्रह छोड़ा जाना है । मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिये, सोवियत संघ के जल मौसम विज्ञान विभाग के साथ भी भारत सहयोग दे रहा है । भारत में दूर संचार तथा टेलीवीजन के लिये संचार उपग्रह के प्रयोग के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ पहले, सहयोगी अध्ययन किया गया था । 1975 में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन परीक्षण करने के लिये, नासा के साथ एक करार है । भूमि सम्बन्धी समस्त कार्य जिसमें भू केन्द्र टेलीविजन सैट कार्यक्रम आदि शामिल है, भारत द्वारा विकसित किये जा रहे हैं । फ्रांस और जर्मन संघीय गणराज्य के साथ किए गए सहयोग के अधीन भारतीय इंजीनियर तथा वैज्ञानिक फ्रांस और जर्मन संघीय गणराज्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । फ्रांस के साथ किए गए सहयोग में, भारत में लाइसेंस के अन्तर्गत सेन्च्योर साउंडिंग राकेटों का निर्माण करना शामिल है ।

परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोगों में सहयोगी–करार के अधीन सामान्यतया अगोपनीय वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी का विनिमय करना, वैज्ञानिक कार्मिकों और विशेषज्ञों का विनियम करना, पदार्थों का विनिमय और प्रशिक्षण आदि के लिये फेलोशिप प्रदान करना है ।

(ग) और (घ) मई, 1974 में भारत द्वारा किये गये सफल परमाणु परीक्षण के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित विषयों में हुए सहयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । फिर भी परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोगों में हुए सहयोग के संबंध में कनाडा ने कुछ आपत्तियां की है, जिन पर विचार-विमर्श चल रहा है ।

उपग्रह प्रक्षेपण गाड़ी के कलपुर्जों के उत्पादन में संलग्न सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता

3105. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 में छोड़े जाने वाले उपग्रह के लिये उपग्रह प्रक्षेपण गाड़ी के कलपुर्जों और इस्पात आदि के उपकरणों के उत्पादन में संलग्न सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को किस प्रकार की राज सहायता या वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : एस० एल० वी० 3, उपग्रह प्रक्षेपण गाडी के लिए कलपुर्जों और इस्पात आदि के उपकरणों के उत्पादन में संलग्न सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को किसी भी प्रकार की राज सहायता या वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

कर्नाटक में सीमेंट की चोर बाजारी

3106. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 में सीमेंट के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वर्ष कर्नाटक में सीमेंट की चोर बाजारी के कारण लगभग 12 करोड़ रुपये की लेखा बाह्य राशि एकत्र की हुई तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलोर द्वारा

किये गये अध्ययन के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 38 करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) इण्डियन इन्स्टीटचूट आफ मैनेजमेंट बंगलोर द्वारा किए जाने वाला अध्ययन जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है, अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और प्रारम्भिक निष्कर्ष भी अस्थायी हैं । लगाए गए अनुमान और एकत्र किए गए आंकड़ों के संबंध में अन्य स्त्रोतों के साथ परस्पर जांच करने की आवश्यकता है । अतः अध्ययन की रिपोर्ट सरकार को मिलने तक कोई मत प्रकट करना संभव नहीं है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	1973–74 में सीमेंट का उत्पादन (लाख मी० टनों में)
1.	हरियाणा	4.93
2.	उत्तर प्रदेश	5.60
3.	राजस्थान	13.43
4.	बिहार	16.87
5.	उड़ीसा	6.55
6.	मेघालय	0.53
7.	गुजरात	14.90
8.	महाराष्ट्र	4.54
9.	मध्य प्रदेश	22.70
10.	आन्ध्र प्रदेश	15.45
11.	तामिलनाडु	24.07
12.	कर्नाटक	16.23
13.	केरल	0.28
	योग	146.06

आण्विक विस्फोट के बारे में एकत्र किये गये डाटा का विश्लेषण

3107. श्री बी० वी० नायक : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आण्विक विस्फोट के बारे में डाटा प्राप्त कर लिया गया है तथा उसका विश्लेषण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां। कुछ आंकड़ों का विश्लेषण अभी किया जा रहा है ।

(ख) जो मुख्य निष्कर्ष निकला है वह यह है कि रेडियो सक्रियता को बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित रखते हुए लगभग 12 किलोटन शक्ति का एक विस्फोट करना सम्भव है ।

गांवों में पोस्ट बक्सों की व्यवस्था

3108. श्री बी० वी० नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में प्रत्येक गांव में कम से कम एक पोस्ट बक्स की व्यवस्था करने में क्या कठिनाइयां हैं;

(ख) इस प्रकार की योजना पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में इसकी व्यवहार्यता की क्या संभावनायें है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) मौजूदा डाक यातायात के आधार पर हर एक गांव में लैटर बक्स की व्यवस्था करने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। लैटर बक्स सिर्फ उन गांवों में लगाया जाता है जहां अनुपात में प्रतिदिन दो या दो से अधिक पत्र डाक में डाले जाते हैं और जो गांव किसी डाक घर या लेटर बक्स से कम से कम एक मील की दूरी पर हो ।

(ख) ऐसे लगभग 5 लाख गांव है जहां लेटर बक्स नहीं हैं और सिर्फ लेटर बक्सों पर ही 65 लाख रुपये की लागत आयेगी । इससे अतिरिक्त इनकी निकासी करने वाले कर्मचारियों पर और अवर्ती खर्च उठाना पड़ेगा ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए अगले पांच वर्षों में हर एक गांव में डाकघर की व्यवस्था करना वहां के डाक यातायात के विकास पर निर्भर करेगा ।

जिला मुंगेर के पातम्बर ग्राम में डाकघर का खोला जाना

3109. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत और डाक तार विभाग द्वारा स्वीकृत दूरी प्रमाणपत्र के आधार पर मुंगेर जिले के पातम्बर ग्राम में डाकघर खोला गया था;

(ख) क्या डाक-तार विभाग के एक अधिकारों के इस आशय के प्रतिवेदन पर, कि इसकी सरसी विश्वाय डाक घर से 2 मील से भी कम दूरी है, उक्त डाक घर को अब बन्द करन का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या डाकघर को जारी रखने के लिए सरकार का समुचित आदेश जारी करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) डाक घ घाटे पर चल रहा था इसलिए स्थानीय डाक प्राधिकारियों ने घाटा पूरा करने के लिए इलाके के लोगों से चन्दा जमा करने के लिए निवेदन किया था ।

(ग) ऐसे सभी मामलों का निर्णय करने के लिए जब तक नीति पर पुर्नविचार नहीं कर लिया जाता, तब तक के लिए डाकघर बन्द करने के आदेश रोक दिए गए गए ह ।

योजना अवकाश

3110. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के प्रारम्भ से एक अघोषित योजना अवकाश जारी है;

(ख) यदि नहीं, तो पांचवीं योजना को अभी तक अपने अन्तिम रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1975-76 के लिये वार्षिक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो योजना परिव्यय के आबंटन और पूंजी निवेश का, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) वार्षिक योजना के लिये केन्द्रीय सहायता के अंश का, राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना के लिये आबंटित राशि वर्ष 1974-75 की योजना की राशि की तुलना में चालू और स्थिर कीमतों के अनुसार कितनी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1972–73 की कीमतों के आधार पर और उस समय की आर्थिक स्थिति को दखते हुए तैयार किया गया था। तब से देश के अंदर मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है। कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में चार गुनी वृद्धि हुई है। विभिन्न आयातित कच्चे माल और निवेश की कीमतों में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इन बातों का असर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में स्वीकार किए गए वित्तीय और भौतिक आकार पर अलग अलग मात्रा में पड़ा है। अतः पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के ढांचे के अन्तर्गत ही संसाधनों का पुनर्अनुमान लगाना और अन्तःक्षेत्रीय प्राथमिकताओ में सभंजन करना जरूरी हो गया है। योजना आयोग आजकल उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभ्यास करने में व्यस्त है।

(ग), (घ) और (ङ) केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों से संबंधित 1975-76 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। राज्य की 1975–76 की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श कर लिया गया है। इस विचार विमर्श के आधार पर और सम्पूर्ण संसाधानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(च) केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के 1974–75 और 1975–76 की वार्षिक योजना परिव्यय निम्न प्रकार है :–

(करोड़ रुपये)

1974–75	1975–76
2628.88	3154.51

अखबारी कागज का उत्पादन तथा आयात

3111. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से वर्ष 1974 के दौरान, वर्गवार, अखबारी, कागज का देश में कुल उत्पादन कितना हुआ तथा कितना आयात किया गया;

(ख) वर्ष 1972 से वर्ष 1974 के दौरान, वर्षवार, देश में उत्पादित तथा आयातित अखबारी कागज की प्रति टन कीमत कितनी थी; और

(ग) वर्ष 1972 से वर्ष 1974 के दौरान वर्षवार, अखबारी कागज की कुल मांग तथा सप्लाई कितनी थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आवश्यक सूचना नीचे दी गई है :–

वर्ष	देशी	आयातित
	(टनो में)	(टनो में)
1972–73 .	40,000	1,95,000
1973–74 . .	36,400	1,36,000
1974–75 . .	47,300	1,31,160

(ख) अपेक्षित सूचमा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	देशी	आयातित*
1972–73 .	1,500.00 रुपए	1,201.20 रुपए से 1,496.82 रुपए तक
1973–74 . .	1,800.00 रुपये और 2,300.00 रुपए	1,428.75 रुपये से 1,908.75 रुपए तक
1974–75 . .	2,300.00 रुपए	2,311.05 रुपये से 3,825.00 रुपये तक

*आयातित अखबारी कागज के दाम प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न है ।

(ग) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मांग	सप्लाई
	(टनो में)	(टनो में)
1972–73	2.30 लाख	2.35 लाख
1973–74 .	2.44 लाख	1.72 लाख
1974–75 . . .	2.57 लाख	1.78 लाख

कर्नाटक में जिला योजनाओं की क्रियान्विती

3112. श्री पी० आर० शिनाय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग जिला योजनाएं तैयार कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, सभी जिलों के लिए विकास योजनाओं के प्रारूप तैयार कर लिए गये है। इन योजनाओं की राज्य स्तर पर जांच की जाती है और प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य योजना में शामिल कर दिए जाते हैं।

केरल में भाषा के मामले पर कन्नड़ के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल

3113. श्री पी० आर० शिनाय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कासरगोड़ स्थान पर कन्नड के छात्रों ने भाषा के मामले पर 20 जनवरी, 1975 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल की है;

(ख) यदि हां, तो कन्नड छात्रों की मांग क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

काली पनबिजली परियोजना का पूरा होना

3114. श्री पी० आर० शिनाय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार की प्रारंभिक सहायता से काली पनबिजली परियोजना को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया था; और

(ख) यदि कर्नाटक सरकार को उचित समय पर सहायता दी जाए तो क्या परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो सकता है और चालू योजना-अवधि में अथवा इसके एक या दो वर्ष बाद 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कालीनदी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक की योजना में सम्मिलित है और तदनुसार इसे राज्य योजना से वित्त पोषित किया जाना है। चौथी योजना के अंतिम दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को शीघ्रता-पूर्वक पूर्ण करने के लिए योजना से बाहर अतिरिक्त सहायता दी थी। पांचवी योजना में इस परियोजना के लिए राज्य सरकार यदि पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करती है तो 775 मेगावाट को 1978–79 तक तथा 135 मेगावाट की और अधिक क्षमता को छठी योजना के प्रथम वर्ष के दौरान चालू करना संभव हो सकेगा।

बस चेसिस का उत्पादन

3115. श्री पी० आर० शिनाय : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान मोटर कारों की संख्या की तुलना में कितनी बस चेसिसों का उत्पादन किया गया ;

(ख) इन चेसिसों की उत्पादन लागत कितनी है; और

(ग) चालू योजना की शेष अवधि के दौराम अनुमानतः कितनी चेसिसों का उत्पादन किया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1974-75 का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है :-

बस चेसिस	10,638 संख्या
मोटर कारें	32,224 संख्या

(ख) इन चेसिसों की कोई स्टैंडर्ड उत्पादन लागत नहीं है ।

(ग) अनुमान लगाया गया है कि 1978-79 में बस चेसिसों का वार्षिक उत्पादन लगभग 25,000 संख्या में होगा ।

उत्तरी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की लागत

3116. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी क्षेत्र में केवल 7 से 8 पैसे प्रति यूनिट लागत वाली जल-विद्युत की तुलना में तापीय विद्युत उत्पादन पर 16 से 17 पैसे प्रति यूनिट लागत आ रही है;

(ख) क्या तापीय परियोजनाओं की अपेक्षा जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु प्राथमिकता का दावा करने के संबंध में इस क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन के साथ सम्बद्ध लाभ हानि से अधिक है क्यों कि यह क्षेत्र कोयला क्षेत्र से बहुत दूर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सस्ती विदयत पैदा करने के लिए उपरोक्त संदर्भ में इस क्षेत्र के संसाधनों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तरी क्षेत्र में ताप-विद्यत् केन्द्रों में उत्पादन की लागत 8.6 पैसे से लेकर 13.6 पैसे प्रति यूनिट है और जल-विद्युत उत्पादन की लागत 1.1 पैसेसे 6.6 पैसे प्रति यूनिट तक है।

(ख) पंजाब, हरियाणा, जम्म और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के उत्तरी राज्यों में मुख्य रूप से जल-विद्युत् शक्ति के विकास पर जोर दिया जा रहा है । इस समय कुल 1646 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता में 1,410 मेगावाट जल-विद्युत् क्षमता है । 2,204 मेगावाट की कुल स्वीकृत क्षमता में से लगभग 1,600 मेगावाट जल-विद्यत

क्षमता निर्माणाधीन है। यद्यपि जल विद्युत ऊर्जा अपेक्षाकृत सस्ती है परन्तु परियोजनाओं के निर्माण की अवधि लम्बी होती है और नदी स्कीमों के प्रचालन में विद्युत का उत्पादन वर्ष भर में एक समान नहीं होता। इसलिए जल विद्युत उत्पादन को सदृढ़ करने और इस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ तापीय क्षमता की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में भी, जो उत्तरी क्षेत्र में है, जल विद्युत के संसाधन और कोयला खानों के सन्निकट स्थल विद्यमान है।

(ग) 1953-60 के दौरान किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षणों से उत्तरी क्षेत्र में 60 प्रतिशत लोड गुणांक पर लगभग 10.74 मिलियन किलोवाट जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता के संकेत मिले है।

Posting of Programme Executives at Delhi Station of A.I.R.

3117. **Shri Rajdeo Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2343 on the 27th November, 1974 and state :

(a) the number of programme Executives posted in Delhi for more than ten years ;

(b) the number of Programme Executives out of them working in All India Radio and the special qualifications possessed by them for which they have not been sent out of Delhi; and

(c) whether Government propose to send those programme Executives working in All India Radio at Delhi for the last ten years to some other outside stations for some time?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Eight.

(b) Three, two of whom are under orders of transfer out of Delhi. No special qualifications are prescribed for Programme Executives to be posted at the Delhi Station of All India Radio. The staff is retained at, or transferred to, any station of All India Radio according to the exigencies of service keeping in view the requirements of each Station.

(c) The transfers are made, as and when necessary, in the exigencies of service and not necessarily on the basis of length of stay at a particular Station.

पंजीकरण प्रमाणपत्रों में क्षमता का प्रमाणीकरण कराने वाले उद्योगों की सूची

3118. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें उद्योगों की एक सूची दी गयी है जिनको कि अधिसूचना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्रों में अपने उद्योगों की उत्पादन क्षमता का प्रमाणीकरण कराना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उद्योगों के वास्तविक उत्पादन तथा निर्धारित क्षमता के बीच के अन्तर को कम करने में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 10 में जो औद्योगिक उपक्रमों के पंजीकरण के संबंध में है दिसंबर 1973 में संशोधन किया गया था जिससे केन्द्रीय सरकार को संबंधित पंजीकरण प्रमाणपत्र में ऐसे उपक्रमों को उत्पादन क्षमता का उल्लेख करने की शक्ति मिल गई है । इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि सरकार ऐसे उपक्रमों के वर्ग अधिसूचित करेगी जिसको आवश्यकता उत्पादन क्षमता के लिए निर्दिष्ट अवधि में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पड़ेगी । उन उद्योगों की सूची, जिनके बारे में संबंधित उपक्रम को पंजीकरण प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता पड़ेगी को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसे शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा । पंजीकरण प्रमाणपत्र में उत्पादन क्षमता का उल्लेख करते समय सरकार अन्य बातों के साथ साथ उदयोग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1973 लागू किए जाने से पूर्व तत्काल तीन वर्षों में हुए अधिकतम उत्पादन स्तर तथा उस अवधि में निर्यात आदि पर उत्पादन कर किस सीमा तक उपयोग किया गया इस पर भी विचार करेगी ।

भारत में अखबारी कागज को पुनः उपयोग के योग्य बनाने का कारखाना (न्यूजप्रिन्ट हास्पिटल)

3119. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की एक गैर सरकारी कागज कम्पनी ने भारत में खराब हुए अखबारी कागज को पुनः उपयोग के योग्य बनाने के एक कारखाने (न्यूजप्रिंट हास्पीटल) की स्थापना करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) इस प्रकार की एक सूचना समाचार पत्र में थी किन्तु किसी कंपनी से इस आशय का कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Fire in Industrial Exhibition at Connaught Place, New Delhi

3120. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a fire broke out in the Industrial Exhibition at Connaught Place, New Delhi on the 14th February, 1975 and shops were gutted therein;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H Mohsin): (a) Yes, Sir.

(b) The fire broke out due to mis-handling of stove by one Shri Kirpal Singh.

(c) A case vide FIR No. 360 under section 436 IPC was registered at Police Station, Parliament Street, New Delhi against Shri Kirpal Singh.

Assistance of Scotland Yard in Investigations into the Assassination of Shri L. N. Mishra

3121. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether assistance of the British Intelligence Agency, the Scotland Yard has been sought in the investigation of facts about the assainasstion of the former Railway Miniser, Shri Lalit Narain Mishra; and

(b) if so, the number of other political cases in which such assistance has been sought during the last three years and the statement of daily expenditure incurred thereon ?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पंजाब में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मांग

3122. **श्री मानसिंह भौरा** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये कोई मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने निर्णय किया है कि तारापुर, राजस्थान तथा मद्रास के परमाणु बिजलीघरों के अलावा, उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी विद्युत क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में एक और परमाणु बिजली घर लगाया जाये। जहां तक उत्तरी क्षेत्र (जिसमें पंजाब शामिल है) का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश का नरोरा नामक स्थान एक परमाणु बिजली-घर लगाने के लिये चुना जा चुका है। जैसा कि सदन को ज्ञात है, कोई भी परमाणु बिजलीघर पूरे क्षेत्रीय ग्रिड को बिजली सप्लाई करता है न कि किसी एक राज्य को।

10—14 L.S.S. (ND)/75

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा रेलवे को किए जाने वाले भुगतान

3123. श्री मानसिंह भौरा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने रेलवे को अनेक बिलों का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा रेलवे को देय बकाया धनराशि 1-3-1975 को 402.80 लाख रुपये थी ।

संस्थान की वित्तीय स्थिति अत्यधिक कठिन होने के कारण ये बकाया राशियां बढ गई है।

जीपों का निर्माण

3124. श्री एस० एन० मिश्र : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीपों के निर्माण कार्य का विकेंद्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बिक्री के रुख को देखते हुए सरकार यह नहीं समझती है कि अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की तत्काल कोई गुंजाईश है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश को सीमेंट की सप्लाई

3125. श्री एस० एन० मिश्र : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को वर्ष 1973-74 के दौरान तथा 1 अप्रैल, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक सीमेंट का कितना नियतन किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में इस राज्य को वस्तुतः कितनी मात्रा में सीमेंट की सप्लाई की गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सीमेंट का राज्यवार आबन्टन करने की प्रणाली पहली बार 2 जुलाई, 1973 को लागू की गई थी । 1 जुलाई, 1973 से 31 दिसम्बर, 1974

को अवधि के लिए उत्तर प्रदेश को तीन तोन महीने के आधार पर आबन्टित मात्रा तथा इस अवधि में की गई वास्तविक सप्लाई के आकडे नीचे दिए जा रहे हैं :

अवधि	आबन्टन	सम्भरण (आंकड़े 000 मो० टनों में)
1-7-73 से 30-9-73 . .	414	374
1-10-73 से 31-12-73 . .	840	493 इसमें 4 लाख मो० टन का तदर्थ आबन्टन शामिल हैं।
1-1-74 से 31-3-74 .	1033	503 इसमें 6 लाख मो० टन का तदर्थ आबन्टन शामिल है।
1-4-74 से 31-6-74 . .	379	448
1-7-74 से 31-9-74 . .	385	361
1-10-74 से 31-12-74 .	440	407

कर्नाटक के लिए विद्युत् योजनाओं की मंजूरी

3126. श्री के० लकप्पा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक राज्य की कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए पडी है;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य को विद्युत स्कीमों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दी जानी है, के ब्यौरे नीचे दिए गए है :—

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	वराही जल-विद्युत परियोजना . . .	2×115
2.	बेड्थी जल-विद्युत परियोजना . . .	2×105
3.	चक्र व्यपवर्तन स्कीम	शरावती जल-विद्युत परियोजना के लिए विस्तार स्कीम। अतिरिक्त उत्पादन लगभग 500 मिलियन यूनिट/वर्ष होगा।
4.	कालीनदी जल-विद्युत चरण-दो . .	2×25+3×32+3×25 (221 मेगावाट)
5.	शरावती टेल रस	6×40

(ग) बराही, बड्थो और चक्र व्यपवर्तन स्कीमों को तकनोको सलाहकार समिती द्वारा पहले हो स्वोकृति दो जा चुको है और इन्हें योजना आयोग द्वारा स्वोकृति दी जानो है । शरावती टेल रेस और कालो नदो चरण दो स्कीमों की परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से जांच को जा रहो है ।

पांचवी योजना में कर्नाटक में विद्युत्-उत्पादन के लिए नियतन

3127. **श्री के० लकप्पा :** क्या ऊर्जा मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवो योजना में विद्युत उत्पादन के लिए कर्नाटक सरकार को अनुमानित मांग क्या है ;

(ख) उस कार्य के लिए योजना आयोग ने क्या नियतन किया; और

(ग) चालू वर्ष में क्या नियतन किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने कर्नाटक में विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए पांचवो योजना के दौरान 244.46 करोड रुपये को धन राशि का प्रस्ताव किया है । बहरहाल, पांचवो योजना के प्रारूप में योजना आयोग ने 131 करोड रुपये की व्यवस्था को है ।

(ग) योजना आयोग ने 1974-75 के लिए 7 करोड रुपये का आबंटन किया है ।

कोयला कार्बनीकरण, तेल संश्लिष्टीकरण तथा केन्द्रीय टार-हाइड्रोजनेशन संयंत्र संबंधी योजना बनाना

3128. **श्री के० लकप्पा :** क्या ऊर्जा मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोयला कार्बनोकरण, तेल संश्लिष्टोकरण तथा केन्द्रोय टार हाइड्रोजनेशन संयंत्र तथा उनसे सम्बद्ध अन्य मामलों संबंधो योजना बनाने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के समूह के सुझाव प्राप्त हो गए है;

(ख) समूह के विशेषज्ञों के नाम क्या है और उनके सुझावों को रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जो, नहीं ।

(ख) विशेषज्ञ दल में निम्नलिखित व्यक्ति है :—

1. डॉ० के० आर० चक्रवर्ती, अवकाश प्राप्त एम डो, भारतोय उर्वरक निगम, कलकत्ता . अध्यक्ष

2. डॉ एम० जो० कृष्ण, ... उपाध्यक्ष
निदेशक,
केन्द्रोय ईंधन अनुसंधान संस्थान,,
धनबाद ।

3. डॉ० एन० जो० बासक, ... सदस्य सचिव
अवकाश प्राप्त, वरिष्ठ उप निदेशक,
केन्द्रोय ईन्धन अनुसंधान संस्थान,
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर
वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान,
परिषद, कांच व मृत्तिका शिल्प, संस्थान,
कलकत्ता ।

4. डॉ० आर० वैद्यश्वरन . . . . सदस्य
उप निदेशक,
क्षेत्रोय अनुसंधान प्रयोगशाला,
हैदराबाद ।

5. प्रोफेसर ए० एन० राय . . . . सदस्य
प्रोफेसर, रसायन इंजोनियरो,
आई० आई० टो० खड़गपुर

6. डा० बो० ए० कृष्णमुर्ति . . . सदस्य
उप निदेशक
केन्द्रोय ईंधन अनुसंधान संस्थान
धनबाद ।

7. श्रो पो० के० घोष, . . . सदस्य
कोयला नियंत्रक . . . .
कलकत्ता ।

8. टो० एल० शंकर, ... सदस्य
मुख्य परियोजना मूल्यांकक,
योजना आयोग,
नई दिल्लो ।

9. डॉ० एच० के० कारगल, . . सदस्य
प्रबंधक, तकनोको सेवाएं,
इंजोनियर्स (इंडिया) लि०
नई दिल्ली ।

10. श्रो एस० एन० घोष, . . . सदस्य
प्रचार प्रभाग प्रमुख तथा सम्पादक,
आयल कामेन्ट्रो पेट्रोलियम सूचना सेवा
नई दिल्ली ।

11. श्रो एस० के० घोष, ... सदस्य
संयुक्त सचिव,
कोयला विभाग ।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में श्री जयप्रकाश नारायण को सार्वजनिक सभाओं को टेलीविजन पर न दिखाया जाना

3129. **श्री मधु दण्डवते : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1975 में बम्बई में श्री जय प्रकाशनारायण की विराट आम सभाओं को केन्द्रीय सरकार के आदेश पर बम्बई टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा सम्बोधित सभाओं के मामले में ऐसा भेदभाव क्यों किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । श्री जयप्रकाश नारायण की बम्बई में 21, 22 और 26 जनवरी 1975 को सभाओं को बम्बई टेलीविजन केन्द्र में के तीनों टेलीविजन समाचार बुलेटिन अर्थात् अंग्रेजी, मराठी और हिंदी में कवर किया गया था ।

कोका कोला निर्यात निगम का अपने मालिकों के साथ करार

3130. **श्री के० एस० चावड़ा : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला निर्यात निगम द्वारा अपने मालिकों के साथ किये गये करार/करारों की शर्तें क्या हैं, इन करार/करारों के अधीन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होगा और अवधि, निर्यात स्वामित्व के भुगतान, क्षेत्रीय कार्यालय खर्च, मुख्यालय व्यय आदि के बारे में अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) सहयोग की शर्तों का अनुमोदन किस प्राधिकरण ने किया है और क्या सरकार के रिकार्ड में यह करार लिखित रूप में है;

(ग) क्या इस करार में बाद में संशोधन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में विदेश जाने वाला धन तथा अर्जित आस्तियों की राशि अलग अलग क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) भारत का कोका कोला निर्यात निगम अमरीकन कम्पनी की एक शाखा है, अतः इस प्रकार के किसी करार अथवा सहयोग का सरकार द्वारा स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(घ) कोका कोला निर्यात निगम की भारतीय शाखा में 31-12-73 को लगी पूंजी का अनुमान लगभग 4.9 करोड रुपये है । निगम द्वारा वर्ष 1972, 1973 और 1974 में किये गये प्रेषण नीचे दिये गये है :—

वर्ष	राशि रुपये में
1972	15,67,953
1973	100,66,240
1974	124,92,449

कोका कोला निर्यात निगम का उत्पादन कार्य

3131. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोला कोला निर्यात निगम को कोई औद्योगिक लायसेंन्स लेने की आवश्यकता नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निगम डी० जी० टी० डी० के साथ पंजीकृत है, यदि हां, तो कब से तथा पंजीकरण संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) कोका कोला निर्यात निगम ने भारत में उत्पादन कार्य कब आरम्भ किया, प्रारंभ की किन किन मदों का उत्पादन आरम्भ किया गया और बाद में अनुमति लेकर अथवा अनुमति बिना उत्पादित किये गये अन्य मदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रारम्भिक उत्पादन की तारीख के बाद कोका कोला निर्यात निगम को अनुमतियां देते समय प्रत्येक मामले में कोई विशिष्ट शर्तें लगाई गई थीं; और

(ङ) इस कम्पनी ने वर्ष 1964–65 से 1967–68 तक कितनी कच्ची सामग्री का आयात किया तथा इन वर्षों के दौरान कितना निर्यात किया ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) मैं० कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को जनवरी, 1958 में निम्नलिखित शर्तों पर भारत में सान्द्रण (कन्सेन्ट्रेट) का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

1. संयंत्र और उपकरण विदेशी कं० द्वारा प्रदान किए जाएंगे; और

2. उत्पादन की मात्रा इतनी होगी जिससे देश के विद्यमान 4 बोतल भरने वाले संयंत्रों की आवश्यकता पूरी की जा सकेगी तथा इन संयंत्रों द्वारा पेय का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात की अनुमति समय समय पर विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखकर दी जाएगी।

इसके बाद 1964 में उनका अपने उपक्रम में साइट्रस फल पर आधारित कोका कोला कन्सेन्ट्रेट का उत्पादन करने का प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

1. पेयतत्व का उत्पादन करने के लिए आवश्यक संयंत्र और उपकरण के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और

2. पेयतत्व का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कच्चे माल का आयात करने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की पूर्ति कोका कोला कन्सेन्ट्रेट के निर्यात के लिए उन्हें प्रदान की गई निर्यात उत्पादन पात्रता से की जाएगी।

(ङ) जानकारी नीचे दी जा रही है :

वर्ष	इन्डीपोडिन्टस्			
	निर्यात		आयातित	
	कन्सन्ट्रेंट	अन्य	वास्तविक उपभोक्ता	निर्यात पात्रता
1964 . .	868	..	133	174
1965 . . .	4134	..	20	571
1966 . . .	7273	..	..	763
1967 . . .	3184	14	98	868
1968 . . .	5767	232	..	1151

जामा मस्जिद क्षेत्र में दंगों के बारे में लेख और चित्र प्रकाशित करने पर प्रतिबन्ध

3132. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उपायुक्त ने पुरानी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली कुछ पत्रिकाओं द्वारा जामा मस्जिद क्षेत्र में 2 फरवरी, 1975 के दंगों के बारे में लेखों तथा चित्रों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) क्या अधिकारियों की यह कार्यवाही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने के समान है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य के लिए यह कार्यवाही पूर्वोदाहरण मानी जायेगी अथवा हमारे विशाल देश के लोकतांत्रिक ढांचे में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बनाये रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमन । इस आशंका से कि कुछ पत्रकारों के 2 फरवरी 1975 के जामा मस्जिद के दगों से संबंधित उत्तेजानात्मक चित्र तथा न्यूज फीचर छापने की संभावना है जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने में प्रतिकूल हो सकते है दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने 6 और 7 फरवरी 1975 को आपराधिक तथा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1969 के अन्तर्गत ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के लिये 7 पत्रिकाओं को आदेश जारी किये थे । बाद में पत्रिकाओं के सम्पादकों ने जिला मजिस्ट्रेट को यह आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई सामग्री जो सांप्रदायिक भावनाओं को भडकाती है, प्रकाशित नहीं की जायगी । तत्पश्चात निरोधात्मक आदेश समाप्त कर दिय गये थे ।

(ख) जीं नहीं श्रीमन ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा में आंसुका के अन्तर्गत बन्दी

3133. श्री बीरेन दत्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में आंसुका के अन्तर्गत व्यक्ति कितने समय से नजरबन्द है; और

(ख) उन्हे किस स्थान पर रखा गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 28-2-75 को आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन 21 नजरबन्द व्यक्तियों में से नौ नजरबन्द व्यक्ति जो विदेशी है केन्द्रीय जेल, दिल्ली में नजरबन्द है कि स्वदेश वापसी की जानी है। उनकी नजरबन्दी की अवधि इस प्रकार है :—

अवधि	नजरबन्दों की संख्या
(1) दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम . . .	4
(2) एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम . .	1
(3) 6 माह से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम .	4

शेष 12 व्यक्ति भारतीय है जिनको केन्द्रीय जेल, अगरतला में नजरबन्द किया गया है, और 28–2–75 तक उनकी नजरबन्दी की अवधि 6 मास से कम है।

उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत विरोधी तत्वों के बारे में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक

3134. श्री बीरेन दत्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत विरोधी तत्वों का सामना करना पड रहा है और उत्तर पूर्वी परिषद के अध्यक्ष को इस बारे में मनीपूर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के मुख्य मंत्रियों से बातचीत करनी पडी थी; और

(ख) क्या त्रिपुरा में भारत विरोधी शक्तियों के सक्रिय होने के बुरे समाचार मिले है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख नागालैंड तथा मिजोरम में कुछ गुमराह तत्वों की पृथकवादी गतिविधियों के बारे में सदन को सूचित रखा गया है। सरकार को इस संबंध में उत्तर पूर्वी परिषद के अध्यक्ष तथा मणिपूर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के मुख्य मंत्रीयो के बीच हुई किसी विशेष बैठक की कोई सूचना नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संविधान के अनुच्छेद 371(3) के अन्तर्गत राज्यपाल नागालैण्ड में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है । उस राज्य में विधान सभा के सदस्यों का भी अपहरण हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, यह मामला सदन में सोमवार को उठाया गया था। यह मामला राज्य में से सम्बन्धित है न कि केन्द्र से ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के निर्णय के बाद व्यवस्था के प्रश्न की बात ही नही उठती ।

डा० हेनरी अस्टिन (एरणाकुलम) : प्रश्न वेलोर अस्पताल में मरीजों के जीवन बचाने का है। प्रश्न यह है कि क्या वहां बिजली की व्यवस्था की जाएगी या नहीं तथा मरीजों को बचाया जायगा या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने किसी सदस्य को बुलाया नहीं है ।

डा० हेनरी अस्टिन : आप इंकार भी कैसे कर सकते है ।

अध्यक्ष महोदय : राज्यों से सम्बन्धित मामले इस सभा में उठाए नहीं जा सकते। इसके पश्चात राज्यों से सम्बन्धित मामले के बारे में उठाई गई चर्चा कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : *(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्वयं ही संविधान की विवेचना कर सकते है तो मेरा यहां बैठने से क्या लाभ । किसी राज्य में सरकार बदलने सम्बन्धी मामला यहां नहीं उठाया जा सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कानून और व्यवस्था की बात कर रहा हूं । वहां राज्यपाल असफल रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने राज्यपाल की हैसियत से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मामला केन्द्र से सम्बन्धित है क्यों कि राज्यपालों की नियुक्ति गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद आप इस प्रकार बाधा नहीं डाल सकते ।

डा० हेनरी आस्टिन : हम जिस मामले को उठा रहे है वह राष्ट्रीय महत्व का विषय है । यह मामला देश में अस्पताल में सैकडों मरीजों के जीवन से सम्बन्धित है । वहां पर न बिजली है और न ही पानी तथा मरीजों के आरपरेशन नही हो सकते है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां नियम 377 लागू नहीं होता। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

---

*कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचरी के बारें में राष्ट्रपति के आदेश

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सां० सां० नि० 222 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 232 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम 1975 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 233 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) तीसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 272 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 9152/75]

(2) संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के बारे में जारी किये गये निम्नलिखित राष्ट्रपतिय आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :-

(एक) सां० आ० 572 (ङ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) सां० आ० 128 (ङ) जो दिनांक 7 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखें गए । देखिए संख्या एल० टी० 9153/75]

समस्तीपुर सेंट्रल शुगर कम्पनी के प्रबन्ध पर नियन्त्रण जारी रखने के बारे में अधिसूचना तथा विवरण

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 (क) की उपधारा (2) के अन्तर्गत मैसर्स समस्तीपुर सेंट्रल शुगर कम्पनी लिमि० समस्तीपूर (बिहार) के प्रबन्ध पर नियंत्रण जारी रखने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या सां० आ० 674 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। जो दिनांक 25 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 9154/75]

भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1975

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 196 में प्रकाशित हुई थीं। सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9155/75]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित एक अरब रुपये के मूल्य के औद्योगिक कच्चे माल को मुख्य पत्तनों के गोदामों और गोदियों से न उठाये जाने से उत्पन्न कथित स्थिति

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनिय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह उसपर अपना वक्तव्य दें :—

"खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित एक अरब रुपये के मूल्य के औद्योगिक कच्चे माल को मुख्य पत्तनों के गोदामों और गोदियों से न उठाये जाने से उत्पन्न कथित स्थिति',

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास लगभग 130 करोड़ रु० मूल्य को अलौह धातुएं, इस्पात, अपरिष्कृत हीरे और औद्योगिक कच्चे मालके स्टाक थे। उद्योग द्वारा माल को कुल खरीद कम कर दिये जाने के परिणामस्वरूप ये स्टक जमा हो गये हैं। ऋण संकुचन तथा देश में तैयार उत्पादों की मांग का अभाव इस गिरावट को प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारण हैं। इसका अन्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट

के रुख के कारण इन वस्तुओं की परिकल्पी मांग में कमी होना है। यह स्थिति खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अधिक माल खरीदे जाने से पैदा नहीं हुई है। उसने उद्योग की सामान्य मांग का हिसाब लगाकर आयात कार्यक्रम बनाया था।

2. इन वस्तुओं का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत हैं और इस लिए निगम को घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को अविरत आधार पर पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाक रखना पड़ता है। इसने विदेशी सप्लायरों के साथ दीर्घावधि व्यवस्थाएं की हैं जिन्हें उद्योग द्वारा उठाई जा रही अस्थायी कठिनाइयों के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता।

3. तथापि, निगम ने जमा पड़े माल को निकालने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(1) अलौह धातुओं तथा इस्पात की मौके पर (स्पाट) खरिदारियां बन्द कर दी गई हैं;

(2) विदेशी सप्लायरों के साथ परामर्श करके दीर्घावधि संविदाओं के अन्तर्गत अलौह धातुओं के पोतलदानों के आस्थगन के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(3) अलौह धातुओं की कीमतें कम कर दी गई है; और

(4) वास्तविक प्रयोक्ताओं को आस्थगित भुगतान सुविधा दी जा रही है।

4. आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है जिसमें वास्तविक प्रयोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे नये रिलीज़ आर्डर जारी किये जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर या पहले जारी किये जा चुके रिलीज़ आर्डरों के मामले में सार्वजनिक सूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर अपने रिलीज़ आर्डर रजिस्टर करा लें।

आशा है कि इन उपायों से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास पड़े औद्योगिक कच्चे माल के स्टाक का परिमाण घट कर सामान्य हो जायेगा।

Shri Sat Pal Kapur : May I know whether Credit Squeeze was prevalent at the time orders were placed for theis import? What was the basis of giving these orders? Whether any market survey was made to assess the requirement? The amount paid uptill now in the form of demurrage?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : ऋण नीति पहले ही विद्यमान थी। मांग की कमी का यदि हम पहले भी अनुमान लगा लेते तो भी क्या लाभ था क्योंकि हम पहले ही आयात का आदेश दे चुके थे। हमने फर्मों की पूरी जांच करके ही क्रयादेश दिए थे परन्तु फर्म माल को धीरे धीरे उठा रही है क्योंकि उन्हें वर्ष के भीतर उठाने की अनुमति होती है। अब हमने कुछ रियायतें बढ़ा दी है जिस कारण स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे स्थिति भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी उत्पन्न हो जाती है। अतः हमारे यह चिन्ता का विषय नहीं बन जाना चाहिए। फिर भी हम ने कुछ उपाय किए है जिनसे गत एक मास से स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। हमें आशा है कि तीन चार महीनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। हम अस्थाई कठिनाइयों के कारण अपनी नीति में परिवर्तन नहीं कर सकते।

Shri Sat Pal Kapur : What is the turn over of sale now?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : निगम ने ताम्बे के संबंध में जनवरी, 1973 में 1555 मी० ट० की बिक्री की तथा गत वर्ष जस्ते के सबंध में बिक्री 3534 मी० टन० थी तथा जनवरी, 1975 में 4728 मी० ट० थी।

Shri Sat Pal Kapur : You had a stock worth rupees 130 crores. Out of this stock how much has been cleared on the basis of deferred payment.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अब हम ताम्बे और जस्ते की कीमत कम कर के स्टाक डेफर्ड पेमेंट के आधार पर दे रहे है।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : इन उपायों का क्या परिणाम निकला है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : नवीनतम स्टाक स्थिति 130 करोड़ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा कहना है कि निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मेरी जानकारी के अनुसार निगम के पास बम्बई में 27 करोड़ रुपए के मूल्य का 13,470 मैट्रिक टन ताम्बा तथा लगभग 12 करोड़ रुपए के मूल्य का 11,113 टन जस्ता है। इनके अलावा उनके पास और धातुओं का भी स्टाक है। इन पर प्रति मास लगभग 60 लाख रुपए का विलम्ब शुल्क भी दिया जा रहा है। यह गलत योजना का एक ज्वलंत उदाहरण है।

गुप्तचर विभाग ने हीरों के मामलों के बारे में एक जांच भी की थी। राज्य सभा में श्री सी० आर० दास के खिलाफ एक शिकायत भी की थी। शिकायत में यह बताया गया था कि कामिनी ग्रुप को 700 टन जस्ता बिना किसी प्रक्रिया के दिया गया था। इसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों को बिना टेंडर मांगे 1 लाख टन कोयले का परमिट दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : ये जो बातें उठाई जा रही हैं इनका मूल सूचना से कोई सम्बन्ध नही है अतः मैं इस की अनुमति नही दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गुप्तचर विभाग ने जांच की थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस जांच का क्या परिणाम निकला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता। प्रश्न आयात किये गए ऐसे खनिज पदार्थों के बारे में होने चाहिए जो निगम के गोदामों में बिना बिके पड़े हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बारे में कुछ और बातें कहना चाहता हूं। निगम को स्टाक इकट्ठा होने, भ्रष्टाचार तथा निहित स्वार्थ के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि निगम को एक वर्ष में 6 करोड़ रुपये की हानि हुई थी तथा क्या यह भी सच नहीं है कि निगम को अभ्रक के आयात से हानि उठानी पड़ी थी।

अध्यक्ष महोदय : इस समय उत्तर केवल स्टाक के इकट्ठा होने तथा उसे निपटाने के बारे में ही दिया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 30 दिसम्बर, 1974 तक कितना स्टाक बिना बिका पड़ा था तथा क्या निगम इसपर ब्याज भी लेता है तथा किसी तारीख से ?

अध्यक्ष महोदय : इन सब प्रश्नों का सम्बन्ध मूल सूचना से नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मुख्य उप-नियंत्रक ने कहा था कि इस सम्बन्ध में शीघ्रता की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न किए जा रहे है जिनका मूल सूचना से कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल शोर मचाने से प्रश्न को सुसंगत नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं ने निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कुछ आरोप लगाए थे उनका क्या हुआ है। मंत्री महोदय ने वचन दिया था कि वह इस सम्बन्ध में उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सदन भ्रष्टाचार को छिपाना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय : जब यह विषय विचाराधीन नहीं है तो आप ऐसी बात मत करे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : *

अध्यक्ष महोदय : कोई बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इस बात पर खेद है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात आप के नेता, श्री चतर्जी पर जो एक सुविख्यात वकील छोड़ता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) **:** प्रश्न तो यह है कि उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने माल नहीं उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : स्टाक जमा हो जाने के कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। उद्योग द्वारा माल की खरीद कम कर दिये जाने और परिकल्पी मांग में कमी हो जाने के कारण यह स्टाक जमा हो गया था। इस सम्बन्ध में कुछ नयी सुविधाएं दी गई हैं। उदाहरणार्थ उन्हें कुछ और समय दिया गया है और इसके साथ साथ आस्थगित भुगतान की भी सुविधा दी गई है। हम इस प्रकार छोटे छोटे वास्तविक उपभोक्ताओं की भी सहायता कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यही प्रश्न था तो आपने इसका पहले ही उत्तर क्यों नहीं दे दिया था।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

Shri Shrikishan Modi (Sikar) : The Minerals and Metals Trading Corporation has failed to deliver the goods. It has not been functioning efficiently. It purchased materials when the prices were ruling high. It curtailed the quota of the factories and thus allowed the stocks to accumulate and as a result of this it has to incur wharfage amounting to Rs. 60 lakhs in the clearance of non-ferrous metals. Besides it has to pay an interest of Rs. 1 Crore to the banks. After all who will pay all this amount—the M.M.T.C. or the consumer? When there is a demand for stainles steel and nickel, why these goods are being accumulated? Keeping in view our demand for non-ferrous metals, during 1975 what steps are proposed to be taken to procure those metals and prevent lossess in this regard in future?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वस्तुश्रों का आयात प्रचुर मात्रा में किया जाता है और इस के लिये हमें दीर्घकालिन करार करने पड़ते हैं। हां, जब हम ने देखा कि माल की मांग कम है, तो हमने अपने निर्यातकर्त्ताश्रों को रुक रुक कर माल भेजने के लिये कह दिया था। सामान्यत: एक महीने का स्टाक रखा जाता है। अब हमारे पास 2 मास का स्टाक है। स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी है। अलोह धातुश्रों की मांग विश्व भर में कम हो गई है। स्टेनलेस स्टील श्रौर निकल की कोई कमी नहीं है। यह तो कम दामों पर उपलब्ध हैं। हां, कुछ छोट पैमाने के उद्योग बोगस पाये गये हैं, उन्हें कच्चा माल नहीं दिया गया है क्योंकि वे शर्तों को पूरा नहीं कर सके हैं।

Shri R. R. Sharma (Banda) : In view of the fact that the M.M.T.C. has incurred wharfage of Rs. 60 lakhs and its interest liability amounts to Rs. nine Crores on the bank borrowings it is quite clear that the management of the M.M.T.C. has failed to deliver the goods. Is it because of the fact that there is paucity of able and honest Officers? Have serious irregularities not been committed in making appointments and giving promotions to officers in this Corporation? Will Government order a parliamentary probe into this matter? The hon. Minister has stated that they are ready to extend deferred payment factilities and to supply these metals even at reduced prices, who will incur this loss?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : 1974–75 में निगम ने केवल 3 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में दिये श्रौर 1–4–1974 से 5–3–75 तक बम्बई पत्तन पर अलौह धातुश्रों स्टनलैस स्टील श्रौर अन्य श्रौद्योगिक माल के घाट-भाड़ा के रूप में केवल 38 लाख रुपय दिय हैं।

अधिकारियों की नियुक्ति के ढग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है श्रौर मेरे विचार में इस बारे में किसी प्रकार की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बारे में इकोनामिक टाईम्स में यह बताया गया है कि इस निगम की केवल वित्तीय स्थिति ही खराब नहीं है परन्तु इस संगठन को कार्यप्रणाली के सभी पहलू दोषपूर्ण हैं। इसी कारण अलौह धातुओं का स्टाक जमा हो गया है और 100 करोड़ रुपये से भी अधिक रकम ब्लाक हो गई है। कच्चे लोहे के निर्यात में भी कमी हो गई है। जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की आय कम हो गई है। आयात और निर्यात के बारे में सारी योजना असफल रही है। करनाटक में कच्चा लोहा है परन्तु उसका निर्यात करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस गम्भीर स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यद्यपि करनाटक राज्य और अन्य राज्यों में से निर्यात के लिए कच्चा लोहा तो उपलब्ध है, तथापि समस्या यह है कि उसे उठाने वाला कोई नही है। यहांतक कि जापान ने भी अपनी मांग में कमी कर दी है। हमें इस समस्या की पूरी जानकारी है और हम इस संबंध में हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

असम में बोरझार हवाई अड्डे पर श्री विश्व गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*. ARREST OF SHRI BISWA GOSWAMI AT BORJHAR AIR PORT IN ASSAM.

. **गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** महोदय, असम सरकार के प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विश्व गोस्वामी को 5 मार्च, 1975 को पूर्वाह्न लगभग 2 बजे बोरझार हवाई अड्डे पर भारतीय शासकीय गोपनीय अधिनियम 1923 को धारा 5 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380/468/120 (ख) के अन्तर्गत अपराध करने से संबंधित होने के सन्देह म गिरफ्तार किया गया था। श्री गोस्वामी को चीफ जुडिशियिल मजिस्ट्रेट गुहाटी के समक्ष 6 मार्च को पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में प्रतिप्रेषण किया गया। श्री गोस्वामी को जमानत के लिये 10-3-75 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा अर्जी नामंजूर कर दी गई। जिसने उसे 21 मार्च 1975 तक के लिये न्यायिक हिरासत को प्रतिप्रेषण कर दिया।

असम सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि हवाईजहाज में चढ़ने से पूर्व नेमी सुरक्षा जांच के दौरान श्री गोस्वामी के पास बिना प्रयोग किये हुए 39 मतपत्रों के साथ प्रतिपत्रक की एक गडडी मिली थी। ये मतपत्र हाल के उप-चनाव में बारपेटा चुनाव क्षेत्र के बोरझार चुनाव केन्द्र स सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। चनाव प्रबन्ध नियमावली, 1961 के नियम 45 और 47 के अनुसार चनाव समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी को फार्म 16 में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना भी बिना प्रयोग किये हुए मतपत्रों के पूर्ण ब्यौरे दिये जाते हैं, मतपत्रों का हिसाब रिटर्निंग अधिकारी को भेजना पड़ता है। नियम 92 (2) में अपेक्षा है कि बिना प्रयोग किये हुए मत पत्रों की गड्डियों को उनके प्रतिपत्रक तथा चुनाव सम्बन्धी अन्य कागजों को जिला चुनाव अधिकारी अपने नियंत्रण में रखेंगे। उसके नियम 93 में यह भी व्यवस्था है कि इस प्रकार नियंत्रण में रखे गये कागजों को खोला नहीं जायगा तथा उसकी सामग्री का निरक्षण चुनाव आयोग अथवा सक्षम न्यायालय अथवा न्याधिकरण के आदेशों के अतिरिक्त कोई नही करेंगा अथवा उनको किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के आगे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। असम सरकार के अनुसार श्री गोस्वामी इन 39 बिना प्रयोग किए गये मतपत्रों को उनके प्रतिपत्रक के साथ अपने पास रखने के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहे और उनको कथित मतपत्रों को अवैध रूप से अपने पास रखते हुए पाये जाने पर तदनुसार गिरफ्तार किया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत एक व्यक्ति चुनाव अपराध के लिए दोषी होगा यदि किसी चुनाव में वह बिना यथोचित प्राधिकार के किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देता है अथवा किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करता है अथवा कोई मतपत्र अपने पास रखता है। जांच पड़ताल के दौरान श्री नित्यानन्द शर्मा, पीठासीन

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

अधिकारी बोरझर चुनाव केन्द्र, श्री प्रभात तालुकदार, वहां का प्रथम चुनाव अधिकारी तथा दो अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी ने निर्वाचन विधि का हवाला देते हुए अभी बताया की चुनाव के दौरान यदि किसी व्यक्ति के पास मतपत्र हों, तो यह एक अपराध है। लकिन ये मतपत्र तो चुनाव समाप्त होने के पश्चात् पाये गए हैं यह अपराध कैसे हुआ ?

Shri Madhu Limaye (**Banka**) : The question is that it is not the duty of the Security Staff at the airport to check ballot papers. This is therefor illegal on their part to interfere in this manner.

अध्यक्ष महोदय : तथ्य आपके सामने हैं। वैधता के प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग और न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये तथ्य असम सरकार ने भेजे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या हवाई अडडे की पुलिस हथियारों और विस्फोटकों क इलावा अन्य चोजों के लिये भी तलाशी ले सकती है?

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले ही न्यायालय में विचाराधिन है। ऐसे प्रश्न न्यायालय में उठाये जा सकते हैं। आपने तथ्य मांगे थे, वे दे दिये गये है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, आप कृपया बैठ जाये। इस पर आगे कोई चर्चा नही हो सकती ।

श्री समर गुह : पोठासोन अधिकारियों के अभिलेख के अनुसार 58,000 मत डाले गये थे। लेकिन गणना के समय वास्तव में 89,000 मत पाये गये। इसी प्रकार कुछ बूथों का 12,000 मतों के स्थान पर 242 और 6 के स्थान पर लगभग 300 मत पाये गये। यह भी पता लगा है कि मुख्य मंत्री और गृहमत्री मतदान होने स पहले पीठासोन अधिकारी से मिले थे। यह सब इसी कारण ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस के कथित अत्याचारोंपर गृह मंत्री के वक्तव्य के बारे में सदस्य का वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER *RE* HOME MINISTER'S STATEMENT ON REPORTED POLICE ATROCITIES IN THE JAMA MASJID AREA IN DELHI

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस के अत्याचारोंपर चर्चा के दौरान 19 फरवरी, 1975 को गृह मत्री ने कुमारी फरीदा का जिक्र करते हुए कहा था की यह वही लड़की है जिसने कहा था कि उस सड़क पर घायल किया गया था। उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसलिये नही कि वह पूर्णतया स्वस्थ हो गई यदि यह ठीक है कि उस पर निकट से ही गोली चलाई गई थी, तो वह दो दिन तक अस्पताल में नही रह सकती थी।

मेरे पास फरीदा कुमारी का एक पत्र है जिसमें इस बात की पुष्टी की गई है कि पुलिस कर्मचारी ने उस पर गोली चितली कब्र में स्थित मकान की दूसरी मंजिल के एक कमरे में चलाई थी। कुमारी फरीदा ने यह पत्र जामा 'मस्जिद पुलिस स्टेशन के एस० एच० ओ० को लिखा था। इस में उसने लिखा है कि "एक पुलिस कर्मचारी ने अपनी बन्दूक से गोली चलायी। गोली मेरे बांए हाथ पर लगी। मैं बेहोश हो गई और जब मैं होश में आई, तो मैंने अपने आप को इर्विन अस्पताल में पाया। मैं उस पुलिस कर्मचारी का नाम नहीं जानती हूं लेकिन मैं उसे पहचान सकती हूं।"

इसके अतिरिक्त मेरे पास कुमारी फरीदा का टेप पर रिकार्ड किया हुआ बयान भी है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल गलत और भ्रामक है। यह सब जानबूझ कर किया गया है।

गृह मंत्री ने जानबूझ कर सभा को गुमराह किया है। उन्होंने* . .

अध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य दे चुके हैं। इस के अतिरिक्त आप अब कुछ नहीं बोल सकते हैं।

ज्योतिर्मय बसु : अब मंत्री बोलता है और जानबूझ कर सभा को गुमराह करता है, तो वह एक विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कुमारी फरीदा, 2 फरवरी, 1975 को दोपहर के लगभग 1.10 बजे इलाज के लिये इर्विन अस्पताल म दाखिल की गई थी। अगले दिन जब पुलिस ने उसकी जांच की तो उसने बताया कि वह बाजार चितली कबर में दोपहर के लगभग 12.30 बजे मौजद थी और वह अपने घर जा रही थी तो वह बन्दूक की गोली से जख्मी हो गई। चिकित्सकों के मत के अनुसार उसके जख्मों पर न तो जलने का कोई निशान थे और नहीं उसके कपड़ों पर जलने के निशान थे तथा उसके शरीर पर जख्म दूर से मारी गई गोली के कारण हुआ था। कुमारी फरीदा को 17-2-75 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी परन्तु उसने अस्पताल 18-2-75 को छोड़ा।

2. 19-2-1975 के मेरे कथन में उसके दो दिन अस्पताल में रहने का हवाला गलत था। इसके लिए मुझे खेद है। चर्चा उस समय हुई जब मैं अन्य भाषणों के कारण हुय प्रभाव को सही करना चाहता था कि कुमारी फरीदा को उसके मकान में अत्यन्त निकट से गोली मार दी गई थी। सदन को गुमराह करने के लिये मेरा इरादा कभी नहीं रहा। जो कुछ मैंने किया वह महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में धारणा दूर करने का प्रयास किया कि वास्तव में लड़की नहीं मरी थी तथा उसे अत्यधिक निकट से गोली नहीं मारी गई थी और उसे घर के अन्दर गोली नहीं मारी गई थी। वह अस्पताल में दो अथवा कुछ दिन, महत्वपूर्ण बात जिसे मैंने बताने का प्रयास किया यह थी कि थोड़े समय के बाद उसने अस्पताल छोड़ दिया था।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
*Not recorded

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

3. मुझे मिली सूचना के अनुसार 23-2-75 को कुमारी फरोदा द्वारा हस्ताक्षरित तथा जामा मस्जिद के एस० एच० ओ० को संबंधित एक पत्र 24-2-75 को थाने में दिया गया था। जैसा कि उस पत्र में उल्लिखित था इसे कुमारी फरोदा ने अपने भाई श्री गुलजार के जरिये भेजा था श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा भेजे गये पत्र में किये उल्लेख के अनुसार वह स्वयं ने थाने में नहीं गई थी दिनांक 23-2-1975 के इस पत्र के अंग्रेजी अनुवाद सभापटल पर रखा जाता है। **[सभा पटल पर रखा गया] देखिये संख्या एल० टी० 9156/75** *Placed in Library See No. LT*-9156/75 कुमारी फरोदा ने घटना के 21 दिन बाद उपरोक्त पत्र म आरोप लगाए थे और उन आरोपों के प्रतिकूल है जो उसने इलाज के लिये अपने दाखिल होने की अगली तारीख अर्थात 3-2-1975 को अस्पताल में पुलिस को बताये थे। फिर भी आरोपों की जांच की जा रही है।

कार्य मंत्रणा समिति

(BUSINESS ADVISORY COMMITTEE)

त्रेपनवां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तरेपनवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 10 मार्च 1975 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत हों"।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इससे पहले कि यह प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखा जाये मैं इस प्रस्ताव पर दिये गये अपने संशोधन के बारे में कहना चाहता हूं। हमें पहले की तरह ही पूरे सत्र भर में सप्ताह में दो बार नियम 184 और 193 के अधीन मामलों पर चर्चा करनी चाहिए और आधे घंटे की चर्चा भी करनी चाहिए।

मैंने कार्य मंत्रणा समिति में भी कहा था कि मदग्ल मामले पर और 31 मई 1973 को अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये विनिर्णय के आधार पर प्रधान मंत्री को श्री तुलमोहन राम के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

मैंने मारुति के बारे में भी विस्तार से चर्चा करने के एक प्रस्ताव की सूचना दी है। प्रधान मंत्री द्वारा भारी वित्तीय अनियमितताएं करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के संबंध में हमारे पास बहुत सामग्री है। यदि यह सभा प्रधान मंत्री के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती तो अच्छा यह होगा कि विपक्ष को यहां से निकाल दिया जाये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have given notice of a motion on the misconduct and misdemeanour of Shri Tulmohan Ram. If the motion which is being put to the vote of the House is carried, what will be the fate of these priority motions?

श्री के० रघुरमैया : जब तक कि वित्त विधेयक पास न हो जाये इन प्रस्तावों पर चर्चा आरम्भ न करने की प्रथा बहुत वर्षों से चली आ रही है। इसके पीछे आशय यह है कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाये। जहां तक श्री तुलमोहन राम का मामला है, अध्यक्ष महोदय ने उपर्युक्त कार्रवाही करने का निर्णय सभा पर छोड़ दिया है। इस प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब आपराधिक कार्यवाही पूरी हो जायेगी।

मैं कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं। (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तेरेपनवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 10 मार्च 1975, को प्रस्तुत किया गया था, सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(The motion was adopted.)

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

श्री मोहन धारिया के त्यागपत्र के बारे में आकाशवाणी पर की गई घोषणा

Shri Madhu Limaye (Banka) : I beg to raise a matter under Rule 377 about the resignation of Shri Mohan Dharia and about the manner in which it was announced on A.I.R. According to Article 75(2) of our Consitution, Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. It implies that if Ministers are to be removed or dismissed, this is done by the President also on the advice of the Prime Minister.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

Now the question is whether the President has accepted Shri Mohan Dharia's resignation or has dismissed him under Article 75(2). The All India Radio in its Bulletins and also the T.V. has announced that Shri Dharia, dismissed (hata gae) from the Central Council of Ministers, has made such and such statement.

The Prime Minister in her letter to Shri Dharia has said "I am informing the President accordingly". Had the Prime Minister told Shri Dharia that as he had lost her confidence, he should resign., Shri Dharia would have immediately resigned, as was stated by him in his letter to the Prime Minister. Under such conditions the Prime Minister has taken a highly improper step in writing such a letter to Shri Dharia. The Prime Minister has thus violated all the Conventions in the case of Shri Dharia and has adopted this attitude with a deliberate intention of humiliating Shri Dharia. She could say that she was advising the President to dismiss Shri Dharia, but she could not say as she said that she was informing the President. The Prime Minister has thus committed a great impropriety in not requesting or offering an opportunity to Shri Dharia to submit his resignation.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने नियम 377 के अधीन जो सूचना दी है उसमे श्री धारिया को मंत्रिपरिषद् में से हटाये जाने को आकाशवाणी को घोषणा का उल्लेख है। परन्तु वह संवैधानिक औचित्य तथा अन्य व्यापक प्रश्न उठा रहे हैं। वह अपनी उसी बात तक सीमित रहें।

Shri Madhu Limaye : Shri I. K. Gujaral may say that he used the words 'hatae gae mantri' on the basis of the Prime Minister's letter. I am, therefore, raising the question of impropriety on the part of the Prime Minister. Why do not you hear Shri Dharia.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत सदस्य कोई मामला उठा सकते हैं और संबंधित मंत्री यदि तैयार हो उसका उत्तर दे सकते हैं, परन्तु कोई अन्य सदस्य नहीं। यदि मैं श्री धारिया को अनुमति दूंगा तो वह नियमों का उल्लंघन होगा।

श्री मोहन धारिया (पूना) : श्रीमन्, मैंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाये थे। जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, मैंने अपनी सूचना में बताया है कि 2 मार्च 1975 को राष्ट्रपति भवन से एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। आकाशवाणी और टेलीवीजन को जो कि सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली एजेंसियां है, यह समाचार सही-सही प्रसारित करना चाहिए था।

इस विज्ञप्ति के आधार पर ही अध्यक्ष महोदय ने नियम 199 के अन्तर्गत मुझे वक्तव्य देने की अनुमति दी थी। ऐसा वक्तव्य उस मंत्री द्वारा ही दिया जा सकता है जो त्याग पत्र दे, न कि ऐसे व्यक्ति या मंत्री द्वारा जो कि मंत्रि परिषद् से हटाया गया हो। अतः यह अध्यक्ष महोदय और इस सभा का अपमान है और अध्यक्ष महोदय के विनिर्माण को चुनौति है, यह इस सभा के सदस्य का भी उपहास है।

5 मार्च को वक्तव्य देने के पश्चात् मैंने आकाशवाणी पर हिंदी समाचार में यह कहते सुना कि "केन्द्रीय मंत्रिमंडल से हटाये गये श्री मोहन धारिया ने लोकसभा में बयान देते हुए यह कहा"। प्रश्न यह है कि मैंने राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र स्वीकार कर लेने के बाद नियम 199 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया था। तो भी आकाशवाणी ने "हटाये गये" शब्द प्रयोग करने की अनुचित बात की। मैं श्री गुजराल और सरकार द्वारा स्पष्ट शब्दों में क्षमा याचना किये जाने की मांग करता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : आकाशवाणी और दूरदर्शन ने न तो जनमत को गुमराह किया और न उनका ऐसा कोई इरादा था कि इस सभा के माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा किसी प्रकार कम हो। इस मामले के तथ्य इस प्रकार थे।

2 मार्च, 1975 को दोपहर 1.35 बजे के लगभग आकाशवाणी के समाचार कक्ष में समाचार एजेन्सियों (पी० टी० आई० और यू० एन० आई०) से श्री मोहन धारिया संबंधी समाचार मिले जिन में यह बताया गया कि निर्माण तथा आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री को मंत्री परिषद् से हटा दिया गया है। 2 मार्च के अंग्रेजी बुलेटिन में सायं 3 बजे यह प्रसारित किया गया : "Mr. Mohan Dharia has been dropped from the Union Council of Ministers, according to agencies............". सायं 3.05 के हिन्दी बुलेटिन में यह कहा गया : " समाचार एजेन्सियों के अनुसार श्री मोहन धारिया को केन्द्रीय मंत्रि परिषद् में से मंत्री पद से मुक्त किया गया है......"।

रात्री 8 बजे को टेलीवीजन हिन्दी बुलेटिन में कहा गया कि "पता चला है कि श्री मोहन धारिया केन्द्रीय मंत्रिमंडल से हटाये जा रहे हैं।"

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि आकाशवाणी ने दोपहर बाद के अपनी हिन्दी बुलेटिन में और रात्रि 8 बजे के टेलीविजन हिन्दी समाचारों में यह घोषणा क्यों की कि श्री धारिया को मंत्रिपरिषद् से पदच्युत किया गया है या हटा दिया गया है, जबकि उन्होंने त्यागपत्र दिया था और राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था। तथ्य यह है कि इन बुलेटिनों के प्रसारित करने के समय तक उनके त्यागपत्र देने और राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकार किये जाने के कोई पष्ट समाचार प्राप्त नहीं हुए थ। रात्रि 9–25 बजे आकाशवाणी के समाचार कक्ष में यह पुष्ट सूचना मिली कि राष्ट्रपति ने श्री धारिया का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। जैसे ही यह सूचना मिली संशोधित समाचार प्रसारित कर दिया गया और इसके पश्चात् रात्रि 9–45 बजे के सबसे पहले टेलीविजन अंग्रेजी बुलेटिन में यह समाचार इस प्रकार प्रसारित किया गया :

"The President has accepted the resignation of Mr. Mohan Dharia from the Central Council of Ministers. He has been relieved with immediate effect ....".

इससे स्पष्ट है कि आकाशवाणी ने मंत्रिपरिषद् से श्री धारिया को पदमुक्त किये जाने के समाचार को सर्वप्रथम प्रसारित कर समाचार संगठन के रूप में अपना उत्तरदायित्व ही पूरा किया, इससे अधिक कुछ नहीं। सायं 3.05 बजे आकाशवाणी से और रात्रि 8 बजे दूर दर्शन से हिन्दी बुलेटिन में उनका त्यागपत्र स्वीकार किये जाने का समाचार प्रसारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह समाचार, किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं हुआ था। आकाशवाणी के समाचार सेवा डिवीजन को अन्य समाचार संगठनों की तरह कार्य करना होता है। उनकी तरह आकाशवाणी को भी श्री धारिया संबंधी घटनाओं का समाचार में उल्लेख करते हुए 'ड्राप्ड' शब्द प्रयोग करना पड़ा। जब कोई मंत्री प्रधान मंत्री के कहने पर त्यागपत्र देता है तो पत्रकारिता की भाषा में उसे 'मंत्री पद से हटाया गया (ड्राप्ड)' समझा जाता है। इस शब्द का प्रयोग समाचार एजेन्सियों ने भी अपने 2 मार्च के समाचारों में किया था।

आकाशवाणी ने श्री धारिया संबंधी समाचारों को उचित तथा वस्तुपरक रीति से प्रसारित, किया और अति सौम्य भाषा का प्रयोग किया जबकि कुछ समाचार पत्रों में 'डिसमिस' 'सेकिंग' 'बरखास्त' 'निकाल दिया गया' आदि शब्दों तक प्रयोग किया। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : *

श्री आई० के० गुजराल : 5 मार्च को जब श्री धारिया ने अपने त्यागपत्र के बारे में लोक सभा में वक्तव्य दिया, तो उस वक्तव्य की मुख्य मुख्य बातें आकाशवाणी के बुलेटिन में प्रसारित की गईं। अतः इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने एक समाचार साधन के रूप में अपना उत्तरदायित्व पूरा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को तथा सभा को ध्यान दिलादूं कि यह चर्चा विशेषाधिकार क प्रश्न पर नहीं है, वरन् नियम 377 के अन्तर्गत है। यह एक असाधारण मामला है। इसीलिए मैंने श्री धारिया को वक्तव्य देने की अनुमति दी है। मैं मंत्री महोदय की बात ध्यान से सुन रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रश्न 5 मार्च या 2 मार्च के समाचार प्रसारण का है। दूसरे, आकाशवाणी और दूरदर्शन क्या समाचारों के लिए समाचारपत्रों या समाचार एजेन्सियों पर निर्भर रहते हैं अथवा उनके अपने समाचार सूत्र हैं।

---

*इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

श्री आई० के० गुजराल : जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है मैं 5 मार्च के बूलेटिन से उल्लेख कर रहा हूं :

"Mr. Mohan Dharia who has been dropped from the Union Council of Ministers said today........................".

आकाशवाणी का समाचार कक्ष समाचारपत्रों के समाचार कक्ष की तरह कार्य करता है और पत्रकारिता की बोलचाल में आने वाले शब्दों का प्रयोग करता है।

श्री मोहन धारिया : यदि मंत्री महोदय समूचे देश को गलत और शरारत भरा समाचार प्रसारित करने की अपनी गलती पर खेद व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं तो कल स्वयं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं रह जायेगा।

Shri Madhyu Limaye : The query has not been replied to. It was not proper to use the same word after the issuance of the Communique from the Rashtrapati Bhawan. The hon. Minister should express his regret.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को जो कहना था वह कह चुके। अब हम अगली कार्यवाही आरम्भ करें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : मैं स्वदेशी काटन मिल्स द्वारा अवैध रूप से ताला बन्दी किये जाने का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

बजट सामान्य, 1975-76—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET 1975-76—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस बार हम वार्षिक बजट पर ऐसे समय चर्चा कर रहे हैं जबकि देश गम्भीरतम स्थिति में है। पिछले 10-15 वर्षों से अधिक समय से हमारी अर्थव्यवस्था के अस्तव्यस्त होने के कारण इस समृद्ध देश की निरीह जनता को अकथ दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इससे न केवल हमारे समाज का आधार ही डगमगा गया है, अपितु हमारी सारी अर्थव्यवस्था भी छिन्न-भिन्न हो गई है और विदेशों में हमारे सम्मान को धक्का लग रहा है।

देश, मूल्य-वृद्धि, मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, प्रत्येक वस्तु के अभाव तथा हर तरह के अन्याय, इन पांच रोगों से ग्रस्त है। देश में हर दिशा में रोष और असंतोष व्याप्त है, इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है। देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने वाली सभी लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का ह्रास हो रहा है। उदाहरणार्थ राष्ट्रपति को ही लीजिये। पता चला है कि बारपेटा चुनावों के दौरान उन्हें आसाम जाना पड़ा था।

अब मैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद् की बात करता हूं। मंत्रिपरिषद् संयक्त रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी है और संसद् के माध्यम से जनता के प्रति। लेकिन देखने में आया है कि यह संयुक्त उत्तरदायित्व केवल कागजों पर ही है। एक ही मंत्रालय के भिन्न भिन्न मंत्री भिन्न-भिन्न वक्तव्य देते हैं।

अब संसद को बारी है। संसद् को सभी प्रक्रियाएं इतनी अधिक निष्क्रिय हो गई हैं कि कोई न कोई बहाना बना कर या कोई तकनीकी नुक्ता निकाल कर राष्ट्रीय और आर्थिक महत्व की समस्याओं को जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता उत्सुक रहती है, ताक पर रख दिया जाता है। यहाँ तक कि व्यवस्था के प्रश्न जैसे नियमानुकूल मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। जानबूझकर और निश्चित रूप से ऐसे प्रयास किये जाते हैं कि संसद् में कोई ऐसी बात न कही जाये जिससे की सरकार को असुविधा हो। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि इसके लिए विपक्ष बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। हम भी दोषी हैं। पर हमारी सरकार की अपेक्षा कुछ अधिक जिम्मेदारियां भी है, यानि तथ्यों को प्रकाश में लाना और जनता के सामने रखना।

न्यायपालिका भी कार्यपालिका द्वारा प्रमाणित है। जन-प्रचार माध्यम भी अस्तव्यस्त स्थिति में है कुछ समय पहले जन प्रचार माध्यम को सरकार से अलग करने के विषय पर एक समिति नियुक्त की गई थी लेकिन उसका अभीतक कोई परिणाम नहीं निकला। चन्दा समिति की रिपोर्ट अलमारी में बन्द पड़ी है। टेलीवीजन पर भी पक्षपातपूर्ण प्रसारण हो रहा है।

बारपेटा चुनाव में हुई गड़बड़ी का आज ही सभा में मामला उठाया गया है। स्पष्ट है कि गणित की दृष्टि से भी जो कुछ वहां हुआ वह असंभव सा लगता है। श्री ओस्वामी पहली गणना में 27,000 से और दूसरी गणना में 41,000 वोटों से आगे थे। पर तीसरी गणना में वे अचानक ही 69,000 वोटों से पराजित हुए। यदि आप यह कहें कि इस में कुछ भी असाधारण गलती नहीं है तो उस उम्मीदवार का क्या हुआ जो प्रमाण पेश कर हम सबको यह बताना चाहता था कि किस प्रकार से धांधली की गई। हुआ यह कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके पास जो प्रमाण थे उन्हें जब्त कर लिया गया। इस प्रकार यहां हर तरह से चुनावों में धांधलेबाजी होती है।

हम चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने की बात कहते हैं। सभी दलों की एक बैठक हुई थी। उसमें पांच मुख्य सिफारिशें की गई थीं। किन्तु सरकार ने उन्हें कार्यरूप देना ठीक नहीं समझा। अब प्रधान मंत्री इस संबन्ध में विचार-विमर्श करना चाहती हैं कि किस प्रकार चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाया जाये। आंसूका मनमाने ढंग से प्रयोग किया जा रहा है आपात स्थिति बिना किसी कारण जारी रखे जा रही है इससे हमारे समाज की सूझबूझ ही नष्ट हो रही है। चिन्तन शक्ति का ह्रास हो रहा है। 'आंसूका' का उद्योगपति के विरुद्ध अनुचित उपयोग किया जा रहा है। उन्हें तंग किया जा रहा है। जयप्रकाश आन्दोलन के लिये धन न देने को कहा जा रहा है। उन्हें जेलों में ठूंस देने की धमकी दी जा रही है। यहां तक इसमें मंत्री स्तर के लोग भाग ले रहे हैं।

इस समय देश की स्थिति चिन्ताजनक है। चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार नजर आ रहा है। सब तरफ असंतोष और क्षोभ व्याप्त है। निराशा फैली हुई है। जनता को अच्छे भविष्य की आशा थी। किन्तु उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। सौभाग्य से जयप्रकाश नारायण ने उस आशा को जागृत किया है। हालांकि यह काम धीमी गति से हो रहा है। जनता जे० पी० आन्दोलन में ही प्रकाशपुन्ज ढूंढ रहे हैं। उन्हें आशा है कि यही आन्दोलन सरकार की दमन नीति से छुटकारा दिला सकती है।

प्रधान मंत्री ने बातचीत करने का सुझाव दिया है। मेरा मत है कि वह पहले अपनी मंत्रिपरिषद् से बातचीत आरम्भ करें। उसके बाद अपने दल के शेष सदस्यों से बातचीत

[श्री पीलू मोदी]

करें। उसके बाद वह विरोधी पक्ष से बातचीत कर सकती हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब वह अपनी मंत्रिपरिषद् के साथ और पार्टी के सदस्यों के साथ बात करने को तैयार नहीं है तो वह विरोधी पक्ष से क्या बात करेंगी। श्री धारिया को मंत्रिपरिषद् से अलग करने का हम स्वागत करते हैं क्योंकि उनके वहां बने रहने से विपक्ष असमंजस में पड़ जाता था। वही एक ईमानदार मंत्री वहां थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके पिट्ठू कांग्रेस अध्यक्ष ने भारतीय कम्युनिस्टों से मिलकर लोगों के साथ गद्दारी कर देश को एक विचारधार विशेष की ओर ले जाने का षडयंत्र किया है। भारतीय कम्युनिस्ट हमारे ही भाई है, उनमें हमारा ही खून है। हम उनके रवैये को इस आशा के साथ सहन कर सकते है कि कभी न कभी उनमें सुधार अवश्य आयेगा। पर हम यह बात कदापि सहन नहीं कर सकते कि एक विदेशी सरकार हमारी नीतियों को प्रभावित करे और हमें निदेश दे कि हम क्या करें। यह प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही है मेरी समझ में नहीं आता कि विदेशी धन के भारत में उपयोग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं की गई। अगर वह रिपोर्ट प्रकाशित हो जाये तो बहुत सी बातों का रहस्योद्घाटन हो जायेगा।

वित्त मंत्री ने बजट के बारे में एक सुन्दर भाषण दिया। पर आशाओं और रोचक भाषणों से अच्छा बजट नहीं बनता। उन्होंने अपने भाषण में जो बातें कहीं है वे बजट के बिल्कुल विपरित हैं। शायद उनका भाषण किसी दार्शनीक ने तैयार किया होगा। पर जिसने बजट तैयार किया वह अवश्य ही कोई बूचड़ होगा।

यदि इस बजट का उद्देश्य विकास है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार होगी जबकि देश की सुरक्षा के बजट पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। यह प्रचार किया जा रहा है कि चूंकि अमरीका ने पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई संबंधी प्रतिबन्ध उठा लिए हैं, इसलिए बजट का पुनरीक्षण करना जरुरी हो गया है। जिससे कि रक्षा व्यय में वृद्धि हो सके। किन्तु केवल धन से ही रक्षा नहीं की जा सकती। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस धन का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं रक्षा बजट की अलग से समुचित जांच की जानी चाहिए। इस बजट से प्रगति नहीं हो सकती। सामाजिक न्याय का सर्वथा अभाव है।

कृषि और ऊर्जा के विकास की बात कही गई है। किन्तु इनके लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था नहीं की गई है।

खण्डसारी चीनी के 7,000 मिलों में से लगभग 3/4 बन्द हो गये हैं जिससे 12,00,000 व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं। इस का कारण कर लगाने की दूषित प्रणाली है, गोदामों के निर्माण के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

विद्युत चलित करघों के संबंध में कर की राशि प्रति करघे 10 रुपये से बढ़ा कर 200 रुपये प्रति करघा कर दी गई है। क्या यह बुद्धिमानी है?

मुर्गीपालन के काम में हजारों व्यक्ति लगे हुए है। मुर्गीपालन पर कर लगाने के कारण लगभग 50 प्रतिशत मुर्गीफार्म बंद हो गए है।

फिर प्रत्येक वस्तु पर एक प्रतिशत कर लगाया गया है, यहां तक कि पुस्तकें भी नहीं छोडी गई ।

वास्तव में विकास बहुमुखी प्रतिमा और स्थानीय समाज पर निर्भर है । आपके बजट पर नहीं । सरकार ने अपनी नीतियों से सब कुछ नष्ट कर दिया है । शिक्षण सुविधाओं, तकनीकी ज्ञान, ऊर्जा आदि में वृद्धि से ही विकास संभव है और तभी गरीबी दूर हो सकती है । सरकार की नीति आसन्न समस्याओं काही समाधान खोजने की रही है । उसने दुरदर्शिता स काम नही किया है । अतः मैं यही कहूंगा कि वित्त मंत्री को धन की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी कि दूरदर्शिता की ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत ही सुन्दर भाषण दिया है किन्तु मैं समझता हूं कि बजट संबंधी चर्चा जैसे गम्भीर विषय पर हमें भाषण की अपेक्षा तथ्यों पर ज्यादा विचार करना चाहिए और विशेषरूप से ऐसे समय जबकि देश की अर्थव्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के लिए ही एक खत्रा बन गई है । मेरे पूर्ववक्ता श्री पीलू मोदी ने बारपेटा के चुनाव संबंधी जो आरोप लगाये हैं तो वे क्यों नहीं चुनाव याचिका के उपबन्ध का उपयोग करते हैं । निराधार आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है ।

बजट प्रस्तावों के किसी भी आलोचक अथवा निर्णायक को दो मुख्य बातें को ध्यान में रखना होगा जिनके अन्तर्गत वित्त मंत्री के द्वारा यह बजट तैयार किया गया है । ये दो. मुख्य बातें वे नाजुक चरण हैं जिन पर देश की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है और इस स्थिति में मूल्यों की स्थिरता को जो कि अक्तूबर, से शुरु हुई है, बनाए रखना जरुरी है । दूसरी बात यह है कि यद्यपि देश के संसाधनों पर प्रतिबन्ध है फिर भी आर्थिक निकास की गति को ज्यादा घाटे के बजट का आश्रय लिए बढ़ान की अत्यधिक आवश्यकता है । यदि इन बातों को ध्यान में रख कर वित्त मंत्री द्वारा बनाए गये बजट प्रस्तावों को देखा जाए तो कोई भी बुद्धिमान आलोचक यही कहेगा कि परिस्थितियों के अनुरुप यह उत्तम बजट है ।

आज देश की जैसी अर्थव्यवस्था है उसे देखते हुए यह विचार करना आवश्यक है कि वित्त मंत्री के समक्ष मुख्य कार्य क्या है, वर्ष 1975-76 के लिए मुख्य चुनौति आधारभूत आवश्यकताओं और खाद्य उत्पादन की मांग तथा सप्लाई की स्थिति में विद्यमान असंतुलनताओं के बीच, अर्थ-व्यवस्था को स्थिर करना है । इसका संबंध उन उपायों से है जो कि देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के परे ढांचे को बदलने के लिए आवश्यक है और यह देश की अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास के बिना संभव नहीं । विकास तभी हो सकता है जब उत्पादन अधिकतम हो कुशलता और उत्पादिता इष्टतम हो लेकिन यह अधिक विनियोजन के अभाव में सभव नहीं । यह विनियोजन भी तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने संसाधनों और बचत को गतिशील नहीं बनाते । यह वित्तीय वर्ष जो कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होगा इसमें हमें 625 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जब वित्त मंत्री ने बजट प्रस्ताव तैयार किये तो उन्हें पता चला कि 464 करोड़ रुपये का कुल घाटा हो रहा है और इस घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगाने पड़े ।

इकानिमिक टाइम्स की एक आलोचना का बार बार उल्लेख किया गया है कि 1975-76 के लिए 225 करोड़ रुपये के घाटे की बजट की व्यवस्था है लेकिन

[श्री नरेंद्र कुमार सालवे]

बजट प्रस्तावों को लागू करने के बाद कुल घाटा 464 करोड़ रुपये का होगा। यह आंकड़ों का हेर फेर है।

इकानामिक टाइम्स के अनुसार वित्तमंत्री ने 1975-76 में होने वाले वास्तविक घाटे के बजट को छिपाया है। यह घाटा 464 करोड़ रुपये का नहीं है अपितु 794 करोड़ रुपये है अर्थात् 330 करोड़ रुपये ज्यादा है। नये राजकोषित उपायों को ध्यान में रखते हुए भी घाटे का बजट 555 करोड़ रुपये तक स्थिर रहेगा। इसमें 230 करोड़ रुपये का सम्भावित ऋण और 100 करोड़ रुपये की अवरुद्ध राशि के पुनः चलन का भी समावेश किया गया है। अतः यह राशि भी 464 करोड़ रुपये में जमा होती है। इराक, इरान और अबू ढबो से जो देश तेल तथा पैट्रोलियम उत्पाद आयात करेगा उसके लिए 230 करोड़ रुपये का ऋण भी इससे शामिल है। इसमें 100 करोड़ रुपया भी शामिल है जो भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से कर्मचारियो जमा खातों और आयकर में से लिया जाना है। लगभग 400 करोड़ रपये के 6 अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तों के बारे में भी कोई बचत प्रावधान नहीं है और अगर इन सब को जोड़ा जाये तो यह रकम 1194 अथवा 1200 करोड़ रुपये बैठती है। वास्तव में 234 करोड़ रुपये को छुपाया नहीं गया है। इस वर्ष हमने पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किया है। इनका हम विक्रय करेंगे और उनसे प्राप्त होने वाली आय हमारे खाते में जमा होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि आंकड़ों में हेरा फेरी कहां की गई है अथवा छुपाया गया है।

जहां तक 100 करोड़ रुपये की राशि का संबंध है यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास अवरुद्ध पड़ी थी। अब चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और कीमतें स्थिर हुई है, सरकार इस रकम को निकाल रही है। यह रकम मुद्रा सप्लाई के अनुपात से अधिक विस्तार को रोकने के चलन से लिया गया था। यह रकम कर्मचारियों को दी जायेगी जब यह देय होगी और तब यह भुगतान की ओर जायेगी। अतः इसमें धोकेबाजी का क्या प्रश्न है।

जहां तक 400 करोड़ रुपये के महंगाई भत्ते का प्रश्न है समाचार पत्रों में इसके बारे में बड़ी आलोचना की गई है। यदि यह 400 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है तो समाज में सभी द्वारा इसका भार वहन किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि कब तक मूल्यवृद्धि को कर्मचारियों के संबंध में प्रभावहीन किया जाता रहेगा। देश में और भी वर्ग हैं जिनकी स्थिति अपेक्षाकृत अधिक बुरी है और इस 400 करोड़ रुपये की रकम के भुगतान का अर्थ सभी पर कर लगाना होगा। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि मूल्य वृद्धि से कमचारियों को बड़ी कठिनाई हो रही है कृत्रिम मुद्रा का विस्तार कर 400 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान करना बहुत ही हानिकारक होगा।

वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर योजना के लिए 5960 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है यह राशि पिछले वर्ष के कुल बजट का 55 प्रतिशत अथवा विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि का 23 प्रतिशत है। इसमें 21 प्रतिशत सुरक्षा पर व्यय होगा। इन प्रावधानों के बाद घाटे का बजट 464 करोड़ रुपये का था और उसे कम कर 225 करोड़ रुपये तक कम करना था। इसी संदर्भ में प्रत्यक्ष तथा

अप्रत्यक्ष करों के बारे में कुछ विशिष्ट परिवर्तन किये गये। वित्त मंत्री ने निगमित क्षेत्र और–अनिगमित क्षेत्र के आयकरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है उन्होंने केवल निगमित क्षेत्र की ऐसी कम्पनियों जिन पर कुछ व्यापारगृहों का नियंत्रण है काराधान के अन्तर को समाप्त किया है। पहलें 2 लाख रुपयों पर 55 प्रतिशत की दर से कर लगेगा और उससे अधिक राशि तर 60 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। मंत्री महोदय ने सम्पूर्ण कराधान को 60 प्रतिशत बढ़ाया है। यह उन्होंने युक्त बात की हैं इससे सामान्य कम्पनियों को कराधान के मामलों में उक्त कम्पनियों के स्तर पर लाया जा सकेगा वित्त मंत्री को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या एकाधिकारी गृहों को ईसका अधिकतम लाभ मिल रहा है जबकि छोटे उद्यमकर्ताओं को अनिवार्य लाभांश जमा करना पड़ रहा है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा कोई विधान न बने जिससे एकाधिकारी क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धन का संकेन्द्रण हो।

वित्त मंत्री ने अनियमित क्षेत्र के आयकरों को नहीं छुआ है किन्तु एक नये खंड 80 एफ० ए फ० का प्रस्ताव किया है जिसके अन्तर्गत उन लोगों को जिनके बच्चे कालोजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों या तकनीकी शिक्षण ले रहे हैं उन्हें कुछ राहत दी जायेगी लेकिन उन लोगों को जोकि स्कूल में पढने वाले बच्चों की पड़ाई का भी भार वहन नहीं कर सकत।

पूंजी बाजार में प्रवर्तन के लिए वित्त मंत्री ने एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया है उन्होंने 12 प्रतिशत लाभांश की घोषणा करने की अनुमति दी है लकिन उनके भाषण से यह स्पष्ट नहीं कि 12 प्रतिशत से अधिक लाभांश की घोषणा कुल लाभ के $33\frac{1}{2}$ प्रतिशत की ऊपरी सीमा के अध्यधीन है। इसके बारे में काफी अटकलबाज़ी है।

नये औद्योगिक उपक्रमों को कर से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने यह एक महत्वपूर्ण परिवतन किया है। ऊंची प्राथमिकता वाले उद्योगों में निगमित बचतों को आर्कषित करने के लिए अन्तर्निगमित कर से छूट दी गई है पर यह छूट उर्वरकों कीटनाशक औषधियों और सीमेंट पर दी गई है। यह अलग बात है कि उन्होंने इस पर कुछ प्रक्रिया नहीं दिखाई पर मंत्री महोदय ने कुछ प्रयास किये हैं कीटनाशक औषधियों को अब प्रारम्भिक मूल्यह्रास में शामिल कर लिया गया है। इससे पूर्व प्रवर समिति नें भो इस प्रश्न पर विचार किया था। किन्तु भारत सरकार आर्थिक मंत्रालयों के सचिवों ने इसका विरोध किया। किन्तु हमारी अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए कीटनाशक औषधियों को प्रारम्भिक मूल्यह्रास में शामिल कर लिया गया है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से मेरा यह सुझाव है कि उवरकों को भी इसमें शामिल किया जाये। मेरा यह भी सुझाव है कि प्रारम्भिक मूल्यह्रास को परिसम्पत्ति के मुल्य निर्धारण के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए।

प्रत्यक्ष करों से 208 करोड़ रुपये की आय होगो किन्तु मेरा निवेदन है कि लेवो की प्रास्तविक वृद्धि बहुत ही विचारशील है। उन्होंने आधारभूत मजदूरी में शामिल मदों में से किसी को छुवा नहीं है।

वित्त मंत्री ने एक नयी बात की है कि जो उन्होंने 1 प्रतिशत यथामुल्य शुल्क लगाया है। किन्तु उन्ह इस पर भली भांति विचार करना चाहिए। जहां तक चीनी पर लेवी का संबंध है उसे 30 से 37.5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इससे गरीब आदमी

[श्री नरेंद्र कुमार सालवे]

पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका उस 65 प्रतिशत पर असर नहीं पड़ेगा जो आन्तरिक खपत के लिए है। यह केवल कुल उत्पादन के 35 प्रतिशत पर लागू होगा जिसमें से 15 से 20 प्रतिशत निर्यात होता है। निर्यात उद्देश्यों के लिए खनिज धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम को भी कुछ प्रतिशत देना पड़ता है।

हमारी अर्थव्यवस्था में समस्याएं चार कारणों से उत्पन्न हुई है। प्रथमतः मुद्रा सप्लाई के वे अनुपात विस्तार कारण है। दूसरे में 1974 में अनाज की असंतोषजनक वसूली रही है। तीसरे पट्रोलियम उत्पादों के मुल्य में अत्याधिक वृद्धि हुई है तथा चौथा कारण यह है कि आयातित आवश्यक कच्चे माल तथा अनाज की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस संबंध में पिछले अनुभव के आधार पर मेरा सुझाव है कि चूंकी राष्ट्रीय आय 3 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ रही है। अतः मुद्रा सप्लाई $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक सीमित रखी जाय जो कठिन परिस्थितियों में अधिक से अधिक 4 प्रतिशत तक की जा सकती है। दुसरे सरकारी वितरण व्यवस्था देश भर में लागू की जाये तथा अगले तीन वर्षों में सभी आवश्यक वस्तुएं सरकारी वितरण व्यवस्था द्वारा वितरित की जाएं जिससे कि निर्धन जनता को सुदखोरो और मुनाफाखोरो के पंजे से बचाया जा सके। इस संदर्भ में कृषि मंत्री द्वारा राज्य स्तर पर गेहूं की वसूली की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। गेहूं के संबंध में यह घोषणा की गई है कि इस के व्यापार का एकाधिकार सरकारी अभिकरणों का ही होगा। तीसरा सुझाव यह है कि आम अयोग की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले पिछड़े क्षेत्रों में स्थित नये उद्योगों को पूंजी के 50 प्रतिशत तक आयकर की छूट दी जाये। सरकारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का इतना पर्याप्त उत्पादन होना चाहिए कि अगले 3–5 वर्षों में पूर्ति और मांग के असंतुलन को दूर किया जाये। आयकर अधिकारियों द्वारा की गई तलाशियों से जमाखोरी और काले धन को निकाल बाहर करने में सहायता मिली है। इसके लिए निरीक्षण और अनुसंधान निदेशालय को बधाई दी जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र में उद्यमों में 20,000 करोड़ रुपया निवेश किया गया है। इस क्षेत्र के कार्यकरण को सुव्यवस्थित किया जाये जिससे अगले तीन वर्षों में वह सरकार का प्रतिवर्ष कम से कम 25,00 करोड़ रुपया द सके। इतने लाभ के बिना संसाधनों का जुटाना संभव नहीं है। भुगतान संतुलन की स्थिति बड़ी ही खराब है। निर्यात में वृद्धि काल्पनिक ही है। 1974–75 में पहले आठ महिनों में यद्यपि निर्यात में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु आयात में 54 प्रतिशत की वृद्धि है। जिसके परिणामस्वरुप प्रतिकुल व्यापार संतुलन हो गया। अगले दो वर्षों में निर्यात को दुगुना करने के लिए कडे कदम उठाये जाने चाहिए।

खाद्यान्नों की वसूली का आधार बहुत ही अवास्तविक है। गेहूं की वसूली मूल्य 125 रुपये प्रति क्विटल तक किया जाना चाहिए। जिन किसानों को सिचाई सुविधाएं प्राप्त हैं उन पर कम से कम 5 प्रतिशत आयकर लगाया जाये। ऐसा करने पर राज्यों से 750 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकेंगे जिसका उपयोग खाद्यान्नों को राज सहायता देने और निर्यात के लिए उपयोग किया जा सकेगा। अन्ततः ऐसे कानून न बनाए जायें जिनका पालन अच्छे से अच्छा नागरिक न कर सकें। आर्थिक अपराधों को राष्ट्र के प्रति गद्दारी माना जाये तथा अपराधियों को कठोरतम दण्ड दिया जाये चाहे समाज में उनकी कैसी भी प्रतिष्ठा क्यों न हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मेरे मित्र श्री सालवे ने आर्थिक समीक्षा से वित्त मंत्री के समर्थन में जो बहुत अधिक उद्धरण किया है उससे वे सम्भवतः इस भ्रम में हैं कि

बजट भाषण और आर्थिक समीक्षा के बीच एक समंध है किन्तु कुछ एसी भी बात हैं जो आर्थिक समीक्षा और बजट भाषण में भिन्न भिन्न हैं।

यह बजट विकास का बजट नहीं है। इससे पंच वार्षिक योजना को स्थिरीकरण से, जो गत तीन अथवा चार वर्षों से चल रहा है, उभार सके। हमारी कृषि की विकास दर शून्य है और उद्योग की 1.5 अथवा 2 प्रतिशत है। विकास का बजट तब होता जब गत 2,3 वर्षों से विकास की जो गति रूकी हुई है वह फिर से स्थापित हो जाये। दुसरी ओर इस बजट से व्यापारियों, विशेषरूप से संगठित क्षेत्र के बड़े व्यापारियों को लूट मचाने की अनुमति मिल जायेगी। वर्तमान आर्थिक संकट का पूरी तरह से सामना किया जाना चाहिए। किन्तु इस संबंध में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है वह गलत है, कहा गया है कि यह ऐसे कारणों से है जिन्हें टाला नहीं जा सकता है और इन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई भी चारा नही है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास के 1974-75 का वर्ष अभूतपूर्व आर्थिक कठिनाइयों का रहा है इसका कारण मुद्रा सप्लाई का बेअनुपात विस्तार अनाज का असंतोषजनक उत्पादन और वसूली तेल और उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि तथा समस्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्फिति है। यथार्थ यह है कि वित्त मंत्री महोदय ने वास्तविकता को छुपाया है और संकट की सही स्थिति नहीं रखी है। बाहर से जो अनाज आयात किया जा रहा है उसे केवल अच्छी पैदाबार देने वाले बीजों अथवा कीटनाशी दवाइयों और उर्वरकों की किसानों को अधिक सप्लाई से कम नहीं किया जा सकता है। यह कृषि क्षेत्र में संस्थागत तथा राजनीतिक रुकावटो के मूल्यांकन के बिना ही नहीं हो सकता है क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था में जड़ जमा चुके है। देश के समस्त भागों के किसान इन साधनों का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अधिकांश किसान गरीब हैं तथा कृषि मजदूरों और भूमिहीन लोगों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 1961 में भूमिहीन लोगों की संख्या 15 लाख थी जबकि अब यह 475 लाख है। साथ ही अनाज की वसूली का भी सही प्रयास नहीं किया गया है। यदि अच्छी फसल भी होती है तो भी आम आदमी को अनाज मिलना सम्भव नहीं है राज्य सरकारें भी वसूली के अपने लक्ष्यों को कम करती जा रहीं है। वितरण व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों तक ले जाने का भी प्रश्न है।

भूमि सुधारों की क्या स्थिति है तथा फालतू भूमि के वितरण के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। वास्तव में संस्थागत एवं राजनीतिक कारणों को दूर करने से ही सही समाधान हो सकता है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर 1972-73 से घटती जा रही है तो क्या इसका कारण कृषि में लगाई जाने वाली सामग्री की कम मात्रा में सप्लाई है। श्री सुब्रह्मण्यम् मुद्रा सप्लाई में अवधि अथवा अवांछनीय वृद्धि के बारे में मौन रह हैं। वित्तीय निकायों द्वारा ऋण देकर और बैंकों से छोड़ कर मुद्रा स्फीति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके बारे में भी वे मौन रहे हैं। श्री पाई ने भी औद्योगिक बित्त निगम के सम्मेलन में वित्तीय संस्थाओं के वर्तमान रुख तथा भूमि की आलोचना की है। यदि सरकार की वित्तीय सस्थाओं की यह स्थिति है तो बैंकों की भी यही दशा है। बक दर में 3 अथवा 4 प्रतिशत की वृद्धि करने से ऋण की मांग को तब

[श्री इंद्रजीत गुप्त]

तक रोका नहीं जा सकता है जब तक उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का कीमतों पर नियंत्रण तथा लाभ कमाने की प्रवृत्ति बनी रहती है।

गत वर्ष लाभांश पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया और उसकी अधिकतम सीमा 12 प्रतिशत निर्धारित की गई उसके परिणामस्वरुप निर्गमीत क्षेत्र में फिजूलखर्ची को प्रोत्साहन मिलता है। निगमित क्षेत्र ने साथ ही यह भी हल्ला किया है कि इससे निवेश के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि न होने का प्रमुख कारण यह है कि औद्योगिक उत्पादों के लिए एक सुरक्षित देशी बाजार है और कीमत कम कर उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। ऐसे वातावरण में उद्योग निश्चितरूप से अपने उत्पादन को सीमित कर कीमतें बढ़ायेंगे और अधिक लाभ कमायेंगे। स्टेट्समैन ने भी अपने संपादकीय में बजट को रियायतों का पैकेज कहा है।

वस्तु स्थिति यह है कि यह सारा दोष मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। ऋण संबंधी रवैये से जान पड़ता है कि बैंक स्टाक को जमा करने के लिए ऋण दिये जाने को रोक नहीं पाये हैं और गत वर्ष लाभांश पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उनसे स्थिति और भी आगे बढ़ी। गैर बैंककारी कम्पनियों बाजार मे पूंजी जमा करने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि बैंक कम पूंजी जमा होने लगी। गैर बैंककारी कम्पनियों इस पूंजी को स्टाक जमा करने में उपयोग करने लगी जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलने लगा और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण न रहा। वास्तविकता यह है कि बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों की रुचि लाभ में है। उनकी उत्पादन में कोई रुचि नहीं है।

गत वर्ष क्या हुआ कि एक ओर कम्पनियों को इस बात की अनुमति नहीं दी गई कि वे बहुत अधिक लाभांश की घोषणा करें और दूसरी ओर मजदूरों और वेतनभोगियों का आधा महंगाई भत्ता सरकारी खात में रख लिया गया। इस प्रकार गरीब वेतनभोगियों को तो कोई राहत न मिल सकी मगर कम्पनियों पर से यह रोक हटा ली गई कि वे कम से कम लाभांश निकालें चूंकि अब वें जितना चाहें लाभ निकालें और उसका जैसा चाहें उपयोग करें। आशा है कि मंत्री महोदय इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेंगे किन्तु सरकार रिजर्व बैंक से 100 करोड़ रुपये ऋण ले रही है। यह कसी बात है। वेतनभोगियों से तो यह जमा करवायी गई और सरकार खर्च करने के लिए निकाल रही है। श्रमिक वर्ग के साथ यह बड़ा अन्याय है। नवम्बर, में मूल्य सूचकांक 402 हो गये थे। अतः हम यह जानना चाहते हैं कि वेतनभोगियों को ही त्याग करने के लिए कहा जा रहा है।

हमारी अर्थव्यवस्था मूलतः पूंजीवादी है। बजट में 272 अंक के बाद महंगाई भत्ते के लिए व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों ने सरकार के साथ सहयोग किया और महंगाई भत्ता भविष्यनिधि में जमा करने के लिए तैयार हुए। किन्तु 272 अंकों के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता।

करों की बकाया राशि 750 करोड़ रुपया है जबकि कर अपवंचन की बड़ी भारी राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर भी केन्द्रीय कर राजस्व में भारी वृद्धि हुई है। राजस्व की वसूली में भी वृद्धि हुई है और नये कर प्रस्तावों का सारा ढांचा सघटित नियमीत क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का है, इससे लघु उद्योग और असंघठित क्षेत्र कुचला ही जायेगा और हो सकता है सरकारी क्षेत्र को भी जैसा कि तांबे के मामल में हुआ झटका लगेगा।

बजट प्रस्तावों का एकाधिकारियों उनकी पत्रिकाओं और स्टाक एक्सचेंजो के अतिरिक्त किसी ने भी स्वागत नहीं किया है। इसका कारण स्पष्ट है। 1950–51 में कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों की धारिता प्रतिशतता 56 थी। 1965–66 में यह 71 प्रतिशत और अब 1975–76 में 82 प्रतिशत हो गई हैं। प्रत्यक्ष करों में प्रतिशत धारिता में ह्रास हुआ है यह उपरोक्त अवधि में 44 प्रतिशत से घटकर 29 प्रतिशत और 29 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत रह गई है। निसन्देह प्रत्यक्ष कर का भुगतान करने वाले लोग इस संबंध में बहुत प्रसन्न है।

जहां तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का संबंध है, सरकारी प्रवक्ताओं की इस घोषणा के बावजूद कि एक प्रतिशत या दो प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि नहीं होगी, हर साल यह होता रहा है। इससे आम आदमी का बजट खराब हो जाता है। फिर भी पिछले वर्षों की भांति घाटे की अर्थव्यवस्था के अनुमान निष्फल सिद्ध होंगे क्योंकि इससे वस्तुओं और खाद्यान्नों की सप्लाई में तदनुरूप वृद्धि नहीं होगी। मूल्यों में 30 प्रतिशत वृद्धि के कारण जिस धनराशि की बजट में व्यवस्था की गई है वास्तव में वह घट गई है। खंडसारी पर भी कर लगाने की बात समझ में नहीं आतो है। मेरे पास रिपोर्ट आई हैं कि खंडसारी यूनिटें बन्द हो रही हैं।

पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से सरकारी विभागों और मंत्रियों की कारों का खर्च बढ़ेगा जिसका भार सामान्य जनता पर ही पड़ेगा। ऐसा करने का क्या औचित्य है। ये सब अत्यधिक अनैतिक बातें है।

उन सब वस्तुओं पर, जिनका विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और उन उत्पादक एककों पर जहां 50 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, 1 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क लगाया गया है। श्री सुब्रह्मण्यम् को विचार करना चाहिए कि क्या इस शुल्क से लघु उद्योगों को छूट दी जा सकती है। सरकार लघु उद्योग को क्यों निष्क्रिय बनाना चाहती है। यह पता नहीं है कि पुस्तकें भी इसके अन्तर्गत आयेंगी। विश्व के किसी भी देश में पुस्तकों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगा है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान पर शुल्क लगाया गया है। इस बजट से केवल मूल्य ही बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आयेगी।

देश में देश के बाहर अस्थिरीकरण के अनेक समर्थक हैं। ये लोग देश में अधिक आर्थिक असंतोष पैदा करते रहें हैं। मेरे विचार से इस बजट से जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को सहायता मिलेगी। मूल्य स्तर को बनाये रखने की बजाय साधारण उपभोक्ता तथा छोटे व्यापारियों पर और भी बोझ डाला गया है और निगमित क्षेत्र को खुली छूट दी गई है। उन्हें इसका सबसे अधिक लाभ हुआ है। दश में राजनीतिक विस्फोटक स्थिति आ रही है। और वास्तव में इससे संकट और भी बढ़ेगा। अतः न केवल इसका राजनीतिक मोर्चे पर ही सामना किया जाना है किन्तु आर्थिक मोर्चे पर भी सामना किया जाना है।

इस बजट से ऐसी कोई आशा नहीं होती है कि विकास में स्थिरता आई है वह दूर होगी। विकास की स्थिरता को दूर करने के लिए अनेक परिवर्तन करने होंगे। कृषि अर्थव्यवस्था के ढांचे में आधारभूत परिवर्तन लाना आवश्यक है। यह प्राचीन काल से चली आ रही परिपाटियों को तथा सामन्ती बाधाओं को तोड़ने का प्रश्न है। साथ ही एकाधिकारों तथा बहु राष्ट्रिक निगमों की प्रगति पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए और यदि यह नहीं किया गया तो सरकार काले धन संसाधनों की जो अनेक तरीकों से बाहर जा रहे हैं हानि की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

12—14 LSS/ND/75

[श्री इंद्रजीत गुप्त]

कारगर मूल्य नियंत्रण और अत्यावश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है । वितरण प्रणाली पर नियंत्रण लगाने के सिवाय मूल्यों पर कारगर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक और निर्भीकता से धनराशि का निवेश किया जाना चाहिए।

इस बजट का मुख्य दृष्टिकोण नकारात्मक और निराशाजनक है। यह प्रगति में सहायक नहीं है और इस कारण हम इस बजट का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। मैं उन अनेक बातों के बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं किन्तु इस बजट में करों के जो प्रस्ताव हैं वे लोकतन्त्र विरोधी हैं क्योंकि इस का आम जनता पर बोझ पड़ता है। इससे केवल कुछ थोड़े से लोगों का हित साधन होता है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : बजट के कतिपय विशिष्ट स्वरूपों के कारण तथा वर्तमान कठिण आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति की दृष्टि से मैं बजट का स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री के भाषण से जान पड़ता है कि देश एक और मुद्रास्फिति तथा दूसरी ओर औद्योगिक और कृषि दोनों मोर्चों पर मूल अर्थव्यवस्था के दुश्मनों का सामना करनेका पूरा प्रयास कर रहा है। अनिवार्य जमा योजना, तस्कर विरोधी अभियान और सरकार की मुद्रा सप्लाई के विस्तार को नियंत्रित करने की नीति के परिणामों में कुछ समय लगेगा और अभी इस संबंध में भ्रम में पड़ना आवश्यक नहीं है।

माननीय सदस्य श्री साल्वे तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष एवं विपक्ष में अपने विचार व्यक्त किये । मिश्रित अर्थ व्यवस्था कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे हम यह मान कर चलें कि यही समाजवाद की एक मात्र मंजिल है। यह एक प्रयोगाधीन उपाय है। समाजवाद प्राप्त करने के लिए अन्ततः हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा । पंडित नेहरु ने 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44 वें अधिवेशन में कहा था कि वे समाजवाद और गणतंत्र में विश्वास करते हैं और आधुनिक उद्योगपतियों के विरोधी हैं जिनका प्राचीन राजाओं से अधिक जन साधारण के भाग्य पर नियंत्रण है । उन्होंने यह भी कहा कि इसका एक मात्र समाधान यही है कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर जो प्रभुत्व है उसे समाप्त किया जाये। इसे ध्यान में रखते हुए आज 1975 में जो आर्थिक दशा है वह ठीक नहीं है ।

जहां तक खाद्यान्न स्थिति का संबध है हम सभी इसमें सुधार के लिए आतुर है । वित्त मंत्री ने दो पहलुओं पर प्रकाश डाला है। एक तो साधनों का जुटाया जाना और दूसरी ओर घाटे को पूरा करना तथा नय वर्ष की अर्थव्यवस्था की नई तस्वीर पेश करना। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगाकर ही हम कृषि विकास पर जोर दे सकते हैं। किन्तु यह समझ में नहीं आता कि वित्त मंत्री यह देखने का प्रयास क्यों नहीं करते कि कृषि उत्पादों पर बड़े पैमाने पर आयकर लगाकर साधन जुटाये जा सकते हैं।

यह बात सच है कि पंजाब तथा हरियाणा अथवा गोदावरी क्षेत्र और आन्ध्र प्रदेश में 20 से 30 एकड़ भूमि वाले लोक सरकार की बिजली, सिंचाई, उर्वरक अथवा कीट-नाशक दवाइयां जैसी सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। वे अधिक अन्न पैदा कर रहे हैं। किन्तु कारगर जन वितरण प्रणाली तथा दृढ़ वसूली नीति तथा भूमिहीन मजदूरों को प्रोत्साहन के अभाव में यह अनाज आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं समझता हूं इस

प्रकार और भी असंतोष बढ़ेगा। साथ ही गांव के जमीदार अपने धन का इस प्रकार प्रयोग करेंगे कि हमें दूसरा तस्कर विरोधी अभियान चलाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक प्रकार की तस्करी चल रही है। यह बिजली की तस्करी है। यही तस्करी वे लोग कर रहे हैं जिनके पास 20 से 30 बीघा जमीन है। इस सबंध में मेरा सुझाव है कि भूमि पट्टा प्रणाली, भुमि सुधार तथा आधार मूल्य और न्यूनतम वेतन की नीति से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

घाटे की अर्थ व्यवस्था का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है और यह तभी हो सकता है जब अधिक संसाधन हों, उत्पादन अधिक हो तथा समान वितरण हो।

संशोधित अनुमानों में 270 करोड़ रुपये के नियतन में 50 करोड़ रूपये कृषि वित्त निगम और 25 करोड़ रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए हैं। क्या नये वित्त मंत्री मुझे यह आश्वासन करेंगे कि अधिक अन्न उत्पादन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अन्ततः वृद्धि होगी तथा वितरण प्रणाली में सुधार होगा और राष्ट्रीय विकास दर में भी वृद्धि होगी। लेकिन यदि इस वर्ष गेहूं के क्रय और निर्धारित मूल्य बढ़ते ही गये तो आगामी चार महिनों में आने वाले संकट को हम टाल नहीं सकते। श्री जयप्रकाश नारायण के साथ महान जुलूस में जो लोग दिल्ली आये हैं उनके प्रति भी सहानुभूति पैदा हो रही है। उन्हें आजकल प्रोत्साहन मिल रहा है और यदि गेहूं और अन्य चीजों के दाम बढ़ते चले गये तो इससे जयप्रकाश नारायण के हाथ अधिक मजबूत होंगे। अतः मेरा सुझाव है कि जन वितरण उपायों के द्वारा कृषि उत्पादन कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।

पैट्रोकेमिकल्स, खाद्योन्नों तथा अन्य चीजों के आयात के लिए हम आयात के सभी बिलों की कैसे अदायगी कर सकते हैं। यह कारगर निर्यात कार्यों से ही सम्भव हो सकता है। औद्योगिक क्षेत्र के कुल उत्पादन में मंदी है। क्रय शक्ति के न होने से इस्पात जैसी कई चीजें नहीं ली जा रही है। अतः यदि हमें इस समस्या को हल करना है तो हमें क्रय शक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। वित्त मंत्री द्वारा उठाये गये अनेक कदमों के बावजूद भी लोगों की क्रय शक्ति इतनी कम है कि वे इस समय बाजार की वस्तुओं के 3 से 4 प्रतिशत बिल का मांग भी पूरा नहीं कर सकते हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि उर्वरकों के लिए पर्याप्त धनराशि अलाट की गई है किन्तु केवल रासायनिक उर्वरकों के लिए व्यवस्था की गई है और आर्गेनिक खाद के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। देश में कृषि क्रान्ति के लिए आर्गेनिक खाद के भी धन राशि का आबंटन करना आवश्यक है।

हमारे सामने बेरोजगारी की भी समस्या है। रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राष्ट्रीयकृत बैंक छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बजाय एकाधिकारी गृहों तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को धन लगाने के लिए अग्रिम तथा ऋण दे रहे हैं। यही कारण है कि नवयुवक श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन में शामिल हो रहे हैं।

आज राष्ट्र में जो असंतोष है उसका कारण अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय असन्तुलता है। चार वित्त आयोग बैठे। यह निर्णय किया गया कि जहां वसूली अधिक है और आबादी

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

कम है वहां कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। चूंकि उस समय मेरे राज्य में वसूली अधिक थी अत: हमें चारों आयोगों से सहायक अनुदान से वंचित रहे। पांचवां और छठा आयोग भी बैठा और यह निर्णय किया गया कि जहां आबादी अधिक है और वसूली कम है वहां प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार हम फिर भी वंचित रहे। यह जानबूझकर किया गया। मेरे राज्य में जो राष्ट्रिक आन्दोलन तथा उग्रवादी आन्दोलन आरम्भ हुए हैं उसका कारण गम्भीर असतुलन है जिसके लिए ये वित्त आयोग जिम्मेदार हैं। यदि यह क्रम जारी रहा तो इससे न केवल श्री जयप्रकाश नारायण के ही हाथ मजबूत होंगे किन्तु वामपंथी और दक्षिणपंथी उग्रवादियों के हाथ भी मजबूत होंगे। अत: वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करें कि छठा वित्त आयोग सभी राज्यों को एकसा न्याय दे अन्त में मेरा सुझाव है कि तस्करों के प्रति कड़ी कायवाही की जाए। तस्करी तब तक समाप्त नहीं की जा सकती है जब तक तस्करों की सम्पत्ति को जब्त नहीं किया जाता है। वित्त मंत्री को चाहिए कि वे नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा भूमि सुधारों के संबंध में तत्काल कदम उठाएं।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास-दक्षिण) : मैं, वित्त मंत्री को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने खाद्य और ऊर्जा इन दोनों की प्राथमिकताओं स्पष्ट रूप से पहचाना है और इनके लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की है। परन्तु प्रश्न यह कि वह इन्हें क्रियान्वित कैसे करेंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्ष 1974–75 भारत के इतिहास में सबसे अधिक आर्थिक तनावों का वर्ष रहा। यदि इससे पिछले वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण पर दृष्टिपात किया जाये तो उसमें भी हमें यही शब्द मिलेंगे। इस प्रकार पिछले अनेक वर्षों से यही शब्द दुहराये जाते रहे हैं। हमारी अर्थ–व्यवस्था इसी वर्ष नहीं वरन् पिछले एक दशक से अस्त-व्यस्त चली आ रही है।

इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1973–74 में राष्ट्रीय आय में 3.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परन्तु मैं इन आंकड़ों को सही मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे मालूम है कि केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन ने यह अनुमान तोड़मरोड़ कर दिया है।

समुचित समय पर निर्णय न लेने और उसमें विलम्ब करने से लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मेरे राज्य में कुंडा पन बिजली परियोजना के चौथे चरण के दौरान भारत सरकार ने यह निर्णय करने में कि जनरेटिंग मशीनें कनडा से या रूस से मंगाई जायें 42 वर्ष का विलम्ब किया है। परिणामस्वरुप, जहां 1967 में इनकी लागत 119 लाख रुपये थी, वह अब बढ़कर 1134 लाख रुपये हो गई है। कलंपक्कम परमाणु बिजली घर स्थापित करने में भी काफी विलम्ब किया गया है। यह 1974 तक तैयार हो जाना चाहिए था लेकिन अब एसा लगता है कि 1980 तक भी तैयार नहीं होगा। इसके बारे में कहा गया है कि इसके लिए तकनीकी जानकारी कनाड़ा से प्राप्त करनी थी जो अब फ्रांस से प्राप्त की जायेगी। इस परिवर्तन में विलम्ब हुआ है।

वित्त मंत्री को अन्य राज्यों से भी प्रशंसा मिली है क्योंकि उनके बिजली उत्पादन के लिए बजट में धनराशि नियत की जाती रही है। परन्तु तमिलनाडु वासियों को नेवेली

लिग्नाइट परियोजना के लिए किये गये उपबन्ध से बहुत निराशा हुई है । इसमें उत्पादन का लक्ष्य 60-70 लाख मीटरी टन था परन्तु वास्तव में 35 लाख मीटरी टन ही उत्पादन होता है ।

तूती कोरिन तापीय बिजली घर की कुल द्वितीय आवश्यकता 119 करोड़ रुपये की है और वार्षिक वित्तीय आवश्यकता 25 करोड़ रुपये की है । केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग ने केवल 17 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं लेकिन भारत सरकार ने आगामी वर्ष के लिए केवल 6 करोड़ रुपय ही आवंटित किये हैं । अतः इन यूनिटों के चालू होने में बहुत विलम्ब होगा ।

हमने अपने राज्य में सभी जल संसाधनों का उपयोग कर लिया है । कोयला खानें भी हमसे बहुत दूर हैं । हमने परमाणु बिजली घर की मांग की है । यदि इस समय यह सम्भव नहीं है, तो कम से कम कलपक्कम परमाणु बिजली घर का ही विस्तार किया जाना चाहिए । वित्त मंत्री को इस मामले पर अनुकूल दृष्टि से विचार करना चाहिए ।

संघीय व्यवस्था में संसाधनों को अपने अपने राज्य के लिए हड़पने की सदैव स्पर्धा रहती है । मैं वित्त मंत्री से जो तमिलनाडु से आये हैं, यही अनुरोध करता हूं कि वह भी उसी प्रथा का पालन करें जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आये उनके सहयोगी पालन करते आये हैं, सन् 1971 में महाराष्ट्र ने 38 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन केन्द्र ने अज्ञात कारणों से 40 करोड़ रुपये की सहायता दी । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को भी अधिक धनराशि आबंटित की गई । इसका कारण स्पष्ट है कि उस समय वित्त मंत्री महाराष्ट्र के थे और प्रधान मंत्री उत्तर दश की । यही कारण है कि मैं वित्त मंत्री से तमिलनाडु की सहायता के लिए मांग कर रहा हूं ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : इन राज्यों की जनसंख्या कितनी है? आप प्रांतीयता को लाकर अपने राज्य का मामला बिगाड़ रहे हैं ।

श्री मुरासोली मारन : स्वयं भूतपूर्व मंत्री श्री के० हनुमन्तैया जैसे व्यक्ति ने कहा है कि रेल लाइनों के मामले में दक्षिण की उपेक्षा की जा रही है ।

देश के दक्षिणी प्रदेशों में स्थापित किये जाने वाले तीन इस्पात कारखानों के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है । 2 मार्च, 1975 के 'हिन्दू' में प्रकाशित समाचारों के अनुसार वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि दक्षिण के तीनों इस्पात संयंत्रों पर होने वाला कार्य इन समय स्थगित कर दिया गया है क्योंकि उत्पादन की स्थिति तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लगेगा । मुझे तो शंका है कि दक्षिण के इन तीन संयत्रों की स्थापना में बाधा डालने का षडयंत्र किया गया है । अतः मैं वित्त मंत्री से इस की सबंध में स्पष्ट उत्तर पाना चाहता हूं कि वह इस बारे में क्या करने जा रहे हैं । क्या वह इन संयंत्रों की स्थापना को स्थगित करने जा रहे हैं या उनका परित्याग करने का विचार है ? यदि श्री सुब्रहमण्यम् के कार्य काल में इन्हें परित्याग या स्थगित किया गया तो यही समझा जायेगा कि मां स्वय अपने बालक का गला घोट रही है ।

जहाँ तक सीमा से अधिक राशि (ओवर ड्राफ्ट) निकालने का संबंध है, दक्षिण के राज्यों के साथ उत्तर के कुछ राज्यों के साथ जैसा व्यवहार नहीं किया जाता । समाचारों के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार ने रिजर्व बैंक से सीमा से अधिक राशि निकाली

[श्री मुरासोली मारन]

है । बैंक इन राज्यों को अधिक राशि निकालने इसलिए मना नहीं कर सकता क्योंकि इनका केन्द्र से अधिक राजनैतिक प्रभाव है । लेकिन जब केरल या कर्नाटक जैसे दक्षिण स्थित राज्य अधिक राशि निकालना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से इन्कार कर दिया जाता है । केरल के ओवरड्राफ्ट चैक अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए ।

[श्री दिनेश चंद्र गोस्वामी पीठासीन हुए
SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*]

खाद्यान्नों पर राज सहायता के संबंध में स्थिति यह है कि सरकार ने चावल पर मुनाफा कमाया है लेकिन गेहूं के लिए राजसाहयता दी है । गत 7 या 8 वर्षों के दौरान गेहूं की राजसहायता और गेहूं के आयात पर सरकार 1141 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। लेकिन यह रियायत दक्षिण को नहीं दी गई। तमिलनाडु में सूखा की स्थिति में फंस चुका है । हम थाइलैंड से खाद्यान्न आयात करना चाहते थे। अमरीका भी कुछ चावल देने के लिए तैयार था परन्तु हमें ऐसा करने से इकार कर दिया गया। हम से खाने की आदत में परिवर्तन करने के लिए तक कहा जाता है जो एक दिन में तो होना कठिन है। चावल पर निर्भर रहने वाले लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों माना जाता है ? मंत्री महोदय को थाईलैंड या अमरीका से कुछ चावल आयात करना चाहिए।

बजट पेश होने से पहले 'इकानामिक टाइम्स' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया है कि उद्योगपतियों को यह आशा है कि वित्त मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ऐसा बजट लायेंगे जिससे गैर सरकारी क्षेत्र को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने उनकी इस आशा पर पानी नहीं फेरा है। गैर सरकारी क्षेत्र को अनेक छूट देने का प्रस्ताव किया गया है जैसे कर–अवकाश पुन: लागू करना, नई कम्पनियों आदि से प्राप्त होने वाले अन्त:निगम लाभांश की छूट आदि ।

वित्त मंत्री ने कम महत्व के कामों में चीनी की खपत कम करने और अधिक मात्रा में निर्यात करने की दृष्टि स खुली चीनी पर शुल्क में वृद्धि कर दी है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि नियंत्रित चीनी के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी लेकिन ऐसी बात नहीं है। नियंत्रित चीनी के मूल्य भी बढ़ेंगे।

यथा मूल्य उत्पाद–शुल्क में की गई 1 प्रतिशत शुल्क-वृद्धि पर भी पुन: विचार किया जाना चाहिए। यह सुस्पष्ट है कि यह वृद्धि बहुविध कर के रूप में है। आनुपातिक उत्पाद-शुल्क से उत्पन्न हुआ बहुविध प्रभाव अगले वर्ष अनुभव किया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस उद्देश्य के लिए कुछ मदों का चयन करें। वित्त मंत्रालय को मूल्य ढांचे पर उत्पाद शुल्क के प्रमाणों का अध्ययन करने के लिए एक विभाग खोलना चाहिए ।

जहां तक योजना का संबंध है ऐसा प्रतीत होता है कि अब आयोजना अवकाश हो रहा है। इस योजना की अवधि का प्रथम वर्ष तो नष्ट हो ही गया है। अब यह पांचवीं योजना कहां रह गई है? पहले बजट योजना की क्रियान्विति का एक साधन हुआ करता था लकिन अब बजट से योजना के स्वरूपों को निर्धारित किया जाता है। यह बड़ी शोचनीय स्थिति है। यदि कोई योजना नहीं है या आयोजना अवकाश है तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस संबंध में सदन और जनता को अवगत कराये ।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : नित्यप्रति के उपयोग की वस्तुओं पर शुल्क लगाने से आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। चाय पर कर लगाने से आम जनता को अत्याधिक कष्ट होगा। प्रतिवर्ष यह कहा जाता है कि करों का मूल्य पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा परन्तु वास्तव में मूल्य कहीं अधिक सीमा तक बढ़ जाते हैं।

कम से कम एक राज्य में कर लगाने के लाभ को समझा है और वह राज्य है महाराष्ट्र वह सभी करपूर्ण पुरोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगा रहा है। परन्तु वह अपने इस उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब अन्य राज्य भी इस दिशा में उसका साथ दें। और केन्द्र भी अन्य राज्यों को इसके लिए धन की व्यवस्था करे। यह बात कपास की वसूली के एकाधिकार पर भी लागू होती है। महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में तभी अच्छा कार्य कर सकती है जब उसके पड़ोसी राज्य कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात भी वैसा ही करें। राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए केन्द्र को पहल करनी चाहिए। 1974–75 में हुई आशातीत कर वसूली से कुछ लोगों ने गलत धारणा बनाई है।

केन्द्र के कर राजस्व में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और मूल्यों में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1974 के बीच राजस्व में यह वृद्धि 19 प्रतिशत हुई जबकि वास्तविक वृद्धि 8 प्रतिशत ही थी।

वित्त मंत्री नये कर लगाने के लिए कितने ही कल्पना के घोड़े दौड़ाएं परन्तु यह तथ्य है कि सरकार के कर लगाने के मार्ग समाप्त हो चुके हैं। इसलिए अब यह निश्चित हो गया है कि राजस्व उत्पादन बढ़ा कर ही बढ़ाया जा सकता है। सौभाग्य से, इसके लिए उदासीनता का रूख नहीं अपनाया गया है।

खेद की बात है कि अधिक विश्वास अप्रत्यक्ष करों पर किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के बजट में अप्रत्यक्ष कर 1950–51 में 56 प्रतिशत थे, 1965–66 में 71 प्रतिशत तथा 1975–76 में ये लगभग 82 प्रतिशत होंगे। इसकी तुलना में प्रत्यक्ष कर 1950–51 में 29 प्रतिशत और 1975–76 में केवल 18 प्रतिशत है। अप्रत्यक्ष करों से मूल्य बढ़ गये हैं और गरीबो पर बोझा बढ़ गया है।

कपड़ा उद्योग पर 49.10 करोड़ रुपये का जो कर–भार डाला गया है उस ` इस उद्योग में काफी निराशा पैदा हुई है। शक्तिचालित करघों पर मिश्रित शुल्क में 200 रुपये की वृद्धि की गई है। क्या इस प्रकार यह उद्योग नष्ट नहीं हो जायेगा?

परन्तु यह बजट कुछ सीमातक विकास तथा पूंजी–निवेश को बढ़ावा देगा क्योंकि निवेश योग्य बचत बढाने के लिए इसमें कुछ यथार्थवादी–उपाय किये गये हैं जो बढती हुई कीमतें, मुद्रा–प्रसार तथा कमी की समस्या को सुलझाने में सहायक हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : सभा को विदित ही है कि हम आर्थिक सकट से गुजर रहे हैं। यद्यपि कुछ महीनों के दौरान मूल्य कम हुए हैं किन्तु आर्थिक सर्वेक्षण ने हमें ईस बात को चेतावनी दे दी है कि हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हो जानी चाहिए कि मुद्रा स्थीति का दबाव रूक चुका है। वित्त मंत्री ने भी इसका उल्लेख अपने बजट प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा है कि मुद्रा स्थीति का दबाव अभी रूका है समाप्त नहीं हुआ है।

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा]

उन्होंने ऊर्जा और कृषि उत्पादन को वरीयता देकर ठीक ही काम किया है क्योंकि राष्ट्रीय आय का आधा भाग कृषि से आता है। उन्होंने कृषि के लिए काफीराशि नियत की है और ऐसी आशा व्यक्त की है कि उत्पादन में वृद्धि होगी परन्तु मैं उनकी ऐसी आशावादिता से सहमत नहीं हूं। इसका कारण यह है कि हमें कई बार ऐसा आश्वासन दिया गया है कि हम खाद्यान्न के मामले में दूसरी योजना के अन्ततक आत्म-निर्भर हो जाएंगे किन्तु आज जब पचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष आरम्भ हो गया है हम अपने उद्देश्य से बहुत पीछे हैं। इन्हीं असफलताओं के कारण हमारे मन में सरकार के वायदों पर विश्वास करने की इच्छा नहीं रहती।

वित्त मंत्री ने कृषि के लिए बहुत धनराशि नियत की है। इस वर्ष 193 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं तथा आगामी वर्ष के लिए 270 करोड़ रुपए नियत किए जा रहे हैं किन्तु अधिक धनराशि नियत किए जाने से हमें यह आश्वासन नहीं हो सकता कि हमारे सभी निर्धारित कार्य पूरे हो जाएंगे। अतः मैं समझता हूं कि जब तक हम अपने ढाचे में काफी परिवर्तन नहीं करते हमें सफलता नहीं मिल सकती। मेरे राज्य में ग्राम कृषि में बुनियादी परिवर्तन लाने वाले कानून 15 वर्ष पहले पास किए गए थे। परन्तु उन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि छोटे किसानों की उपेक्षा करके बड़े किसानों को लाभ हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सरकार को सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए जिससे जो भी योजनाए बनाई जाए उन्हें अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही क्रियान्वित किया जाए।

जहां तक कृषि उत्पादन का संबंध है मैं समझता हूं कि हमें सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि छोटी सिंचाई से अधिक लाभ होता है। इसलिए हमें छोटी सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमने यह भी देखा है कि नलकूपों से सिंचाई करने के भी अच्छे परिणाम निकले हैं। अतः यदि हम थोड़े समय में ही सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को आरम्भ करने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री ने योजना परिव्यय का आकार बढ़ाया है। परन्तु हमें यह देखना है कि क्या इससे देश की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। हमें यह देखना है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन की कीतनी सम्भावना है। हमें यह भी देखना होगा कि रोजगार के कितने अवसर पैदा किए जाने की सम्भावना है। मैं समझता हूं कि ये योजना प्रस्ताव हमारी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए हैं। इन से अमीर और गरीब में अन्तर दूर नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है फिर भी मुझे संदेह है कि वित्त मंत्री द्वारा दी गई रियायतों के बावजूद पूंजी बाजार सक्रिय नहीं हुआ है। मुझे यह भी शक है कि क्या वित्त मंत्री अपने उस कार्यक्रम में जो उन्होंने बचत और पूंजी निवेश के वातावरण के बारे में बनाया है सफल होंगे अथवा नहीं।

इस वर्ष वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर नहीं लगाए हैं परन्तु उन्होने 5900 करोड़ रुपए की योजना में धन जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष करों का सहारा लिया है। हम 1956 से अप्रत्यक्ष करों का सहारा ले रहे हैं। मैं समक्षता हूं कि इन अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव मूल्यों पर अवश्य पड़ेगा। वित्त मंत्री को इस बात को देखने के लिए कि मूल्य न बढ़ने पाए बहुत ही सावधान रहना होगा।

श्री पीलू मोदी तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है कि इससे पुस्तकों के प्रकाशकों को काफी क्षति पहुंचेगी। अन्तोगत्वा स्कूलों व कालेजों के बच्चों को हानि उठानी पड़ेगी। अतः मैं निवेदन करुगा कि वित्त मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकों को इन करों से छूट दी जाए।

मुझे बताया गया है कि खण्डसारी पर भी मिश्रित लेवी लगाई गई है तथा इसपर अन्य उत्पादों की तरह कर लगाया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ खण्डसारी कारखाने बन्द हो गए हैं। इन कारखानों के बन्द होने से 12 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर भी ध्यान देना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने का प्रयास किया है। परन्तु मैं समझता हुं कि धन की सप्लाई के विस्तार में कोई खास कमी नहीं हुई है। बजट में महंगाई भत्ते की अतिरिक्त देय किस्तों देने के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्हों ने कहा है कि वह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं परन्तु जब तक सरकार कीमतों को कम नहीं करती तथा कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुए नियमित दरों पर उपलब्ध नहीं करा सकती और जन वितरण प्रणाली सुदृढ़ नहीं बनाती तब तक सरकार केवल उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाती रहेगी। यदि अतिरिक्त महंगाई भत्ते के लिए प्रावधान कर दिया जाए तो बजेट का घाटा और बढ़ा जाएगा और कर्मचारियों को घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा।

श्रीमती माया राय (रायगंज) : आज जब मैं सदन में आई तो श्री पीलू मोदी अपना भाषण दे रहे थे। मैं ने उनका भाषण सुना और इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि उनका भाषण केवल राजनीतिक बातों से ओतप्रोत था। मैंने श्री जयप्रकाश नारायण के भाषणों को भी पढ़ा है उनमें भी आर्थिक नीति की कोई झलक दिखाई नहीं देती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त अपने भाषण में कहा था केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह राज्य सरकार के कर्मचारी भी हैं जिन्हे समान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दोनो प्रकार के कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए विशेषकर जब कि दोनों एक ही तरह का काम करते हैं।

जहां तक बजट का संबंध है मैं समझती हूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चौथी योजना के बहुत से उद्देश्य पूरा होने से रह गए हैं। पिछले बीस वर्षों में निर्धारित लक्ष्य पांच प्रतिशत की बजाय केवल $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रगति हुई है। इन चीजों के अलावा हमारे देश में आबादी बहुत बढ़ गई है तथा खाद्य उत्पादन में कमी हुई है। अतः हमें आर्थिक स्थिति को दो पहलुओं से देखना होगा। पहले तो हमें अल्पकालीन समस्याओं को देखना होगा तथा फिर दीर्घकालीन समस्याओं को तथा उन्हें हल करने के तरीकों को भी देखना होगा। हमें उर्वरक, कोयला, इस्पात और विद्युत के साथ साथ कृषि उत्पादन पर भी जोर देना होगा। उन्हें परिवहन, बिजली तथा रोजगार के अवसर बनाने को भी नहीं भूलना चाहिए।

वर्तमान बजट में सरकार एवं निजी निवेशियों को देश के उपयोग के लिए तथा निर्यात के लिए प्रोत्साहित करते हुए उत्पादन और वितरण की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया गया है परन्तु प्राथमिकता किसे दी जाए इस बात पर कोई जोर नहीं दिया गया है। प्रोत्साहन खुशी से नहीं दिया गया है तथा निर्यात पर भी पर्याप्त बल नहीं दिया गया है।

[श्रीमती माया राय]

कृषि को भी बहुत कम प्रोत्साहन दिया गया है। यह बड़ी विचित्र सी बात है कि जिस देश की 70 प्रति शत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती हो वहां केवल 8.9 प्रतिशत परिव्यय इस क्षेत्र को दिया जाए तथा औद्योगिक क्षेत्र को 48 प्रतिशत परिव्यय दिया जाए जिसपर केवल 180 लाख लोक निर्भर करते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि उद्योगों में अधिक रुपया क्यों लगाया जाता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या हमारी सरकार ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्र को ऊंचा उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं की है। संगठित क्षेत्र की मांगों को पूरा किया जाता है क्योंकि वे लोग बोल सकते हैं तथा दबाव डाल सकते हैं। आदिम जातियों तथा पिछड़े लोग अपनी बात नहीं कह सकते क्योंकि वे संगठित नहीं हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर उन लोगों पर और बोझ डालते हैं। क्योंकि उनकी क्रय शक्ति सब से कम है।

इस वर्ष बजट में उर्वरक को छोड़कर कृषि के लिए केवल 8.9 प्रतिशत धन नियत किया गया है तथा उर्वरक के लिए 11.3 प्रतिशत । इस तरह से कृषि का प्रतिशत बढ़ा हुआ लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे प्राथमिकता दी गई है। किन्तु ऐसी बात वास्तव में है नहीं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इससे कोई हल नहीं निकलता।

बजट की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्यात को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमें अस्तित्व में रहने के लिए कुछ न कुछ तो निर्यात करना ही होगा। हमें देश में खपत कम करनी चाहिए तथा विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में कमी करनी चाहिए। हमें निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। हमारे देश में लोगों की कोई कमी नहीं है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। सरकार को लाइसेंस, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं देकर निर्यात निधि में परिवर्तन लाना चाहिए।

बजट में कुछ आशा भी बढ़ती दिखाई देती है। सरकार ने पुंजी नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कुछ रियायतें भी दी हैं। यह बहुत अच्छी बात है। बजट में कुछ ऐसी बातें भी दिखाई देती हैं जिनसे पता चलता है कि सरकार समस्याओं को हल करने के लिए चिन्तामग्न है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 13 मार्च, 1975/22 फाल्गुन 1896 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday March 13, 1975/ *Phalguna* 22, 1896 (*Saka*).

भा०स०मु०ना०–वि4–14 लोक सभा/75—6–8–75—200.